BSES Yamuna Power Limited

वित्त वर्ष 2010–11 के लिए समायोजन
वित्त वर्ष 2011–12 के लिए समीक्षा तथा अस्थायी समायोजन
हेतु याचिका

एवं

वित्त वर्ष 2012–13 से वित्त वर्ष 2014–15
के वितरण (व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति) व्यवसाय
हेतु एमवाईटी याचिका

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत

विषय सूची
और
तालिका सूची

विषय सूची

1. निर्देशों का अनुपालन 20

2. वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान प्रदर्शन 30

2.1 वित्त वर्ष 2010–11 में नेटवर्क की वृद्धि/रखरखाव 30
2.2 पीक मांग की पूर्ति 31
2.3 वास्तविक एवं प्रदर्शन मानक वित्त वर्ष 2010–11 31
2.3.1 सामान्य फ्यूज़ ऑफ कॉल्स 31
2.3.2 लाइन ब्रेकडाउन की शिकायतें 32
2.3.3 वितरण ट्रांसफार्मर से जुड़ी शिकायतें 32
2.3.4 निर्धारित आउटेज से जुड़ी शिकायतें 33
2.3.5 विश्वसनीयता सूचकांक 34
2.3.6 आवृत्ति भिन्नता 34
2.3.7 बिलों में गलतियों से संबंधित शिकायतें 34
2.3.8 दोषपूर्ण मीटरों से संबंधित शिकायतें 35

3. वित्त वर्ष 2010–11 का समायोजन (ट्रूइंग अप) 36

3.1 बिक्री 36
3.2 राजस्व बिलिंग 37
3.3 संग्रहित राशि 38
3.4 ए टी एवं सी घाटा 39
3.5 एटी एवं सी घाटे में निर्धारित लक्ष्य से अधिक हासिल करने के लाभ 39
3.6 एआरआर के लिए उपलब्ध राजस्व 40
3.7 बिजली खरीद और ट्रांसमिशन लागत 40
3.8 बिजली खरीद लागत (वास्तविक के संदर्भ में स्वीकृत) 42
3.9 कर संबंधी खर्च 43
3.10 नए कदम 44
3.10.1 क्रेडिट रेटिंग 44
3.10.2 सीआईएसएफ व्यय 45
3.10.3 ऑडिटर्स सर्टिफिकेट की लागत 45
3.10.5 एसएलपी सं. 4270/ 2006 में उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने में हुआ खर्च... 46
3.10.5 प्रशिक्षण पर हुआ व्यय 46
3.10.6 सामग्री प्राप्त करने हेतु निविदा लागत 47
3.10.7 माननीय आयोग को अदा की गयी लाइसेंस फीस 47
3.11 अन्य नियंत्रण योग्य खर्च 48
3.12 वित्त वर्ष 2010711 के दौरान एपीआर और राजस्व (घाटा/अतिरिक्त .. 49

4. वित्त वर्ष 2010–11 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा 50

4.1 बिक्री 51

4.2 राजस्व बिलिंग 52
4.3 संग्रहित राशि 53
4.4 वितरण घाटा 53
4.5 ए टी एवं सी घाटा 55
4.6 ऊर्जा संतुलन 56
4.7 बिजली खरीद 57
4.8 सैप प्लेटफार्म पर एसैट लाइफ साइकिल मॉड्यूल का विकास 62
4.9 वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान एआरआर और राजस्व अंतर 63

5. वित्त वर्ष 2012–13 से वित्त वर्ष 2014–15 की दूसरी एमवाईटी अवधि के लिए अनुमान ... 64

5.1 बिक्री 64
5.2 राजस्व बिल 66
5.3 संग्रहण कुशलता ....
68
5.4 वितरण घाटा 68
5.5 ए टी एवं सी घाटा ....
71
5.6 ऊर्जा संतुलन 71
5.7 बिजली खरीद 71
5.7.1 बिजली खरीद मात्रा ....
71
5.7.1.1 मौजूदा विद्युत केंद्रों से बिजली की आपूर्ति 72
5.7.1.2 बिजलीघरों के रखरखाव की योजना 72
5.7.1.3 बिजलीघरों से बिजली की उपलब्ध 72
5.7.2 विद्युत खरीद की लागत 75
5.7.3 ट्रांसमिशन के दौरान बिजली की क्षति एवं शुल्क 78
5.7.4 बिजली खरीद खर्च का सार 79
5.8 संचालन एवं रखरखाव खर्च 80
5.8.1 मुद्रास्फीति सूचकांक में वृद्धि 81
5.8.2 कर्मचारी खर्च 82
5.8.3 ए एंड जी व्यय 84
5.8.4 आर एवं एम व्यय 85
5.9 अवमूल्यन 86
5.10 वित्त के माध्यम 87
5.11 पूंजी पर मुनाफा 87
5.11.1 पूंजी का वेटेड औसत खर्च 88
5.11.2 विनियमित दर आधार 89

5.12 आयकर 90
5.13 गैर टैरिफ आय 91
5.14 आपातकालीन राशि 91
5.15 नियंत्रित अवधि के दौरान वार्षिक राजस्व आवश्यकता 91

6. सप्लाई मॉडल का खर्च 92

6.1 व्हीलिंग कारोबार के लिए एपीआर का आबंटन 92
6.2 एआरआर रिटेल सप्लाई बिजनेस का आबंटन 94

7. राजस्व अंतर एवं राजस्व अंतर का प्रयोग 95

8. नियामक परिसंपत्ति (रेगुलेटरी असेट) 99

तालिका सूची

तालिका 1 : वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान वितरण नेटवर्क में बढ़ोतरी 30
तालिका 2 : सामान्य फ्यूज़ ऑफ कॉल 31
तालिका 3 : प्रदर्शन मानक – लाइन ब्रेकडाउन 31
तालका 4 : प्रदर्शन मानक – वितरण ट्रांसफर में खराबी 33
तालिका 5 : प्रदर्शन मानक – निर्धारित कार्यक्रमानुसार बिजली कटौती 33
तालिका 6 : प्रदर्शन मानक – विश्सनीयता सूचकांक 34
तालिका 7 : प्रदर्शन मानक : बिलिंग संबंधी गलतियां 34
तालिका 8 : प्रदर्शन मानक : खराब मीटर 35
तालिका 9 : श्रेणीगत बिक्री 36
तालिका 10 : श्रेणीगत राजस्व बिल (वित्त वर्ष 2010–11) 37
तालिका 11 : संग्रहित राशि 38
तालिका 12 : लक्ष्यों की तुलना में ए टी एवं सी घाटों में उपलब्धियां 39
तालिका 13 : ए टी एवं सी घाटे संबंधित निर्धारित लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन के फायदे 39
तालिका 14 : एआरआर के लिए उपलब्ध राजस्व की गणना (करोड़ रु में) 40
तालिका 15 : वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान बिजली खरीद लागत 40
तालिका 16 वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान बिजली खरीद लागत 43
तालिका 17 : चक्रवृद्धि लाइसेंस शुल्क (करोड़ रु में) 48
तालिका 18 : नई पहल/अन्य अनियंत्रित मानकों का संक्षिप्त ब्योरा 48
तालिका 19 : वार्षिक राजस्व आवश्यकता की गणना (करोड़ रु में) 49
तालिका 20 : वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान राजस्व (अंतर)/अतिरिक्त की गणना 50
तालिका 21 : श्रेणीगत बिक्री 52
तालिका 22 : राजस्व बिल का श्रेणीगत विवरण (ई टैक्स के संदर्भ में) 53
तालिका 23 : वित्त वर्ष 2010–11 के लिए वितरण घाटा लक्ष्यों का आधार 55
तालिका 24 : वित्त वर्ष 2011–12 के लिए डिवीज़नों के के स्तर पर वितरण घाटा लक्ष्य 55
तालिका 25 : वित्त वर्ष 2011–12 के लिए ए टी एवं सी घाटा 56
तालिका 26 : वित्त वर्ष 2011–12 के लिए ऊर्जा संतुलन 56
तालिका 27 : वित्त वर्ष 2011–12 के लिए बिजली खरीद 58
तालिका 28 : वित्त वर्ष 2011–12 के लिए बिजली खरीद 61
तालिका 29 : वार्षिक राजस्व आवश्यकता की गणना (रु करोड़) 63
तालिका 30 : वित्त वर्ष 2011–12 के लिए राजस्व (अंतर)/अतिरिक्त की गणना 63
तालिका 31 : नियंत्रित अवधि के लिए अनुमानित बिक्री 64
तालिका 32 : अनुमानित व्यावसायिक विकास – उपभोक्ताओं की संख्या 65
तालिका 33 : अनुमानित व्यावसायिक विकास – लोड (मैगावाट में) 66
तालिका 34 : नियंत्रित अवधि के दौरान राजस्व बिलिंग (ई टैक्स के संबंध में) 67
तालिका 35 : नियंत्रित अवधि के दौरान संग्रहण कुशलता (%) 68
तालिका 36 : नियंत्रित अवधि में घाटों में कमी 69
तालिका 37 : नियंत्रित अवधि के दौरान, वितरण घाटों की डिवीज़न के अनुसार स्थिति
(पिछले वर्ष घाटों में कमी के स्तरों के प्रतिशत के रूप में) 70
तालिका 38 : नियंत्रित अवधि के दौरान वितरण घाटों की डिवीजन के अनुसार स्थिति 70

तालिका 39 : नियंत्रित अवधि के दौरान ए टी एवं सी घाटे 71
तालिका 40 : नियंत्रित अवधि के दौरान ऊर्जा संतुलन 71
तालिका 41 : नियंत्रित अवधि के दौरान बिजली खरीद मात्रा (एमयू) 73
तालिका 42 : नियंत्रित अवधि के दौरान बिजली क्रय लागत (करोड़ रु में) 76
तालिका 43 : नियंत्रित अवधि के दौरान ट्रांसमिशन घाटे और शुल्क 79
तालिका 44 : विभिन्न स्रोतों से बिजली खरीद की लागत 79
तालिका 45 : नियंत्रित अवधि में मुद्रास्फीति फैक्टर 81
तालिका 46 : कर्मचारी व्यय (करोड़ रु में) 84
तालिका 47 : ए एवं जी व्यय (करोड़ रु में) 85
तालिका 48 : अनुमानित आर एवं एम व्यय (करोड़ रु में) 86
तालिका 49 : अवमूल्यन (करोड़ रु में) 86
तालिका 50 : पूंजी व्यय और वित्त के माध्यम (करोड़ रु में) 87
तालिका 51 : मुनाफा (करोड़ रु में) 88
तालिका 52 : पूंजी का वेटेड औसत खर्च (करोड़ रु में) 88
तालिका 53 : आरआरबी की गणना (करोड़ रु में) 89
तालिका 54 : आयकर की गणना (करोड़ रु में) 90
तालिका 55 : नियंत्रित अवधि के लिए गैर–शुल्क आय (करोड़ रु में) 91
तालिका 56 : वार्षिक राजस्व आवश्यकता की गणना (करोड़ रु में) 91
तालिका 57 : विभिन्न वोल्टेजों पर सकल ऊर्जा बिक्री, वितरण घाटा तथा ऊर्जा इनपुट 92
तालिका 58 : व्हीलिंग कारोबार के लिए लागत का परिसंपत्ति के अनुसार आबंटन 93
तालिका 59 : विभिन्न वोल्टेज स्तरों को आबंटित अनुमानित व्हीलिंग खर्च 93
तालिका 60 : अनुमानित व्हीलिंग शुल्क 94
तालिका 61 : खुदरा आपूर्ति शुल्क 94
तालिका 62 : सप्लाई मार्जिन शुल्क 94
तालिका 63 : आपूर्ति का खर्च 95
तालिका 64 : शुल्क संबंधी प्रस्ताव 96
तालिका 65 : वित्त वर्ष 2011–12 तक नियामक परिसंपत्ति बोझ 102

संलग्नकों की सूची

संलग्नक सं	विवरण
संलग्नक **-1**	डीईआरसी द्वारा 02.12.2011 को पारित आदेश सं. F.3 (290)/Tariff/ DERC/2011-12/C.F.3180
संलग्नक **-2**	डीईआरसी द्वारा डिस्कॉम को जारी संचार संख्या. F.3(290)/Tariff/ DERC/2011-12/C.F.3180/5214 दिनांक 02.12.2011
संलग्नक **-3**	डीईआरसी द्वारा जारी संख्या F.3 (331)/Tariff/DERC/2011-12/3263/5784 दिनांक 16.01.2012
संलग्नक **-4**	बीवाईपीएल पत्र सं. A/CEO/BYPL/11-12/1/3/ 644 दिनांक 02.01.2012
संलग्नक **-5**	माननीय आयोग द्वारा रिट याचिका (C) No. 4821 of 2010 के संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर शपथ–पत्र की प्रति
संलग्नक **-6**	वित्त वर्ष 2010–11 का अंकेक्षित लेखा
संलग्नक **-7**	डीईआरसी पत्र सं 3.(318)/Tariff/DERC/2011-12/OPA No. 3214/5216 दिनांक 02 दिसंबर, 2011
संलग्नक **-8**	फॉर्म सं. 2.1 a में अंकेक्षित बिलिंग सूचना
संलग्नक **-9**	एनआरपीसी अधिसूचना सं. NRPC/SE (O)/Allocations/2011-12 दिनांक 12.12.2011
संलग्नक **-10**	राष्ट्रीय राजधानी सरकार दिल्ली आदेश सं. F.11 (41)/2007- Power/PF-1/1430 दिनांक 20.05.2011
संलग्नक **-11**	बिजलीघर रखरखाव कार्यक्रम – NRPC/SE(O)/LGBR/2011-12 दिनांक 20.01.2011
संलग्नक **-12**	नवंबर 2011 को, केंद्रीय ताप बिजली परियोजनाओं का सीईए ब्रॉड स्टेटस
संलग्नक **-13**	पन बिजली परियोजनाओं की स्थिति पर पर सीईए रिपोर्ट (30 सितंबर, 2011 की स्थिति)
संलग्नक **-14**	डीटीएल पत्र सं. F.DTL/207/DGM (SO)/2011-12/467 दिनांक 31.10.2011
संलग्नक **-15**	वित्त वर्ष 2010–11 की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के समक्ष

सी ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली

फाइल नं __________

प्रकरण संख्या__________

प्रकरण के संबंध में:-

बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)

शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा

नई दिल्ली – 110092

.... **याचिकाकर्ता**

और

के मामले में

वित्त वर्ष 2011–12 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2010–11 के खर्चों के अद्यतन के बारे में याचिका/आवेदन जो दिल्ली विद्युत नियामक आयोग(व्हीलिंग टैरिफ एवं रिटेल सप्लाई टैरिफ की शर्तें) एवं नियमन, 2007 (जिसे बाद में **एमवाईटी नियमन 2007** कहा जाएगा) की धारा 8.4, धारा 8.5, धारा 8.7, धारा 8.8, धारा 8.9, धारा 11.1, धारा 11.2, धारा 11.3, धारा 11.4 और धारा 13.4 के अनुरूप है एमवाईटी अवधि (जिसे इसके बाद दूसरी नियंत्रण अवधि कहा जाएगा) और सेक्शन 62, बिजली अधिनियम 2003 के तहत (जिसे बाद में एक्ट कहा जाएगा) 2012–13 से वित्त वर्ष 2014–15 के बीच सकल राजस्व आवश्यकता के लिए जो आयोग के पत्रांक एफ 3 (331)/टैरिफ/डीईआरसी)2011–12/3263/5784 दिनांक 16.01.2012 नियमन 7.4 से 7.9, नियमन 10.1 से 10.4, नियमन 11.1 और नियमन 12.4 दिल्ली विद्युत नियमन आयोग (व्हीलिंग टैरिफ एवं रिटेल सप्लाई टैरिफ शर्तें) नियंमन 2011 (जिसे बाद में **एमवाईटी नियमन, 2011** लिखा जाएगा) धारा 11 और धारा 28, दिल्ली विद्युत सुधार कानून 2000 जहां तक लागू हो, दिल्ली विद्युत नियमन आयोग (व्यवसायिक आचरण)नियमन 2001 और आयोग द्वारा जारी वितरण एवं खुदरा आपूर्ति विद्युत आपूर्ति के लाइसेंस की शर्त 24 के अनुरूप है।

याचिकाकर्ता अत्यंत आदर के साथ कहना चाहता है कि:

1. यह याचिका दर्ज की जा रही है निम्न के लिए:

(a) एमवाईटी नियमन 2007 के तहत वित्त वर्ष 2010–11 के खर्चों के अद्यतन के लिए

(b) एमवाईटी नियमन 2007 के अनुरूप वित्त वर्ष 2011–12 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के लिए

(c) दूसरी नियंत्रण अवधि में सकल राजस्व आवश्यकता के लिए

यह याचिका है माननीय आयोग के निम्न आदेशों के तहत एवं संदर्भ में :

(a) आदेश संख्या F.3 (290)/Tariff/ DERC/2011-12/C.F.3180 दिनांक 02.12.2011को पारित, ''दिल्ली विद्युत नियमन आयोग (व्हीलिंग टैरिफ एवं रिटेल सप्लाई टैरिफ निर्धारण संबंधी नियम एवं शर्तें) नियमन 2011 की दूसरी नियंत्रण अवधि के तहत

(b) संवाद संख्या F.3(290)/Tariff/ DERC/2011-12/C.F.3180/5214 दिनांक 02.12.2011को जारी दूसरी नियंत्रण अवधि की वितरण कंपनी की एआरआर के तहत

(c) संवाद संख्या F.3 (331)/Tariff/DERC/2011-12/3263/5784 धारा 16.01.2012 को याचिकाकर्ता को जारी दूसरी नियंत्रण अवधि की एआरआर के तहत

उपरोक्त आदेश एवं संवाद की प्रतियां संलग्न हैं जिन पर **''संलग्नक 1''**, **''संलग्नक 2'' और ''संलग्नक 3''** लिखा है।

याचिकाकर्ता यह आवेदन माननीय अपीली प्राधिकरण, विद्युत के विभिन्न फैसलों से प्राप्त अधिकारों और अर्हताओं के साथ समझौता किए बिना दाखिल कर रहा है और इसमें शामिल हैः

(a) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड बनाम दिल्ली विद्युत नियमन आयोग की अपील संख्या 37/2008 दिनांक 30.10.2009

(b) नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड की अपील संख्या 153/2009 के मामले में दिनांक 30.07.2010 को पारित निर्णय

(c) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड बनाम दिल्ली विद्युत नियमन आयोग द्वारा अपील संख्या 147/2009 पर 12.07.2011 को दिया गया निर्णय

(d) शुल्क समीक्षा (विद्युत मंत्रालय से प्राप्त पत्र पर स्वतःस्फूर्त कार्यवाही) शीर्षक से ओपी संख्या 1/2011 पर 11.11.2011 का निर्णय

याचिका के संदर्भ में संक्षिप्त तथ्य

1. बीवाईपीएल, कंपनी कानून, 1956 के तहत गठित कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा, नई दिल्ली – 110092 में है और आपूर्ति एरिया के भीतर बिजली के वितरण एवं आपूर्ति की लाइसेंस धारक है जिसका दायरा माननीय आयोग ने ''लाइसेंस वितरण एवं रिटेल विद्युत आपूर्ति'' में निर्धारित किया है। वीवाईपीएल को जारी किया गया लाइसेंस 12.03.2004 को अस्तित्व में आया और 11.03.2029 तक वैध है।
2. कानून के तहत लाइसेंस की शर्तों और एमवाईटी नियमों के अनुरूप बीवाईपीएल को नियंत्रण अवधि का पहला साल शुरू होने से पहले आने वित्त वर्ष के लिए 120 दिन के भीतर सकल राजस्व एवं सेवा की लागत का अनुमान देना होता है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि पत्रांक A/CEO/BYPL/11-12/1/3/ 644 दिनांक 02.01.2012, के तहत उसने माननीय आयोग से इस मामले में सलाह मांगी। माननीय आयोग ने अपने पत्र F.3 (331)/Tariff/DERC/2011-12/3263/5784 दिनांक 16.01.2012 में दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए याचिकाकर्ता को एआरआर देने को कहा।
3. जैसा ऊपर उल्लेख किया गया, माननीय आयोग ने दिनांक 02.12.2011 ''दिल्ली विद्युत नियमन आयोगन स्वीकृति'' (व्हीलिंग टैरिफ एवं रिटेल सप्लाई टैरिफ शर्तें) नियमन 2011 (**एमवाईटी नियमन 2011**) का आदेश जारी किया जिसमें माननीय आयोग ने दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटी नियमनों को स्वीकृति दी। माननीय आयोग ने कहा कि ये नियमन ''राजपत्रित होने की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे'' और पहले समीक्षा किए जाने या आयोग द्वारा बाद में विस्तारित किए जाने के अलावा ये नियमन प्रभावी होने की तारीख से 3 साल तक लागू रहेंगे।
4. जैसा ऊपर उल्लेख किया गया, माननीय आयोग ने दिनांक 02.12.2011 ''दिल्ली विद्युत नियमन आयोगन स्वीकृति'' (व्हीलिंग टैरिफ एवं रिटेल सप्लाई टैरिफ शर्तें) नियमन 2011 **(एमवाईटी नियमन 2011)** का आदेश जारी किया जिसमें माननीय आयोग ने दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटी नियमनों को स्वीकृति दी। माननीय आयोग ने कहा कि ये नियमन ''**राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे**'' और

पहले समीक्षा किए जाने या आयोग द्वारा बाद में विस्तारित किए जाने के अलावा ये नियमन प्रभावी होने की तारीख से 3 साल तक लागू रहेंगे।

5. उपरोक्त आदेश के आलोक में माननीय आयोग ने अपने पत्र F.3(290)/Tariff/DERC/2011-12/C.F.3180/5214 दिनांक 02.12.2011, जो पठित है पत्र F.3 (331)/Tariff/DERC/2011-12/3263/5783 दिनांक 16.01.2012 में याचिकाकर्ता से निम्न के लिए एआरआर यथाशीघ्र दर्ज करने को कहाः

(a) दूसरी नियंत्रण अवधि एवं वर्ष 2012–13 की शुल्क याचिका के लिए एआरआर

(b) वर्ष 2010–11 के लिए ट्रू–अप याचिका

6. दिनांक 02.01.2012 के पत्र संख्या A/CEO/BYPL/11-12/1/3/ 644 में बीवाईपीएल ने माननीय आयोग को सूचित किया कि आयोग के पत्र के अनुसार एआरआर याचिका को अंति रूप देने की प्रक्रिया चल रही है और वह (i) वित्त वर्ष 2012–15 की एमवाईटी अवधि के लिए एआरआर, (ii) वित्त वर्ष 2012–13 के लिए शुल्क याचिका (iii) वित्त वर्ष 2010–11 के लिए ट्रू–अप आवेदन दर्ज करने को तैयार है। बीवाईपीएल ने माननीय आयोग से राजपत्र में एमवाईटी नियमन 2011 की अधिूसचना/प्रकाशन के अभाव में सलाह मांगी है। बीवाईपीएल के उपरोक्त पत्र की प्रति **संलग्नक 4** में संलग्न है।

7. माननीय आयोग के पत्र संख्या (331)/Tariff/DERC/2011-12/3263/5783 दिनांक 16.01.2012, में दी गई सलाह के आलोक में याचिकाकर्ता यह याचिका दायर कर रहा है ताकि शुल्क का त्वरित निर्धारण किया जा सके। हालाकि याचिकाकर्ता ने यह आवेदन तैयार करते समय पूर्ण प्रयास किए हैं लेकिन यह संभव है कि कुछ पहलू या जानकारियां और/या धोखे से कुछ बातें/तथ्य छूट गए होंगे। इस प्रकार की जानकारी के अभाव को गलती से छूटा माना जाए और इसके आधार पर किसी योग्यता से वंचित न किया जाए। याचिकाकर्ता माननीय आयोग से इस बात की अनुमति और छूट चाहता है कि जरूरत पर पड़ने पर मौजूदा याचिका की पूरक याचिका दाखिल कर उन छूटे हुए तथ्यों को पूरा किया जा सके।

बीवाईपीएल के नकदी प्रवाह की चिंताएं और संशोधित शुल्क की आवश्यकता

इस याचिका में किए गए अनुरोध कि अतिरिक्त बीवाईपीएल निम्न बातें माननीय आयोग के समक्ष विचारार्थ पेश करना चाहती हैः

1. याचिकाकर्ता माननीय आयोग से अनुरोध करता है कि उसे खर्चों की वसूली की अनुमति दी जाए क्योंकि माननीय आयोग के आदेशों और प्रदर्शन मानकों के हिसाब से और विशेषकर बिजली खरीद की भारी लागत और अन्य अनियंत्रित खर्चों के कारण उसे इसकी तत्काल जरूरत है। ऐसा करना अपरिहार्य हो गया है क्योंकि :

a. याचिकाकर्ता ने बिजली की खरीद (नवंबर 11 तक) **5.18 रु प्रति यूनिट** के हिसाब से वित्त वर्ष 2011–12 में खरीदी जबकि आयोग ने यह लागत **4.14 रु प्रति यूनिट** के हिसाब से अनुमानित की थी। वित्त वर्ष 2011–12 में विद्युत खरीद दर में यह फर्क ऐसे कारणों से आया जो नियंत्रण से बाहर थे। इस तरह बिजली खरीद लागत का कुछ हिस्सा ही स्वीकृत शुल्क दर के हिसाब से तय हो पाया क्योंकि बिजली लागत के समायोजन का कोई फार्मूला नहीं था।

b. याचिकाकर्ता को बिजली लागत में अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैश फ्लो में भारी तंगी का सामना करना पड़ रहा है जिसका नतीजा यह है कि बाहरी उधारी से संचालन चलाना पड़ रहा है और यह मॉडल स्थाई नहीं है और यह कानून की धारा 61 के सिद्धांतों के अलावा राष्ट्रीय शुल्क नीति और माननीय आयोग द्वारा तय शुल्क मॉडल के अनुरूप नहीं है।

(c) माननीय आयोग याचिकाकर्ता को दिए गए गैर लागत शुल्क से अवगत है और समय समय पर आयोग ने दिनांक 15.12.2010 को सेक्शन 86 (2)(चार) के तहत दिल्ली सरकार और 4.5.2010 को पत्र लिखकर ये बातें कहीं हैंः

i. आयोग का मानना है कि पिछले साल के शुल्क में लागत की झलक नहीं है।

ii. वितरक लाइसेंसी को अपने संचालनों के लिए बाहरी उधारी का सहारा लेना पड़ा है और इसके लौटने की कोई व्यवस्था इक्विटी में नहीं है।

iii. बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व से वह बिजली खरीद की लागत भी चुकाने की स्थिति में नहीं है और इस वजह से डिस्कॉम को इस मद में भी उधारी लेनी पड़ रही है जिससे उसकी वित्तीय हालत और भी डावांडोल हो गई है।

iv. राजस्व घाटा झेलने के स्तर से परे हो गया है।

v. शुल्क निर्धारण ऊंचे लाभ को मानकर तय करने की अतीत की प्रथा, विभिन्न प्लांटों के चालू होने में होने वाली देरियों को सामने न रखने, सीईआरसी (गैर निर्धारित परिवर्तनीय अधिभारों और संबंधी मामलों) नियमन2009 के संदर्भ में अतिरिक्त ऊर्जा दर को भांपने में विफलता एनटीपीसी के स्टेशनों में परिवर्तनीय लागत के कारण बढ़ी हुई बिजली लागत के कारण ऐसा हुआ।

vi. बिजली खरीद लागत का वसूल राजस्व के 100% से अधिक बढ़ने से लाइसेंसी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है और सभी संचालन बाहरी उधारी पर आश्रित हैं जबकि व्यवसाय चलाने के लिए भी उधारी का ही सहारा है।

vii. वितरक लाइसेंसी उपभोक्ताओं से समयबद्ध ढंग से बिजली खरीद लागत नहीं वसूल पा रहे हैं जिसका नतीजा 18–24 महीने की उधारी में हो रहा है और इस पर काफी ब्याज भी लग रहा है।

viii. इंधन लागत में आने वाले फर्क के लिए इंधन लागत समायोजन के तंत्र की आवश्यकता है।

2. पूर्ण आदर के साथ यह भी कहा जाता है कि माननीय आयोग द्वारा वित्तीय स्थिति की डावांडोल स्थिति के आकलन को दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञों ने भी सही पाया है और कई अवसरों पर इस आकलन की पुष्टि की है।

3. इस स्थिति में याचिकाकर्ता की वित्तीय सेहत और वैधानिक अदायगियों के अलावा बिजली खरीद क्षमता दिनांक 26.08.2011 के आदेश के तहत वित्त वर्ष 2011–12 में सकल राजस्व आवश्यकता का 40% ही रह गई है।

4. याचिकाकर्ता यह पूर्ण आदरपूर्वक कहना चाहता है कि माननीय एटीई ने बिजली मंत्रालय (ओपी 2011) के पत्र पर 11.11.2011 को जारी स्वतःस्फूर्त आदेश में कहा था कि वितरक लाइसेंसी का बड़ा खर्च बिजली खरीदारी की लागत है। ईंधन और बिजली खरीद लागत

अनियंत्रित है और इससे यथाशीघ्र राष्ट्रीय शुल्क नीति के अनुरूप बनाने की जरूरत है। आदेश के प्रासंगिक अंश को यहां दिया जा रहा है:

''इंधन एवं बिजली खरीद लागत वितरक कंपनी का प्रमुख खर्च है जो अनियंत्रित होता है। प्रत्येक राज्य आयोग को ऐसा इंधन एवं बिजली खरीद तंत्र स्थापित करना चाहिए जो कानून की धारा 62(4) के अनुरूप हो। इंधन एवं बिजली खरीद लागत का समायोजन केंद्रीय आयोग के नियमों की तरह ही माहवार आधार पर किया जा ना चाहिए और यह समायोजन एक तिमाही से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जिस किसी राज्य आयोग के पास ऐसा फार्मूला/तंत्र नहीं है उसे इस आदेश के छह माह के भीतर अवश्य स्थापित कर देना चाहिए।''

5. शुंगलू कमेटी रिपोर्ट में भी शुल्क निर्धारण के दौरान नियामकों के लिए तय मानदंडों की समीक्षा की गई और निम्न सिफारिशें की गईं:

''उत्पादन शुल्क में आमतौर पर उत्पाक कंपनी की इंधन लागत में आने वाले परिवर्तनों के लिए एक इनबिल्ट फार्मूला होता है। इस के हिसाब से उत्पादन कंपनियां अपने शुल्क को अद्यतन करती हैं। वितरक कंपनियों के लिए तय शुल्क में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका नतीजा कम वसूली में होता है और यह खर्चों को अद्यतन करने तक इकट्ठा होता जाता है। रिटेल शुल्क में भी इस तरह के प्रावधान कर इस स्थिति को मिटाया या न्यूनतम किया जा सकता है कुछ राज्यों ने सफलतापूवर्क ऐसा किया है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि दूसरे नियामक भी ऐसी ही रिटेल शुल्क दरें न अपनाएं।''

संदर्भ: नंदकिशोर गर्ग बनाम दिल्ली सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय एटीई और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय:

1. **बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड बनाम दिल्ली विद्युत नियामक आयोग शीर्षक से अपील 37/2008 पर माननीय एटीई द्वारा दिनांक 30.10.2009 को दिया गया निर्णय:**

   अपील संख्या 37/2008 बीवाईपीएल ने माननीय आयोग द्वारा दिनांक 23.03.2008 को जारी एमवाईटी आदेश के विरूद्ध दायर की। माननीय एटीई ने इस मामले में 30.10.2009 को अपना फैसला दिया। माननीय एटीई ने वित्त वर्ष 2007–08 के लिए तय मानदंडों में सिद्धांतों का उल्लेख किया जो चुनौती के दायरे में आए मामले से बाहर के मामलों में शुल्क निर्धारण के लिए थे। इसमें देखा उपभोक्ताओं की संख्या के हिसाब से कर्मचारी

लागत का निर्धारण भी शामिल था। माननीय आयोग ने माननीय एटीई के उपरोक्त निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में 2010 की सीए संख्या 980 के तहत चुनौती थी जिसका शीर्षक दिल्ली विद्युत नियमन आयोग बनाम बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड है। हालांकिः

(a) माननीय एटीई द्वारा तय सिद्धांतों को चुनौती नहीं दी गई है और एक तरह से ये अंतिम हैं और माननीय आयोग द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं।

(b) दिनांक 30.10.2009 के निर्णय पर कोई स्थगनादेश नहीं है।

2. वस्तुतः दिनांक 30.10.2009 के माननीय एटीई के निर्णय और उसके सिद्धांतों को शब्दशः और भावना के तहत लागू किया जाना है। ये सिद्धांत पूरे वित्त वर्ष की दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए हैं लेकिन याचिकाकर्ता शुल्क निर्धारण के लिए माननीय आयोग के शुल्क आदेश 26.08.2011 के अनुरूप ही कर रहा है।

3. **बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड बनाम दिल्ली विद्युत नियामक आयोग एवं बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड बनाम दिल्ली विद्युत नियामक आयोग शीर्षक से अपील संख्या 142 एवं 147/2009 पर दिनांक 12.07.2011 दिया गया निर्णय** : याचिककर्ता ने विवि 2009–10 के लिए माननीय आयोग द्वारा 28.05.2009 को जारी शुल्क आदेश को अपील संख्या 147/2009 के तहत बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड बनाम दिल्ली विद्युत नियामत आयोग शीर्षक से माननीय एटीई में चुनौती दी। माननीय एटीई ने बीवाईपीएल की उपरोक्त अपील का 12.07.10 को निस्तारण किया। माननीय न्यायाधिकरण के उपरोक्त निर्णय पर कोई स्थगनादेश/या अपील किसी कोर्ट में नहीं है और याचिकाकर्ता का अनुरोध है आयोग को इस आदेश में तय सिद्धांतों को स्वीकार कर लेना चाहिए जो दोनों एमवाईटी अवधियों (विवि 2007–08 से विवि 2011–12 तथा विवि 2012–13 से विवि 2014–15)के वित्तीय वर्षों के लिए मान्य है।

4. चूंकि माननीय न्यायाधिकरण के इन निर्णयों के खिलाफ कोई स्थगनादेश नहीं है लिहाजा यह प्रार्थना है कि इन फैसलों को लागू किया जाए और इसमें तय सिद्धांतों और इससे मिलने वाले लाभों को याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराया जाए। इन निर्णयों को लागू करना अपरिहार्य हो गया है क्योंकि माननीय एटीई ने माननीय आयोग से उन कुछ दावों पर पुनर्विचार करने कहा है जो मानयी आयोग ने नहीं माने थे। उन दावों का याचिकाकर्ता के

कैश फ्लो से सीधा संबंध है। यहां इसका उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि माननीय आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 4821 (2010) नंद किशोर गर्ग बनाम दिल्ली सरकार एवं अन्य के मामले में दायर शपथ पत्र में कहा था कि माननीय एटीई के आदेश पर किसी स्थगनादेश के अभाव में माननीय एटीई के आदेश के तहत बीवाईपीएल के लाभों पर विचार किया जाएगा और उन्हें तुरंत प्रदान किया जाएगा। आयोग द्वारा दर्ज इस शपथ पत्र की एक प्रति **संलग्नक 5** में संलग्न है।

5. गौर तलब है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही माननीय आयोग से दिनांक 02.12.2009 और 28.07.2011 को याचिकाओं के माध्यम से सपंर्क किया है और माननीय न्यायाधिकरण के निर्णयों को लागू करने का आग्रह किया है। मामला संक्षिप्त रखने के लिए उन याचिकाओं के ब्यौरे को इस याचिका में नहीं दिया जा रहा है। बीवाईपीएल का आग्रह है कि इस याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय आयोग उन याचिकाओं के ब्यौरे का संज्ञान ले।
6. यह गौर तलब है कि माननीय आयेाग ने 26.08.2011 को विवि 2008––09 और विवि 2009–10 को अद्यतन के लिए और विवि 2011–12 की वार्षिक राजस्व जरूरतों के बारे में एक शुल्क आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने इस आदेश की कुछ बातों से असहमति व्यक्त करते हुए माननीय न्यायाधिकरण में अपील की। यदि माननीय एटीई यदि मौजूदा याचिका के दौरान कोई आदेश/निर्देश/निर्णय पारित करता है तो माननीय आयोग से आग्रह है कि वह ऐसे किसी आदेश/निर्देश/निर्णय को विचारार्थ स्वीकार्य और/या कियान्वित करे।
7. याचिका दाखिल करने को बीवाईपीएल के अधिकारों या दावों में कटौती न माना जाए जो उसे लाइसेंस और माननीय आयोग, माननीय एटीई (जिनमें समानता/बराबरी के सिद्धांत शामिल हैं) से प्राप्त हैं।
8. याचिकाकर्ता ने इस याचिका में प्रासंगिक धाराओं की बातों को आंगीकार किया है और माननीय आयोग के विभिन्न निर्देशों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुपालनक का भरसक प्रयास किया है।
9. उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर याचिकाकर्ता ने अपने दायित्वों के निर्वहन में माननीय आयोग के निर्देशों के अनुपालन का पूर्ण प्रयास किया है। अलबत्ता, यदि भविष्य में बीआरपीएल को कोई सूचना हासिल होती है तो याचिकाकर्ता इस अतिरिक्त सूचना को दाखिल करने के लिए याचिका में संशोधन का अपना अधिकार सुरक्षित कर रहा है।

बीआरपीएल आयोग द्वारा शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया में सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। इस याचिका की सामग्री को किसी भी मायने में सीमित, याचिकाकर्ता के अधिकारों को सीमित करने वाला न माना जाए।

10. याचिकाकर्ता ने इस याचिका में विवि 2010–11 के अंकेक्षित खातों की सूचनाओं को आधार बनाया है जो **संलग्नक 6** में संलग्न है। याचिकाकर्ता शुल्क आदेश जारी होने से पहले की एमवाईटी नियमन 2007 की धारा 11.2 और 8.8 के तहत अद्यतन करने के लिए विव 2010–12 की अंकेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराने का अधिकार सुरक्षित करता है।

11. उपरोक्त के संदर्भ में यह अनिवार्य हो जाता है कि माानीय आयोग न्याय के हित में यह सुनिश्चित करे किः

a) राजस्व गैप विव 2011–12 की दूसरी नियंत्रण अवधि की वूसली ताकि याचिकाकर्ता अपने संचालन चला सके और भविष्य में माननीय आयोग के पत्रांक 33.(318)/Tariff/DERC/2011-12/OPA सं. 3214/5215 दिनांक 2 दिसंबर, 2011 के अनुरूप बिजली खरीदारी की लागत वहन कर सके। (**संलग्नक 7 में संलग्न**);

b) एटीई के 11.11.2011 के आदेश की शर्तों के बाद कोई अन्य नियमन न जोड़ा जाए।

c) एटीई के 11.11.2.11 के आदेश के अनुसार बिजली खरीदारी में आई भिन्नता के लिए पीपीएसी का समावेश किया जाए।

d) तय शुल्क में लागत की झलक हो और वसूली खर्चों को स्थगित न किया जाए।

प्रार्थना

उपरोक्त परिस्थितियों में याचिकाकर्ता की प्रार्थना है कि माननीय आयोगः

a) विव 2013 से 2015 के लिए सकल राजस्व जरूरतों तथा विव 2010–11 को अद्यतन करने और विव 2011–12 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के लिए यह याचिका दाखिल कर उसे मान ले।

b) दूसरी नियंत्रण अवधि 2013 से 2015 के लिए कसल राजस्व जरूरतों को मंजूरी प्रदान करे।

c) याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि माननीय आयोग वि 2010–11 के दौरान एटी एंड सी हानियों को कम करने के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक को हासिल किए जाने के फायदों को ग्राहकों तक पहुंचाने का आग्रह स्वीकार कर ले।

d) विव 2011–12 के लिए बीवाईपीएल की प्रदर्शन समीक्षा करे और विव 2010–11 के खर्चों को अद्यतन करे जो अनियंत्रित कारणों जैसे बिजली खरीदारी लागत, ऊर्जा की बिक्री, नई पहल और अन्य ऐसी बातों से बढ़े हैं जो याचिकाकर्ता के हाथों में नहीं हैं।

e) विव 2011–12 के लिए 26.08.2011 के आदेश शुल्क के अनुसार या याचिका एटीई के 11.11.2011 के आदेश और माननीय आयोग के पत्रांक 3.(318)/Tariff/DERC/2011-12/OPA No. 3214/5216 दिनांक 2 दिसंबर, 2011 के अनुसार राजस्व घाटे की वसूली के प्रावधान किए जाएं।

f) शुल्क निर्धारण और खर्चों के समायोजन के समय अपीली विद्युत न्यायाधिकरण के निम्न निर्णयों के सिद्धांतों पर अमल किया जाएः

(i) ओपी संख्या 1/2011 पर 11.11.2011 को पारित निर्णय के अनुसार विद्युत खरीदारी के लिए अनियंत्रित वृद्धि की अनुमति हो और एक समुचित बिजली खरीद फॉर्मूला हो जिसकी मासिक आधार पर समीक्षा की जाए; और

(ii) अपील संख्या 37/2008 पर 16.10.2009 के निर्णय के अनुसार एमवाईटी शुल्क अवधि के लक्ष्यों की पुनर्गणना हो। और

(iii) अपील संख्या 153/2009 पर 30.07.2010 के निर्णय; और

(iv) अपील सं. 147/2009 पर 12.07.2011 के निर्णय एवं 28.05.2009 को शुल्क के तौर–तरीकों एवं लक्ष्यों की समीक्षा।

g) याचिकाकर्ता की व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए विव 2011–12 के लिए विद्युत खरीदारी लागत और बिक्री जैसे अनियंत्रित मामलों की समीक्षा की जाए।

h) याचिकाकर्ता को मौजूदा याचिका के लंबित रहने की अवधि में विव 2011–12 की अंकेक्षित सूचनाएं जमा करने की अनुमति दी जाए और उसे एटीई के ओपी संख्या 1/2011 के संदर्भ में विव 2011–12 के खर्चों के समायोजन के मामले में विचारार्थ लिया जाए। विव 2012–13 के लिए शुल्क निर्धारण आदेश जारी होने से पहले यदि कोई बकाया मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट/माननीय एटीई/माननीय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग/माननीय आयोग के समक्ष फैसले के लिए आए तो माननीय आयोग से आग्रह है कि उसके प्रभावों को विव 2012/13 के शुल्क समायोजन के लिए संज्ञान में लिया जाए। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट/एटीई/आयोग के आदेश शुल्क आदेश के बाद जारी हों तो यह आग्रह है कि उसके प्रभावों को सरचार्ज समेत लागू किया जाए।

i) जिन कंपनियों से याचिकाकर्ता बिजली प्राप्त करता है यदि उन उत्पादन एवं वितरण कंपनियों के लिए कोई समुचित आयोग यदि ताजा शुल्क आदेश जारी करता है तो बिजली खरीदारी और वितरण लागत तय करते समय उस पर गौर किया जाए।

j) सीईआरसी की व्यवस्था के अनुसार 26.08.2011 के शुल्क आदेश के आलोक में बिजली खरीदारी लागत के समायोजन और इंधन कीमत के समायोजन की सावधि समीक्षा के लिए एक तंत्र लागू किया जाए। यह भी प्रार्थना है कि तिमाही समायोजन की व्यवस्था को मासिक कर दिया जा जो एटीई के 1/2011 ओपी सं. पर 11.11.11 के निर्णय के अनुरूप है।

k) नियामक संपदा (जिसमें वहन लागत शामिल है) को नियंत्रण अवधि के दौरान एक पृथक अधिभार से वसूली की अनुमति दी जाए ताकि अतीत की अवधि और विव

2011–12 की अंडर रिकवरी की भरपाई हो सके। पृथक अधिभार से याचिकाकर्ता के लिए वित्त वर्ष के दौरान नियामक संपदा की पहचान होगी।

l) उपरोक्त नियामक संपदा की नियंत्रण अवधि में (विव 13:15) में वसूली की व्यवस्था लागू हो और वर्ष में न्यूनतम 15 प्रतिशत वसूली का प्रावधान हो तथा बाकी मूल राशि पर वहन लागत लगाई जाए।

m) भविष्य में याचिकाकर्ता के सामने आने वाले घटनाक्रमों/तथ्यों/दस्तावेजों को पेश करने तथा अतिरिक्त/परिवर्तन/संशोधन की अनुमति हो।

n) किसी भूलवश हुई त्रुटि/गलती/अंतर/खामियों को क्षमा किया जाए।

o) मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय आयोग कोई आदेश/निर्देश जारी करे।

प्रार्थी

साई कृष्णा

प्रमुख नियामक (बीवाईपीएल)

अधिकृत हस्ताक्षरी

बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड : **याचिकाकर्ता**

BSES

BSES Yamuna Power Limited

Main Petition

1. निर्देशों का अनुपालन

माननीय आयेाग ने याचिकाकर्ता के लिए 26 अगस्त 2011 के शुल्क आदेश में अनेक निर्देश जारी किए हैं जो माननीय आयोग के पत्रांक F.3(102)/Tariff/DERC/2009-10/C.F.No. 2648/4060 दिनांक 18.11.2011 के साथ पठित हैं। याचिकाकर्ता ने विभिन्न प्रतिवेदनों में इन निर्देशों के बारे में सूचना/प्रगति की रिपोर्ट दी है। याचिकाकर्ता यहां माननीय आयोग के निर्देशों के पालन की स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध करा रहा है।

1. **मासिक जोन/जिलावार एटी एंड सी हानियों के ब्यौरे और बिजली खपत एवं राजस्व वसूली के बारे में निर्देश (संदर्भ पैरा 7.1 शुल्क आदेश विव 2011–12)**

   वितरण लाइसेंसी को निर्देश दिया जाता है कि वह मासिक जोन/जिलावार एटी एंड सी हानियों का विवरण और ऊर्जा की खपत एवं उससे प्राप्त वसूली का ब्यौरा इस महीने के अंत से तीन सप्ताह के भीतर दे।

   अनुपालन

   उपरोक्त निर्देश के संबंध में याचिकाकर्ता ने मासिक जोन/जिलावार एटी एंड सी हानियों का विवरण और ऊर्जा की खपत एवं उससे प्राप्त वसूली का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया। यह सूचना इस वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.bsesdelhi.com/regulatoryए

2. **जिन जोन/जिलों में एटी एंड टी हानियां 40 प्रतिशत से अधिक हैं वहां इन्हें कम से कम 10% घटाने का निर्देश (संदर्भ–पैरा 7.2 शुल्क ओदश विव 2011–12)**

   वितरण लाइसेंसी एक साल के भीतर यानी अगस्त 2012 तक उन जोन जिलों में एटी एंड टी हानियां कम से कम 10% कम करे जहां ये 40% से ज्यादा हैं। यह लक्ष्य वितरण लाइसेंसी को अवश्य पूरा करना है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो लाइसेंसी पर जुर्माना लगेगा।

   अनुपालन

याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग के साथ 8 अगस्त 2011 की बैठक में यह स्पष्ट किया कि सिस्टम में तकनीकी हानियां करीब 10.15ः प्रतिशत हैं। उच्च वितरण हानियां भी उच्च तकनीकी हानियों का सामना कर रही हैं और ऐसे इलाकों में जहां ये 40 प्रतिशत से अधिक हैं वहां कटौती

करने के लिए अनेक स्कीमें लागू करनी होंगी। माननीय आयोग ने आश्वस्त किया कि इनकी प्राथमिकता से मंजूरी होगी। याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग के सामने 67 योजनाएं पेश कीं जिन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। चालू वर्ष में तीन महीने से भी कम समय बचा है और इन 67 योजनाओं को लागू कर एटी एंड टी हानियां का लक्ष्य पाना संभव नहीं लगता। यहां यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि लोड के हिसाब से नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पूंजीगत खर्च नाकाफी है और तकनीकी हानियों को इसी स्तर पर बनाए रखने के लिए भी लोड के हिसाब से नेटवर्क को मजबूत करना जरूरी है। एक साल में स्कीमों की मंजूरी नहीं मिलने की स्थिति में इन्हें लागू करना संभव नहीं है। फिर भी याचिकाकर्ता ने एटी एंड टी हानियां को कम करने का भरसक प्रयास किया है। लेकिन हानियां में पर्याप्त कमी योजनाएं लागू करने से ही हो सकती है। उपरोक्त आदेश में माननीय आयोग ने स्वीकार किया है कि लागत को झलकाने वाली शुल्क व्यवस्था न होने से याचिकाकर्ता को अतीत में बोझ का सामना करना पड़ा है। संशोधित आदेश लागू होने के बावजूद याचिकाकर्ता को चालू वर्ष में राजस्व घाटे के भारी बोझ से त्रस्त होना पड़ा है और कैश कम होने की वजह से कई एटी एंड सी हानियां कम करने की योजनाएं लागू नहीं हो पाईं। हालांकि एटी एंड सी हानियों को कम करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है लेकिन उपरोक्त दिक्कतों की वजह से लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं लगता।

3. समायोजन के लिए आवश्यक डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश (केडब्ल्यूएच एवं केवीएएच का जिसमें उपभोक्ताओं की बिलिंग केवीएएच के आधार पर की जाती है। (संदर्भ–पैरा 7.3 शुल्क आदेश 2011–12)

   समायोजन (ट्रू–अप) के लिए सभी डाटा रखा जाएगा और इसे समायोजन आदेश जारी होने से पहले समाप्त नहीं किया जाएगा।

अनुपालन

समायोजन के लिए भी डाटा रखे गए हैं और याचिकाकर्ता के आईएसयू सिस्टम में हैं। ये डाटा विव 2010–11 के समायोजन में श्रेणी वार सेल्स में दिए गए हैं।

4. फॉर्म 2.1 (ए) को वैधानिक अंकेक्षकों से तिमाही आधार पर जांच कराने के संबंध में निर्देश (संदर्भ–पैरा 7.4 शुल्क आदेश विव 2011/12)

वितरक लाइसेंसी को आयोग का निर्देश है कि फॉर्म 2.1 (ए) को किसी वैधानिक अंकेक्षकों से तिमाही आधार पर जांच कराई जाए। तिमाही प्रमाण पत्र आयोग के समक्ष तिमाही की समाप्ति से तीस दिन के भी आयोग के समक्ष दर्ज किया जाए।

अनुपालन

याचिकाकर्ता ने निर्देश का पालन कर दिया है। प्रार्थी ने तिमाही आधार पर अंकेक्षित सूचना जमा करायी है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

पहली तिमाही (अप्रैल 2011 से जून 2011) डाटा पत्रांक A/CEO/BYPL/11-12/1/3/560 दिनांक 21.09.2011 को जमा कराया

दूसरी तिमाही (जुलाई 2011 अगस्त 2011) डाटा पत्रांक |द्धम्द्धठल्च्स्द्ध2011.12द्द1द्ध608 दिनांक 23ण्11ण्2011 को जमा कराया।

तीसरी तिमाही (अक्टूबर 2011 से दिसंबर 2011) डाटा पत्रांक |द्धम्द्धठल्च्स्द्ध2011.12द्द1द्ध3द्ध669 दिनांक 23ण्01ण्2012 को जमा कराया।

5. पावर स्टेशन वार विद्युत खरीदारी के बारे में निर्देश (संदर्भः पैरा 7.5 शुल्क आदेश विव 2011–12)

आयोग का निर्देश है कि वितरक लाइसेंसी पावर स्टेशन वार बिजली खरीदारी का ब्यौरा विभिन्न अंकेक्षित मदों में प्रदान करे।

अनुपालन

विव 2012–12 के खातों को अंतिम रूप देते समय याचिकाकर्ता इस निर्देश का पालन करेगा। विव 2010–11 के लिए बिजली खरीदारी के परिमाण और लागत का अंकेक्षण प्रमाण वैधानिक जांचकर्ताओं से पुष्ट कर माननीय आयोग के पास जमा कराया जा चुका है।

6. अल्पकालिक बिजली खरीदारी के बारे में आयोग के दिशा निर्देशों के पालन के संबंध में निर्देश (संदर्भ पैरा 7.6 शुल्क आदेशक 2011–12)

वितरक लाइसेंसी को निर्देश दिया जाता है किवह अल्पकालिक बिजली खरीदारी के बारे में आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करे। वितरक लाइसेंसी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह 5 रु प्रति केडब्ल्यूएच के अनुबंध के हिसाब से बिजली खरीद

लागत को सीमित रखे। यदि इस दर से अधिक पर खरीदारी की जाए तो इसका असर दस पैसे प्रति के डब्ल्यूएच से अधिक न हो। आयोग बिना किसी बड़े अपवाद के उपरोक्त अल्पकालिक बिजली खरीदारी की मंजूरी देगा और इसे 24 घंटे के भीतर न्यायसंगत ठहराना होगा।

अनुपालन

याचिकाकार्ता ने इस निर्देश का पालन किया है और माननीय आयोग को आज की तारीख तक पत्रों और ईमेल के माध्यम से इसकी जानकारी दी है।

7. केंद्रीय और राज्य के उत्पादन स्टेशनों और ट्रांसमिशन सुविधाओं के बिजलों के समय से भुगतान के संबंध में निर्देश (संदर्भ पैरा 7.7 शुल्क आदेश 2011–12)

वितरक लाइसेंसी केंद्रीय और राज्य के उत्पादन स्टेशनों और पारेषण सुविधाओ के बिलों के समय पर भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। यदि भुगतान में देरी होने पर कोई अधिभार लगेगा तो आयोग ऐसे अधिभार को एआरआर तक आने की अनुमति नहीं देगा।

अनुपालन

शुल्क दरों के लागत पर आधारित नहीं होने के कारण वित्तीय तंगी पैदा होने की वजह से केंद्र और राज्य की उत्पादन एवं पारेषण सुविधाओं का समय से भुगतान न हो पाने का मामला माननीय आयोग के समक्ष विचाराधीन है और माननीय केंद्रीय विद्युत नियामक आयेाग में भी लंबित है।

8. सभी डिविजनों की जीआईएस मैपिंग के बारे में निर्देश (संदर्भ पैरा 7.8 शुल्क आदेशक 2011–12)

आयोग ने वितरक लाइसेंसी को पहले ही निर्देश दिया हुआ है कि वह सितंबर 2011 के अंत तक सभी डिविजनों की जीआईएस मैपिंग पूरी करेगा। वितरक लाइसेंसी इसे डिविजन वार वेबसाइट पर 15 अक्टूबर, 2011 तक अपलोड कर देगा। वितरक लाइसेंसी एक संपदा रजिस्टर बनाएं और इसे आयोग के पास 31 दिसंबर, 2011 तक जमा कराएगा। इस बारे में कोई कोताही होने पर काम पूरा होने तक आगे के पूंजीगत निवेश के प्रस्ताव की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

अनुपालन

याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग के निर्देश का पालन किया है और जीआईएस मैपिंग को वेबसाइट www.bsesdelhi.com. पर अपलोड किया गया है। यह सूचना आयोग को दिनांक 09.11.2011 को आयोजित बैठक के दौरान दी गई है।

9. लाइसेंसी के कार्यालयों, ग्रिड सब स्टेशनों उपभोक्ता सेवा केंद्रों आदि में बिजली की खपत के बारे में निर्देश (संदर्भ पैरा 7.9 शुल्क आदेश 2011–12)

वितरक लाइसेंसी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने कार्यालयों, ग्रिड स्टेशनों, उपभोक्ता केंद्रों आदि में दो माह के भीतर बिजली की खपत की माप करे।

अनुपालन

याचिकाकर्ता ने इस निर्देश पालन कर दिया है और इसकी सूचना आयोग को दे दी है।

10. सुरक्षा अंकेक्षण के बारे में निर्देश (संदर्भ 7.10 शुल्क आदेश विव 2011–12)

आयोग का वितरक लाइसेंसी को निर्देश है कि वह सुरक्षा अंकेक्षण कराए और वितरण सब–स्टेशनों की बाड़ लगाए और बाड़ की समुचित अर्थिंग हो तथा बाड़ के लिए ताले के समुचित इंतजाम किए जाएं।

अनुपालन

याचिकाकर्ता इस निर्देश का पालन करने की प्रक्रिया में है।

11. मीटर सीलिंग/डि–सीलिंग के बारे में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया संबंधी निर्देश (संदर्भ पैरा 7.11 शुल्क आदेशक विव 2011–12)

वितरक लाइसेंसी को निर्देश है कि वह शुल्क आदेश जारी होने के एक माह के भीतर मीटर सीलिंग/डि सीलिंग के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तय कर उसे आयोग से स्वीकृत कराए।

अनुपालन

याचिकाकर्ता ने मीटर सीलिंग/डि सीलिंग के बारे में प्रक्रिया स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पत्रांक A /CEO/BYPL/11-12/3/643 दिनांक 30.12.2011 के माध्यम से भेजा है।

12. मीटर की जांच के बारे में प्रक्रिया जमा कराने के संबंध में निर्देश (संदर्भ पैरा 7.12 शुल्क आदेश विव 2011–12)

वितरक लाइसेंसी शुल्क आदेश जारी होने के एक महीने के भीतर मीटर की जांच प्रक्रिया आयोग के समक्ष जमा कराए।

अनुपालन

याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित मीटर जांच प्रक्रिया आयोग के समक्ष जमा करा दी है जिसका पत्रांक A/CEO/BYPL/11-12/3/642 दिनांक 29.12.2011 है।

13. सभी उपभोक्ताओं को द्विभाषी बिल उपलब्ध कराने के बारे में निर्देश (संदर्भ पैरा 7.13 शुल्क आदेश वित्त वर्ष 2011–12)

वितरक लाइसेंसी सभी उपभोक्ताओं को इस शुल्क आदेश जारी होने के दो माह के भीतर द्विभाषी बिल उपलब्ध कराएगा।

अनुपालन

याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग के निर्देश का पालन कर दिया है और इस आदेश के जारी होने के दो माह बाद से ही द्विभाषी बिल उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है।

14. एटी एंड सी हानियों के बारे में निर्देश (पैरा 7.14 (ए से आई तक) शुल्क आदेश विव 2011–12)

एटी एंड सी हानियों के बारे में आयोग के निर्देशों के बारे में आयोग का याचिकाकर्ता को निर्देश है –

(a) इस माह के तीसरे सप्ताह से आयोग के सामने फॉर्म 2.1 (ए) बिलिंग डाटा के साथ जमा कराया जाए।

(b) तीसरे सप्ताह से माहवार राजस्व एकत्रीकरण का श्रेणी वार डाटा जमा कराया जाए।

(c) फॉर्म 2.1 ए का अंकेक्षित प्रमाण जमा कराया जाए और इसे नियामक खाते में शामिल किया जाए।

(d) तिमाही और वार्षिक बैलेंस शीट में श्रेणीवार स्लैब वार उपभोक्ता ब्यौरा, कनेक्टेड लोड, सेल्स, पावर फैक्टर और तय अधिभार के साथ राजस्व का विवरण दिया जाए।

(e) तिमाही और वार्षिक बैलेंस शीट में एमयू तथा करोड़ रु में बिजली खरीदारी के स्रोत एवं सेल्स की जानकारी दी जाए।

(f) माहवार नए उपभोक्ताओं का श्रेणी वार ब्यौरा तीसरे सप्ताह से मासिक आधार पर जमा कराया जाए।

(g) कनेक्शन काटने या जोड़ने की मासिक जानकारी तीसरे सप्ताह से मासिक आधार पर दी जाए।

(h) बिल संशोधन/जेई प्रविष्टियों की जानकारी तीसरे सप्ताह से मासिक दी जाए।

(i) आयोग को उपभोक्ता श्रेणी परिवर्तन की जानकारी मासिक आधार पर दी जाए।

अनुपालन

याचिकाकर्ता ने निर्देश का पालन किया और इस आशय की सूचना समय –समय पर पत्रों तथा ईमेल के माध्यम से दी है। इसके बाद 28ण्12ण्2011 को आयोग के साथ हुई बैठक में तथा निदेशक – शुल्क के साथ विचार विमर्श के अनुसार एक लैपटॉप आयोग को 11.01.2012 को दिया गया जिसमें आईएसयू टीम द्वारा तैयार सैप और अन्य रिपोर्ट अपलोड थी ताकि आयोग लाइव डाटाबेस से सूचनाएं हासिल कर सके।

2. वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान प्रदर्शन

बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल) निरंतर इस प्रयास में है कि एटी एंड सी का घाटा कम किया जाये और अपना संचालन तंत्र मजबूत किया जाये। वर्ष 2008 में दायर अपील (संख्या 37), जो अभी विचाराधीन है, के बारे में आदरणीय अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के फैसले के मद्देनजर, अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत हैं वित्तीय वर्ष 2010–11 के प्रमुख बिंदु :

- वित्त वर्ष के दौरान, अपीलकर्ता ने अपना एटी एंड सी घाटा कम करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। माननीय आयोग द्वारा एमवाईटी आदेश में वर्ष के लिए 22 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि अपीलकर्ता ने 19.89 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया।
- वर्ष के दौरान वितरण घाटे को 24.12% से 21.7% प्रतिशत तक लाने में सफलता मिली, अर्थात 2.42% की वार्षिक कमी।
- याचिकाकर्ता को वर्ष के दौरान अपने बिलिंग दायरे में 0.76 लाख नये उपभोक्ता जोड़ने में कामयाबी मिली। यानी उपभोक्ता आधार में पिछले साल के मुकाबले 7% का इजाफा हुआ। याचिकाकर्ता वर्तमान में 11.82 लाख उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान कर रहा है, जबकि एमवाईटी अवधि की शुरुआत में यह आंकड़ा 8.95 लाख था।
- याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष के दौरान गैर–टैरिफ आय के रूप में अतिरिक्त राजस्व एकत्रित किया, जिससे कीमतें बढ़ने के बावजूद राजस्व घाटे को काफी हद तक कम करने में मदद मिली।
- याचिकाकर्ता ने वर्ष के दौरान, अपना वितरण तंत्र मजबूत किया और आदरणीय आयोग द्वारा निर्देशित पैमाने पर प्रदर्शन का स्तर भी सुधारा, जिसका विवरण नीचे दिये खंडों में दिया गया है।

माननीय आयोग द्वारा माननीय अपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ("एटीई") के फैसले के अनुरूप वितरण हानि पथ पुनर्निर्धारण के बाद याचिकाकर्ता को भी इस बारे में अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार का अधिकार है।

2.1 वित्त वर्ष 2010–11 में नेटवर्क की वृद्धि / रखरखाव

तालिका 1 : वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान वितरण नेटवर्क में बढ़ोतरी

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2011 की स्थिति
1	बिजली ट्रांसफॉर्मरों की संख्या	135
2	ईएचवी सिस्टम में कुल संस्थापित क्षमता (एमवीए)	2789
3	ईएचवी (66/33 kV) केबलों की कुल लंबाई (किलोमीटर)	742

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2011 की स्थिति
4	66 एवं 33 kV फीडरों की कुल संख्या	142
5	11 kV फीडरों की कुल संख्या	684
6	11 KV केबलों की कुल लंबाई (किलोमीटर)	1752
7	एलटी फीडरों की कुल संख्या	13271
8	एलटी फीडरों की कुल लंबाई (किलोमीटर)	5553
9	संस्थापित ईएचवी शंट कैपेसिटर संख्या	832
10	संस्थापित एलटी शंट कैपेसिटर	89

2.2 पीक मांग की पूर्ति

1198 मैगावाट की पीक मांग को वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान 10 जुलाई 2010 को प्राप्त कर लिया गया।

2.3 वास्तविक एवं प्रदर्शन मानक वित्त वर्ष 2010–11

2.3.1 सामान्य फ्यूज ऑफ कॉल्स

इस मद के तहत उन शिकायतों को लिया गया है जो फ्यूज ऑफ होने के बारे में हैं। माननीय आयोग द्वारा इस तरह के मामलों को सही करने की तय समय सीमा को याचिकाकर्ता ने किस तरह अनुपालित किया है उसका ब्यौरा इस सारणी में है।

तालिका 2 : सामान्य फ्यूज ऑफ कॉल्स

निर्धारित समयावधि / उपाय	प्रदर्शन का मानक	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निर्धारित समयावधि के भीतर निपटायी गई शिकायतों की संख्या	अनुपालन %

शहरी क्षेत्र में तीन घंटे के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में आठ घंटे के भीतर	प्राप्त कॉल्स में से कम–से–कम 99% को शहरों एवं नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधारा जाना चाहिए	493319	490730	99.48%

2.3.2 लाइन ब्रेकडाउन की शिकायतें

इस मद में उन शिकायतों को लिया गया है जो उपभोक्ताओं की ओर से आपूर्ति नहीं मिलने के बारे में थीं। आयेाग द्वारा इसे ठीक करने के दी गई समय सीमा के पालने के बारे में किए गए उपायों का ब्यौरा इस तालिका में है।

तालिका 3 : प्रदर्शन मानक – लाइन ब्रेकडाउन

निर्धारित समयावधि/उपाय	प्रदर्शन का मानक	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निर्धारित समयावधि के भीतर निपटायी गई शिकायतों की संख्या	% अनुपालन
शहरी क्षेत्र में छह घंटे के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में बारह घंटे के भीतर	प्राप्त कॉल्स में से कम–से–कम 95% को शहरों एवं नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधारा जाना चाहिए	6129	6074	99.10%

2.3.3 वितरण ट्रांसफार्मर से जुड़ी शिकायतें

इस मद में उन शिकायतों को लिया गया जो ट्रांसफॉर्मर की खराबी के कारण आपूर्ति नहीं मिलने के बारे में थीं। इस तालिका में याचिकाकर्ता द्वारा ऐसे मामलों को ठीक करने की आयोग की समय सीमा का पालन करने के तथ्य दिए गए हैं।

तालिका 4 : प्रदर्शन मानक – वितरण ट्रांसफार्मर में खराबी

निर्धारित समयावधि/उपाय	प्रदर्शन का मानक	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निर्धारित समयावधि के भीतर निपटायी गई शिकायतों की संख्या	अनुपालन %
जहां कहीं संभव हो, वहां वैकल्पिक स्रोत से चार घंटे के भीतर आपूर्ति बहाल करना	शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में, कम–से–कम 95 फीसदी डीटीआर को निर्धारित समयावधि के भीतर बदला जाए	23	23	100%
बारह घंटे के भीतर दोष दूर कर सामान्य आपूर्ति बहाल करना				

2.3.4 निर्धारित आउटेज से जुड़ी शिकायतें

इसमें उपभोक्ताओं को पूर्व निर्धारित आउटेज के दौरान बिजली आपूर्ति न होने की शिकायतों का उल्लेख है। ऐसी शिकयतों को दूर करने की आयोग की तय समय सीमा का पालन करने के लिए किए गए उपाय इस तालिका में हैं।

तालिका 5 : प्रदर्शन मानक – घोषित कार्यक्रमानुसार बिजली कटौती

निर्धारित समयावधि/उपाय	प्रदर्शन का मानक	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निर्धारित समयावधि के भीतर निपटायी गई शिकायतों की संख्या	अनुपालन %
लगातार एक बार में कटौती की अवधि 12 घंटे से अधिक नहीं होगी	कम से कम 90 फीसदी मामलों पर अनुपालन निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाए	1999	1981	99.10%
शाम 6 बजे तक आपूर्ति की बहाली		1998	1670	83.58%

2.3.5 विश्वसनीयता सूचकांक

वितरक कंपनी की विश्वसनीयता के आंकलन के लिए बाधाओं को प्राथमिकता मानदंड माना गया है। माननीय आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स द्वारा तय 1998 के मानक 1366 को विश्वसनीयता सूचकांक के लिए अपनाया है। माननीय आयोग द्वारा तय तौर तरीके आधार पर लाइसेंसी ने विव 2010–11 के लिए अपने पत्र RA/2010-11/01/A/22 दिनांक 10/05/2011 विश्वसनीयता सूचकांक का ब्यौरा दिया है। विव 2010–11 का ब्यौरा इस प्रकार है।

तालिका 6 : प्रदर्शन मानक – विश्वसनीयता सूचकांक

विश्वसनीयता सूचकांक	वित्त वर्ष 2010-11
एसएआईएफआई	2.51559
एसएआईडीआई	2.99829
एमएआईएफआई	0.00286

2.3.6 आवृत्ति भिन्नता

एकीकृत सिस्टम ऑपरेशन में याचिकाकर्ता ने दूसरे नेटवर्क ऑपरेटरों जैसे डीटीएल, एसवीएलडीएस आदि के साथ आईईजीसी की रेंज में आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी बरकरार रखी है।

2.3.7 बिलों में गलतियों से संबंधित शिकायतें

इसमें उपभोक्ता द्वारा की गई बिल संबंधी शिकायतें शामिल हैं। इस प्रकार की शिकायतों को दूर करने के लिए माननीय आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा तथा याचिकाकर्ता की इस संदर्भ में उपलब्धियों का ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है :

तालिका 7 : बिलिंग संबंधी गलतियां – प्रदर्शन मानक

निर्धारित समयावधि/उपाय	प्रदर्शन का मानक	संशोधित बिलों की संख्या	अवधि के दौरान जारी बिल	संशोधित बिलों का %
लाइसेंसी कुल जारी बिलों के संदर्भ में उन बिलों के प्रतिशत का लेखा–जोखा रखेगा जिनमें	0.2% से अधिक नहीं	4299	7350270	0.06%

शिकायत के उपरांत संशोधन की आवश्यकता है				

2.3.8 दोषपूर्ण मीटरों से संबंधित शिकायतें

दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता एवं प्रदर्शन मानक विनियमन, 2007 के अनुसार, कुल लगाए गए मीटरों की तुलना में दोषी मीटरों का प्रतिशत 3% से कम होना चाहिए। 31.03.2011 को इस मामले में प्रदर्शन इस प्रकार रहा :

तालिका 8 : प्रदर्शन मानक – खराब मीटर

निर्धारित समय सीमा/माप	प्रदर्शन का मानक	दोषी मीटरों की संख्या	कार्यरत मीटरों की संख्या	दोषी मीटरों का %
लाइसेंसी कुल कार्यरत मीटरों के संदर्भ में खराब मीटरों के प्रतिशत का लेखा–जोखा रखेगा	3% से अधिक नहीं	2397	1181539	0.20%

3 वित्त वर्ष 2010–11 का समायोजन

3.1 बिक्री

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग शुल्क एवं खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियमन, 2007 (जिसे आगे ''एमवाईटी विनियमन, 2007'' कहा जाएगा) के अनुच्छेद 4. 2(एफ) के अनुसार, बिक्री तथा बिजली खरीद जैसे अनियंत्रित कारकों के चलते राजस्व/लागत में परिवर्तन को वार्षिक स्तर पर समायोजित किया जाएगा। याचिकाकर्ता के लाइसेंसशुदा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान उपभोक्ताओं को की गई खुदरा बिक्री का श्रेणीगत ब्योरा निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका 9 : श्रेणीगत बिक्री

क्रम सं.	श्रेणी	वित्त वर्ष 2010-11		
		उपभो. सं.	लोड	बिक्री
		(31/03/2011 की स्थिति)	एमडब्लयू	एमयू
1	घरेलू	869,320	1,537	2,404
2	गैर–घरेलू	284,445	978	1,367
3	औद्योगिक	20,187	275	443
A	एसआईपी	*20,158*	*259*	*396*
B	एलआईपी	*29*	*16*	*47*
4	कृषि	53	0	0
5	मशरूम की खेती	8	0	0
6	सार्वजनिक लाइटिंग	-	-	102
7	रेलवे ट्रैक्शन	-	-	-
8	डीएमआरसी	1	19	92
9	अस्थायी आपूर्ति	-	-	1
10	प्रवर्तन	-	-	61
11	निजी खपत	-	-	30
12	अन्य	7,525	86	207
A	पूजा स्थल/अस्पताल	*20*	*28*	*63*
B	स्टाफ	*7,441*	*13*	*26*
C	डायल	-	-	-
D	दिजबो	*64*	*45*	*119*
कुल		**1,181,539**	**2,896**	**4,707**

3.2 राजस्व बिलिंग

अंकेक्षित लेखा के अनुसार, श्रेणीवार राजस्व बिलिंग निम्न तालिका के अनुसार है :

तालिका 10 : श्रेणीगत राजस्व बिल (वित्त वर्ष 2010–11)

क्र.सं.	श्रेणी	करोड़ रु
1	घरेलू	817.8
2	गैर–घरेलू	860.0
3	औद्योगिक	236.5
A	एसआईपी	*211.4*
C	एलआईपी	*25.1*
4	कृषि	0.1
5	मशरूम की खेती	0.0
6	सार्वजनिक लाइटिंग	42.7
7	रेलवे ट्रैक्शन	-
8	डीएमआरसी	29.4
9	अस्थायी आपूर्ति	0.4
10	प्रवर्तन	26.8
11	निजी खपत	-
12	**अन्य**	107.9
A	पूजा स्थल/अस्पताल	*30.7*
B	स्टाफ	*4.1*
C	डायल	-
D	दिजबो	*73.0*
कुल		**2,121.5**

याचिकाकर्ता का निवेदन है कि उपरोक्त सूचना वित्त वर्ष 2010–11 के अंकेक्षित लेखा के अंतर्गत लेखा टिप्पणी अनुच्छेद 22 (ए) में दर्ज है। वार्षिक अंकेक्षित लेखा की प्रति संलग्नक 6 पर उपलब्ध है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अंकेक्षित बिलिंग सूचना को फार्म 2.1ए में दिया है, जो संलग्नक 8 के रूप में उपलब्ध है।

3.3 संग्रहित राशि

वित्त वर्ष 2010–11 की अवधि में संग्रहित राशि 2170.70 करोड़ रु है। श्रेणीगत संग्रहित राशि निम्न तालिका में दी गई है :

तालिका 11 : संग्रहित राशि

क.सं.	श्रेणी	करोड़ रु
1	घरेलू	787.9
2	गैर–घरेलू	946.3
3	औद्योगिक	239.5
A	एसआईपी	*214.6*
C	एलआईपी	*24.9*
4	कृषि	0.1
5	मशरूम की खेती	-
6	सार्वजनिक लाइटिंग	51.4
7	रेलवे ट्रैक्शन	-
8	डीएमआरसी	30.9
9	अस्थायी आपूर्ति	-
10	प्रवर्तन	26.8
11	निजी खपत	-
12	**अन्य**	36.1
A	पूजा स्थल/अस्पताल	*32.0*
B	स्टाफ	*4.2*
C	डायल	-
D	दिजबो	*(0.0)*
13	**सब्सिडी**	**51.7**
कुल		**2,170.7**

याचिकाकर्ता का निवेदन है कि उपरोक्त सूचना वित्त वर्ष 2010–11 के अंकेक्षित लेखा के अंतर्गत लेखा टिप्पणी अनुच्छेद 22 (बी) में दर्ज है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त राशि में पिछली अवधि की बकाया राशि भी शामिल है। वार्षिक अंकेक्षित लेखा की प्रति संलग्नक 6 पर उपलब्ध है।

3.4 एटी एवं सी घाटा

याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 12 : लक्ष्यों की तुलना में एटी एवं सी घाटों के संबंध में उपलब्धियां

विवरण	यूओएम	वित्त वर्ष 2010-11		
		वास्तविक	एमवाईटी	बेहतर उपलब्धि
एटी एवं सी घाटे संबंधी लक्ष्य	%	19.89%	22.00%	**2.11%**

3.5 एटी एवं सी घाटे में निर्धारित लक्ष्य से अधिक हासिल करने के लाभ

इस प्रकार बेहतर प्रदर्शन के चलते कुल 7.08 करोड़ रु का लाभ हुआ, जो कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 13 : एटी एवं सी घाटे संबंधी निर्धारत लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन के फायदे

विवरण	यूओएम	लक्ष्य स्तर	वास्तविक
		X	Y
A. एटी एवं सी घाटे	%	22%	19.89%
B. लक्ष्य से अधिक उपलब्धि	%		2.11%
C. ऊर्जा लागत	Mus		6,012.2
D. वसूली गई यूनिट	Mus		4,816.2
E. औसत बिलिंग दर	रु/यूनिट		4.51
F. वसूली गई राशि	करोड़ रु		2170.7
G. लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन के चलते कुल राशि (Y-X)	करोड़ रु	57.1	
H. बेहतर प्रदर्शन के चलते याचिकाकर्ता के पास रहने वाली राशि	करोड़ रु	30.0	
I. बेहतर प्रदर्शन के चलते मिले लाभ का इस्तेमाल राजस्व अंतर को पाटने के लिए करना	करोड़ रु	27.1	

याचिकाकर्ता इस बेहतर प्रदर्शन के चलते मिले फायदे को याचिकाकर्ता के उपभोक्ताओं को, एमवाईटी विनियमन, 2007 के संदर्भ में, देने का माननीय आयोग से अनुरोध करता है।

3.6 एआरआर के लिए उपलब्ध राजस्व

तालिका 14 : एआरआर के लिए उपलब्ध राजस्व की गणना (करोड़ रु)

विवरण	वित्त वर्ष 2010-11
संग्रहित राशि	2,170.7
घटा : ई टैक्स	88.1
घटा : एलपीएससी	17.3
घटा : एटी एवं सी घाटे में लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन के चलते डिस्कॉम के पास रहने वाली राशि	30.0
घटा : डिस्कॉम समायोजन	0.4
टैरिफ आय से मिलने वाले राजस्व को एआरआर के लिए उपलब्ध कराना	**2,034.8**

3.5 बिजली खरीद और ट्रांसमिशन लागत

याचिकाकर्ता द्वारा बिजली खरीद पर किया गया वास्तविक व्यय, ट्रांसमिशन लागत समेत, इस प्रकार है :

तलिका 15 : वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान बिजली खरीद लागत

क्र.सं.	स्टेशन	मात्रा	राशि	औसत दर
		एमयू	करोड़ रु	Rs. /kWh
A	एनटीपीसी			
1	अंटा गैस	43.9	14.6	3.31
2	औरेया गैस	78.2	24.6	3.14
3	बीटीपीएस	914.2	349.0	3.82
4	दादरी गैस	102.5	32.3	3.15
5	फरक्का	35.4	12.8	3.62
6	कहलगांव 1	74.1	22.2	2.99
7	एनसीपीपी	1,254.9	400.7	3.19
8	रिहंड -I	190.9	38.8	2.03
9	रिहंड D –II	272.0	61.8	2.27

क्र.सं.	स्टेशन	मात्रा	राशि	औसत दर
		एमयू	करोड़ रु	Rs. /kWh
10	सिंगरौली	316.4	60.7	1.92
11	ऊंचाहार –I	41.3	11.5	2.77
12	ऊंचाहार –II	84.9	24.1	2.84
13	ऊंचाहार -III	50.3	16.4	3.26
14	तलचेर	214.0	76.0	3.55
15	तलचेर	-	0.0	
16	दादरी एक्स.	1,145.4	427.6	3.73
	एनटीपीसी	**4,818.4**	**1,573.1**	**3.26**
B	**एनएचपीसी**			
1	बैरा सियुल	20.9	2.1	1.01
2	चमेरा –I	51.8	7.7	1.49
3	चमेरा –II	54.2	17.9	3.30
4	धौलीगंगा	41.7	9.1	2.19
5	दुलहस्ती	79.3	83.0	10.46
6	स्लल	102.6	8.0	0.78
7	टनकपुर	12.7	2.0	1.60
8	उड़ी	91.0	15.2	1.67
	एनएचपीसी कुल	**454.3**	**145.1**	**3.19**
C	**टिहरी एचईपी**	**89.1**	**43.1**	**4.83**
D	**एनजेपीसी (सतलुज)**	**188.3**	**53.6**	**2.85**
E	**ताला एचईपी**	**28.6**	**5.3**	**1.84**
F	**डीवीसी**	**168.3**	**49.5**	**2.94**
G	**परमाणु**			
1	एनपीसीआईएल–आरएपीएस – 3	5.2	1.4	2.62
2	एनपीसीआईएल–आरएपीएस – 4	88.8	26.5	
3	एनपीसीआईएल–एनएपीएस	47.8	9.8	2.04
	परमाणु योग	**141.8**	**37.6**	**2.65**
G	**एसजीएस**			
1	आईपी स्टेशन	-	0.1	
2	राजघाट	194.5	67.8	3.48
3	गैस टरबाइन	382.9	150.1	3.92

क्र.सं.	स्टेशन	मात्रा	राशि	औसत दर
		एमयू	करोड़ रु	Rs. /kWh
4	प्रगति -I	483.6	147.6	3.05
	एसजीएस कुल	**1,061.1**	**365.6**	**3.45**
H	**भविष्य के स्टेशन**			
1	सेवा –II	13.3	6.5	4.86
2	अरावली पावर कार्पोरेशन लिमि	14.2	6.3	4.47
	भविष्य के कुल स्टेशन	**27.5**	**12.8**	**4.66**
I	**अन्य स्रोतों से बिजली खरीद**			
1	राज्य के भीतर बिजली बिक्री	19.6	7.5	3.82
2	द्विपक्षीय बिक्री/आईईएक्स	1,022.4	563.8	5.51
3	यूआई बिक्री	(3.1)	7.8	
5	बैंकिंग	350.4	140.2	4.00
	अन्य खरीद योग	**1,389.3**	**719.2**	**5.18**
J	**अन्य स्रोतों को बिजली की बिक्री**			
1	राज्य के भीतर बिजली बिक्री	74.8	29.3	3.92
2	द्विपक्षीय बिक्री/आईईएक्स	992.4	333.0	3.36
3	यूआई बिक्री	511.6	182.0	3.56
5	बैंकिंग	326.2	130.5	4.00
	कुल बिक्री	**1,905.0**	**674.7**	**3.54**
K	**सकल योग**	**6,461.8**	**2,330.1**	**3.61**
L	**ट्रांसमिशन घाटा/शुल्क**			
1	अंतरराज्यीय	347.5	170.9	
2	राज्य के भीतर	102.1	105.1	
M	**डिस्कॉम की परिधि में शुद्ध बिजली खरीद लागत**	**6012.2**	**2,606.1**	**4.33**

3.6 बिजली खरीद लागत (वास्तविक के संदर्भ में स्वीकृत)

माननीय आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2010–11 में याचिकाकर्ता की वास्तविक लागत के संदर्भ में बिजली खरीद की मात्रा निम्न तालिका के अनुसार है :

तालिका 16 : वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान बिजली खरीद की लागत

क्र.सं.	स्टेशन	डीईआरसी द्वारा स्वीकृत			वास्तविक			अंतर		
		मात्रा (A)	राशि (B)	औसत लागत (C=B*10/A)	मात्रा (D)	राशि (E)	औसत लागत (F=E*10/D)	मात्रा (D-A)	राशि (E-B)	औसत लागत (F-C)
		MU	Rs. Cr.	Rs./ kWh	MU	Rs. Cr.	Rs./ kWh	MU	Rs. Cr.	Rs./ kWh
1	**दीर्घकालिक स्रोतों से बिजली खरीद**									
a	एनटीपीसी	1,682.6	377.8	2.25	2,649.4	823.4	3.11	966.8	445.6	0.86
b	एनएचपीसी	425.8	74.3	1.74	454.3	145.1	3.19	28.5	70.8	1.45
c	डीवीसी				168.3	49.5	2.94	168.3	49.5	2.94
d	अन्य पनबिजली *	285.6	89.1	3.12	306.0	102.0	3.33	20.4	12.8	0.21
e	एनपीसीआईएल	45.4	10.2	2.25	141.8	37.6	2.65	96.4	27.4	0.40
f	एसजीएस	3,565.3	897.0	2.52	3,230.1	1,115.3	3.45	(335.1)	218.3	0.94
g	भविष्य के स्टेशन	1,439.8	409.6	2.84	27.5	12.8	4.66	(1412.3)	(396.8)	1.81
	1 का कुल जोड़	**7,444.5**	**1,858.1**	**2.50**	**6,977.5**	**2,285.6**	**3.28**	**(467.04)**	**427.5**	**0.78**
2	**अन्य लघु अवधि के स्रोत**									
a	लघु अवधि की खरीद	279.95	153.63	5.49	1389.35	719.24	5.18	1109.40	565.61	(0.31)
b	लघु अवधि की बिक्री	(1815.57)	(592.09)	3.26	(1904.98)	(674.71)	3.54	(89.41)	(82.62)	0.28
	2 का कुल जोड़	**(1535.62)**	**(438.46)**		**(515.64)**	**44.53**		**1019.98**	**482.99**	
3	**ट्रांसमिशन (घाटा/शुल्क)**									
a	अंतरराज्यीय	(236.64)	91.41		(347.53)	170.93		(110.89)	79.52	
b	राज्य के भीतर	(73.25)	101.46		(102.07)	105.05		(28.82)	3.59	
	3 का कुल जोड	**(309.89)**	**192.87**		**(449.60)**	**275.98**		**(139.71)**	**83.11**	
4	**कुल (1+2+3)**	**5598.99**	**1612.48**	**2.88**	**6012.22**	**2606.10**	**4.33**	**413.23**	**993.62**	**1.45**

** टिहरी, एनजेपीसी और ताला एचईपी शामिल*
 # बीटीपीएस, एनसीपीपी, आईपीजीसीएल और पीपीसीएल शामिल

3.9 कर संबंधी खर्च

लेखा परीक्षण के अनुसार, याचिकाकर्ता ने रु. 27.37 करोड़ की धनराशि आयकर के रूप में जमा की है। इसीलिए यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2010–11 की एआरआर की गणना करने में प्रयुक्त की गयी है।

3.10 नये कदम

मननीय आयोग ने अपने एमवाईटी टेरिफ ऑर्डर के अनुच्छेद 4.146 में याचिकाकर्ता को कोई भी नया कदम उठाने से पूर्व उसका पूर्व अनुमोदन कराने हेतु निर्देशित किया है। संबंधित एमवाईटी ऑर्डर के संबंधित अंश यहां पुनः प्रस्तुत हैं :

"4.146: उपरोक्त के मद्देनजर, आयोग का मानना है कि याचिकाकर्ता को तंत्र की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि दिल्ली के उपभोक्ताओं पर तंत्र की कमियों का भार कम से कम पड़े। आयोग याचिकाकर्ता को कोई भी नया कदम उठाने से पूर्व उसकी उचित लागत लाभ विश्लेषण करने और आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु पेश करने के लिए भी निर्देशित करता है।"

बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड बनाम डीईआरसी एवं अन्य के मामले में याचिकाकर्ता की 2008 की अपील संख्या 36 पर 2 मई 2008 को दिये अपने लिखित आदेश में माननीय आयोग ने कहा है कि –

"उपरोक्त के बारे में प्रतिवादी क्रमांक 1 का सादर निवेदन है कि अपीलकर्ता को एमवाईटी अवधि में कोई भी नया कदम उठाने का अधिकार है बशर्ते उस नये कदम को लागत लाभ विश्लेषण के अनुरूप सही ठहराया जा सके। यदि लागत लाभ विश्लेषण की रिपोर्ट सकारात्मक है तो इसका मतलब यह हुआ कि अपीलकर्ता नये कदमों पर जो भी खर्च कर रहा है उस पर अपीलकर्ता उससे कहीं अधिक धन बचा रहा है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा पेश एमवाईटी फ्रेमवर्क अपीलकर्ता को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि वो तो अपीलकर्ता को प्रभावी संचालन की स्वतंत्रता देता है। पूर्व नियमों के विपरीत, यह अपीलकर्ता को बेहतर प्रबंधन एवं उच्च प्रभावी संचालन के लिए पुरस्कृत करता है।"

माननीय आयोग की उपरोक्त टिप्पणियां माननीय एटीई की अपील संख्या 36 वर्ष 2008 के दिनांक 06.10.2009 के फैसले में भी दर्ज हैं।

निवेदन है कि याचिकाकर्ता ने कानून सम्मत एवं अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ कदम उठाये व उन पर काफी अधिक धन खर्च किया, जिसे माननीय आयोग द्वारा मंजूर किया जा सकता है।

3.10.1 क्रेडिट रेटिंग

नये लागू हुए बेसिल 2 नियमों के तहत बैंकिंग की (फंड / नॉन–फंड आधारित) क्रेडिट रेटिंग सुविधाएं आवश्यक हो गयी हैं, जिनके अंतर्गत उच्च लागत पर अनरेटेड सुविधाएं दी जानी हैं, क्योंकि अनरेटेड सुविधाओं पर कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट 4.5 प्रतिशत अधिक है।

उपरोक्त नियमों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को क्रेडिट रेटिंग हासिल करने के लिए रु. 20 लाख की धनराशि लगानी पड़ी है।

उल्लेखनीय है कि क्रेडिट रेटिंग एक अनिवार्य शर्त है, इसलिए इस पर लागत लाभ विश्लेषण लागू नहीं होता। आदरणीय आयोग ने जिस आधार पर एक नॉर्मेटिव वार्षिक वृद्धि की अनुमति दी है, वो इसमें शामिल नहीं है। इसलिए आदरणीय आयोग से प्रार्थना है कि इसे अनियंत्रित खर्च मानें और वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अलग से इसकी अनुमति दें।

3.10.2 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर व्यय

याचिकाकर्ता ने अपने लाइसेंस वाले क्षेत्र में चोरी रोकने के लिए सीआईएसएफ की तैनाती की है। उनका वेतन और अन्य भत्तों, वाहनों, अस्त्र–शस्त्र, उपकरणों एवं आवास आदि पर खर्च तथा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के परिणामस्वरूप देय खर्च इसमें शामिल है। उल्लेखनीय है कि चोरी रुकने के चलते होने वाले संग्रहण में, जो कि राजस्व का ही हिस्सा है, इस बल की तैनाती के बाद काफी बढ़ गया है।

यह ऐसा खर्च है जिसका बोझ वित्त वर्ष 2007–08 से ही पड़ा है, अतः यह वित्त वर्ष 2006–07 के आधार व्यय में शामिल नहीं था। लिहाजा, उक्त रियायती और समझदारी भरे खर्च को माननीय आयोग द्वारा परिचालन एवं रखरखाव खर्च की मंजूरी के तहत् सामान्य वृद्धि में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए इस खर्च की अलग से मंजूरी दी जानी है। याचिकाकर्ता द्वारा वित्त वर्ष 10–11 में 10 लाख रु का वास्तविक खर्च वहन किया गया। अतः याचिकाकर्ता आयोग से वित्त वर्ष 10–11 के खर्चों के समायोजन में इस पर भी विचार करने का अनुरोध करता है।

3.10.3 ऑडिटर्स सर्टिफिकेट की लागत

आदरणीय आयोग हेतु विभिन्न खर्चों व राजस्व संबंधी ऑडिट सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के चलते लेखा परीक्षकों को दिये जाने वाले लेखा परीक्षण शुल्क में वृद्धि हो गयी है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, माननीय आयोग ने विद्युत खरीद लागत, छठे वेतन आयोग के भुगतान व असर जैसी सूचनाओं को लेखा परीक्षकों से प्रमाणित करवाना अनिवार्य कर दिया, जिस पर याचिकाकर्ता को 8 लाख रु की धनराशि व्यय करनी पड़ी।

उल्लेखनीय है कि एमवाईटी अवधि में ए एंड जी खर्चों की अनुमति देते समय माननीय आयोग ने वित्त वर्ष 2006–07 के लिए खर्चों को आधार माना था, तब माननीय आयोग की ओर से वित्तीय लेखा की ऑडिटिंग के अतिरिक्त अन्य कोई मांग नहीं की गयी थी। इसलिए, माननीय आयोग से

निवेदन है कि वह याचिकाकर्ता को ऑडिट फीस की मद पर व्यय की गयी अतिरिक्त राशि की अनुमति प्रदान करे, क्योंकि यह याचिकाकर्ता के नियंत्रण से परे थी।

3.10.4 एसएलपी संख्या 4270/ 2006 में उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने में हुआ खर्च

उपरोक्त मामले में भारत के आदरणीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान 0.89 करोड़ खर्च रु करने पड़े हैं। यह खर्च दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम 2000 के नियमानुसार 1 जुलाई 2002 से पहले के तत्कालीन डेल्ही इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग (दिल्ली विद्युत बोर्ड की पूर्ववर्ती) के कर्मचारियों संबंधी देनदारियों जैसे कि उनकी सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाने, अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदि से संबंधित था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत वित्त वर्ष 2010–11 में हुआ यह व्यय याचिकाकर्ता के नियंत्रण से परे था। इसलिए इस पर अलग से विचार करने की आवश्यकता है।

3.10.5 प्रशिक्षण पर हुआ व्यय

भारत में विद्युत क्षेत्र के लिए सीईए द्वारा 7 जून 2002 को प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के तहत विद्युत क्षेत्र में प्रारंभिक स्तर पर एवं सेवा के दौरान मानव संसाधन विकास हेतु उचित प्रशिक्षण का प्रावधान है।

तदनुसार याचिकाकर्ता ने अपने कर्मचारियों के लिए कई तरह के सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। बीवाईपीएल को लर्निंग संगठन के तौर पर स्थापित करने की एचआर संबंधी नीति के अनुरूप, कर्मचारियों को लगातार नई क्षमताओं को हासिल करने में सक्षम बनाने संबंधी एक विधिवत प्रशिक्षण नीति निर्देशिका वर्ष 2010–2011 में तैयार की गईं कर्मचारियों को ट्रेनिंग इंफ्रा–नॉलेज सेंटर में प्रशिक्षण दिलाया जाता है और इसके लिए भारत के प्रतिष्ठित तकनीकी प्रबंधन संस्थानों की फैकल्टी तथा बीवाईपीएल के उन कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं जिन्हें संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है।

वित्त वर्ष 2010–11 में प्रशिक्षण को 3 स्तरों में बांटा गया :

- **तकनीकी स्तर** :

इसके तहत एलटी एवं एचटी मेंटीनेंस कार्यक्रमों के जरिये कर्मचारियों के ज्ञान को बढ़ाया गया। श्नीडर एवं एबीबी स्विच गियरों पर उपकरण प्रशिक्षण दिया गया। मीटर प्रौद्योगिकी एवं ऊर्जा लेखा परीक्षण, ईएचवी रखरखाव, ईएचवी का बचाव तथा फाल्ट रिले एवं सैप आईएस–यू का प्रशिक्षण दिया गया।

- **संचालन स्तर** :

डीईआरसी के नियमानुसार प्रशिक्षण, डीटी ट्रेनिंग, संचार एवं प्रस्तुतिकरण स्किल्स में प्रमाणपत्र कार्यक्रम तथा सम्पूर्ण बिजली अभियान जैसे कार्यक्रम चलाए गये (जो डिवीजनों में उपभोक्ता उन्मुख संस्कृति को तैयार करने में सहायक होते हैं)।

- **व्यावहारिक स्तर :**

सामूहिक रूप से कार्य करने और हौसला अफजाई संबंधी कार्यक्रम चलाये गये।

- नये कर्मचारियों के लिए एक माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम में तकनीकी व व्यावहारिक पक्षों पर कक्षाओं में प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न विभागों में फील्ड विजिट करवाई गयी, ताकि नये भर्ती हुए कर्मचारियों को काम व संगठन की पूरी जानकारी हो सके।

व्यावहारिक, तकनीकी एवं संचालन संबंधी प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों पर याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2010–11 में 11 लाख रु व्यय किये। प्रशिक्षण को एनटीपी के नियमानुसार, एक अनिवार्य भाग मानते हुए इस पर व्यय हुई धनराशि को याचिकाकर्ता ने वार्षिक राजस्व जरूरतों के तहत रखा है।

3.10.6 सामग्री प्राप्त करने हेतु निविदा लागत

आदरणीय आयोग द्वारा सामग्री, मशीनरी एवं सेवाओं संबंधी निवेश हेतु जारी प्रतियोगी निविदा निर्देशों के तहत रु. 0.25 करोड़ से अधिक की धनराशि के लिए खुली निविदा का प्रावधान है। इसके बाद माननीय आयोग द्वारा 9 अक्टूबर 2009 को जारी परिवर्तित दिशा–निर्देशों के अनुसार इस राशि को 0.25 करोड़ से बढ़ाकर 1 करोड़ रु कर दिया गया।

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि चूंकि पूर्व के वर्षों में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, अतएव वित्तीय वर्ष 2010–11 में विज्ञापनों पर अतिरिक्त धन लगाना पड़ा।

ज्ञातव्य है कि माननीय आयोग के इस निर्देश की पूर्ति के लिए यह जरूरी हो गया कि याचिकाकर्ता 4 लाख रु के इस अतिरिक्त खर्च को वित्त वर्ष 2010–11 की वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं में शामिल करे। याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि माननीय आयोग वित्त वर्ष 2010–11 के इस खर्च को अलग से अनुमति प्रदान करें।

3.10.7 माननीय आयोग को अदा की गयी लाइसेंस फीस

लाइसेंस शर्तों के सेक्शन 12 के अनुसार, याचिकाकर्ता को विगत वित्तीय वर्ष में बिलिंग की गयी राशि का 0.05% के बराबर लाइसेंस फीस जमा करना जरूरी है। चूंकि पिछले वित्तीय वर्ष की बिक्री एवं बिलिंग राशि अनियंत्रित किस्म की है, इसलिए माननीय आयोग को दी गयी लाइसेंस फीस को वित्तीय वर्ष 2006–07 में दी गयी लाइसेंस फीस से अलग माना जाये, क्योंकि यह भी नियंत्रण से परे है।

एमवाईटी रेगुलेशंस 2007 के तहत बिक्री में वृद्धि होने से, याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में दी गयी चक्रवृद्धि लाइसेंस फीस का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है :

तालिका 17 : चक्रवृद्धि लाइसेंस शुल्क (करोड़ रु)

लाइसेंस शुल्क	यूओएम	वित्त वर्ष 09-10	वित्त वर्ष 10-11
बिल राशि	करोड़ रु	1,944.0	
स्वीकृत लाइसेंस शुल्क	करोड़ रु		0.61
वास्तविक खर्च	करोड़ रु		0.97
चक्रवृद्धि खर्च	करोड़ रु		0.36

लिहाजा, याचिकाकर्ता आयोग से वित्त वर्ष 10–11 के व्यय को समायोजित करते समय, 0.36 करोड़ रु की चक्रवृद्धि लाइसेंस फीस की राशि पर भी विचार करने का अनुरोध करता है।

नई पहल पर किया गया कुल व्यय निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 18 : नई पहल/अन्य अनियंत्रित मानकों का संक्षिप्त ब्योरा

विवरण	करोड़ रु
केडिट रेटिंग	0.20
सीआईएसएफ व्यय	0.10
डीईआरसी को भुगतान की गई चक्रवृद्धि लाइसेंस फीस	0.36
ऑडिटर प्रमाणपत्र की लागत	0.08
प्रशिक्षण व्यय	0.11
सामग्री खरीद के लिए टेंडर लागत	0.04
कुल	0.89

3.11 अन्य नियंत्रण योग्य खर्चे

याचिकाकर्ता ने माननीय एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलैक्ट्रिसिटी (एटीई) के समक्ष टैरिफ आदेश 26.08.2011 के विरुद्ध अपील दायर की है। एटीई का फैसला आने तक, याचिकाकर्ता ने एटीई के पिछले आदेशों के अनुपालन और प्रवर्तन के मामले में, कोई पूर्वाग्रह बरते बगैर वार्षिक राजस्व आवश्यकता की गणना के मकसद से खुद को एमवाई टैरिफ आदेश दिनां 23.02.2008 में निर्धारित लक्ष्यों तक सीमित रखा है। इन लक्ष्यों पर निर्भरता का अर्थ किसी दावे, अधिकार या पात्रता में छूट के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा संशोधित लक्ष्यों की मांग से नहीं है जिनके संदर्भ में इसने (2008 की अपील 37 और 2009 की 147 के संदर्भ में एटीई आदेश दिनांक 06.10.2009 और 12.

07.2011 के क्रियान्वयन की प्रार्थना करने वाली याचिका) माननीय आयोग के समक्ष अलग याचिका दायर की है। इस याचिका के अंशों पर यहां जोर दिया जा रहा है लेकिन संक्षिप्तता की वजह से उन्हें दोहराया नहीं जा रहा , लेकिन उन पर उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के संदर्भ में याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 26.08.2011 के अनुसार परिचालन एवं रखरखाव व्यय, अवमूल्यन और आरओसीई पर विचार किया है।

3.12 वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान एपीआर और राजस्व (घाटा/अतिरिक्त)

माननीय आयोग द्वारा एमवाईटी टैरिफ आदेश के संदर्भ में याचिकाकर्ता के आकलन के अनुसार अनुमानित एपीआर को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 19 : वार्षिक राजस्व आवश्यकता की गणना (करोड़ रु)

विवरण	वित्त वर्ष 10-11		
	डीईआरसी द्वारा स्वीकृत	वास्तविक	अंतर
व्यय			
बिजली खरीद की लागत	1,419.6	2,330.1	910.5
अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क	91.4	170.9	79.5
राज्य के भीतर ट्रांसमिशन (दिल्ली ट्रांस्को) शुल्क	101.5	105.1	3.6
परिचालन एवं रखरखाव खर्च	269.4	269.4	-
अवमूल्यन के प्रति अग्रिम समेत अवमूल्यन	114.4	114.4	-
याचिकाकर्ता की नई पहल		0.9	0.9
आरओसीई	146.4	146.4	-
अतिरिक्त लाभ	6.1	6.1	-
आयकर	2.0	27.4	25.4
अपील सं 153/2009 में एटीई आदेश के संदर्भ में व्यय	-	0.9	0.9
निजीकरण से पूर्व की अवधि से संबंधी कानूनी मामलों का खर्च	-	15.3	15.3
घटा			-
अन्य आय (व्हीलिंग शुल्क से होने वाली आय समेत)	49.8	76.2	26.4
ब्याज	9.1	-	(9.1)
कुल राजस्व आवश्यकता (A-B)	**2,091.9**	**3,110.7**	**1,018.7**

तालिका 20 : वित्त वर्ष 10–11 के दौरान राजस्व (अंतर/अतिरिक्त) की गणना (करोड़ रु)

विवरण	करोड़ रु
वित्त वर्ष 10–11 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता	3,110.7
एपीआर के लिए उपलब्ध राजस्व	2,034.8
राजस्व (अंतर/अतिरिक्त)	**(1,075.8)**

याचिकाकर्ता आदरपूर्वक यह निवेदन करता है कि वित्त वर्ष 2010–11 में 1075.8 करोड़ रु के राजस्व घाटे को एमवाईटी नियंत्रण अवधि वित्त वर्ष 2012–13 से वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान विनियमन संपत्ति वसूली के तहत् वहन खर्च के साथ वसूलने की अनुमति प्रदान की जाए जो कि एटीआई द्वारा 11 नवंबर, 2011 के आदेश में 2011 के ओपी संख्या 1 में भी निर्देशित है।

4. वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा विव 2011–12

एमवाईटी नियमन 2007 की धारा 11.1 के तहत माननीय आयोग किसी अप्रत्याशित परिणाम के कारण सावधि समीक्षा कर सकता है। एमवाईटी नियमन के प्रासंगिक अंश को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

"11.1 मल्टी ईयर टैरिफ (एमवाईटी) के समुचित क्रियान्वयन के लिए आयोग लाइसेंसी के प्रदर्शन की नियंत्रण अवधि में सावधि समीक्षा कर सकता है ताकि किसी व्यवहारिक मुद्दे, समस्या या अप्रत्याशित नतीजे का समाधान किया जा सके।

11.2 वितरक लाइसेंसी अपनी वार्षिक समीक्षा के तहत आयोग द्वारा तय लक्ष्यों को सामने रखते हुए प्रदर्शन का आकलन करेगा जो नियंत्रण अवधि से शुरू होगा। इसमें प्रदर्शन और खातों का बयान शामिल है। इसमें अंकेक्षित/वास्तविक खाते और नियमों के अनुरूप तय किए गए शुल्क भी शामिल हैं।"

माननीय आयोग ने विव 2011–12 के लिए खर्च का अनुमान लगाया है जो विव 2009–10 के अंकेक्षित खातों और नवंबर 2011 तक की वास्तविक राशियों पर आधारित है। यह एकदम स्पष्ट है कि अनियंत्रित खर्चों और खरीदारी के मामलों में भारी फर्क है। बिजली खरीदारी लागत में भिन्नता को पाटने की कोई व्यवस्था न होने की स्थिति में याचिकाकर्ता पर कम वसूली लागत का बोझ बेहद बढ़ गया है। बिजली खरीदारी लागत में भिन्नता होने से याचिकाकर्ता के राजस्व पर बहुत असर पड़ा है और उपभोक्ताओं पर भी इसका बोझ आया है।

माननीय एटीई ने अपने 11.11.11 के ओपी संख्या 1/2011 के मामले में भी इसी प्रकार का मत व्यक्त किया है। उसके प्रासंगिक अंश यहां प्रस्तुत हैं:

इस न्यायाधिकरण यह बार बार कहा है कि नियमन और समय पर समायोजन अवश्य होना चाहिए क्योंकि :

(a) कोई भी अनुमान वास्तविक स्थिति के बराबर नहीं पहुंच सकता।

(b) अतीत के साल के बोझ/लाभ भविष्य के उपभोक्ताओं तक नहीं जाने चाहिएं।

(c) शुल्क को अद्यतन करने और समायोजन में देरी होने से निम्न हालात पैदा होते हैं–

(i) उपभोक्ताओं पर गैर जरूरी बोझ पड़ता है जैसा कि पैरा 5.3 (एच)(4) में स्वीकार किया गया है।

(ii) लाइसेंसी के लिए नकदी प्रवाह की दिक्कत आती है।

माननीय आयोग को इस बात का पता है कि याचिकाकर्ता नकदी प्रवाह की समस्या का सामना कर रहा है और ऐसा लागत को न झलकाने वाली शुल्क व्यवस्था के कारण हुआ है। लिहाजा याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि माननीय आयोग सेल्स और बिजली खरीदारी, विव 2011–12 के लिए सावधि समीक्षा करे ताकि याचिकाकर्ता की समस्याओं और अप्रत्याशित नतीजों का समाधान हो सके।

4.1 बिक्री

याचिकाकर्ता ने विव 2011–12 के लिए श्रेणीवार अनुमान जाहिर किए हैं जो इन निम्न संभावनाओं पर आधारित हैं:

- पूरे वित्त वर्ष के लिए विव 2011–12 के आठ महीनों के ट्रेंड जारी रहेंगे।
- सीईए की 17 वी ईपीएस रिपोर्ट पर आधारित औद्योगि, कृषि, रेलवे और अन्य श्रेणियों की वृद्धि दर जस की तस बरकरार रहेगी।
- विव 10–11 की इंटर स्लैब आवंटन यूनिट वास्तविक है।
- उपभोक्ताओं और लोड का अनुपात पिछले साल के अनुपात पर बना रहेगा।

उपरोक्त के आधार पर वित्त वर्ष 2011–12 के लिए श्रेणीवार सेल्स इस प्रकार है।

तालिका 21 : श्रेणीगत बिक्री

क.सं.	श्रेणी	वित्त वर्ष 2011-12		
		उपभोक्ताओं की संख्या	लोड MW	बिक्री MU
1	प्रवर्तन	915,286	2,222	2,684
2	निजी खपत	299,736	1,196	1,551
3	**अन्य**	17,894	277	443
A	पूजा स्थल/अस्पताल	*17,869*	*259*	*394*
B	स्टाफ	*25*	*18*	*49*
4	डायल	53	0	0
5	दिजबो	7	0	0
6	प्रवर्तन	-	-	107
7	निजी खपत	-	-	-
8	**अन्य**	1	21	104
9	पूजा स्थल/अस्पताल	-	-	0
10	स्टाफ	-	-	27
11	डायल	-	-	34
12	दिजबो	7,508	114	224
A	प्रवर्तन	*22*	*30*	*71*
B	निजी खपत	*7,420*	*18*	*28*
C	**अन्य**	-	-	-
D	पूजा स्थल/अस्पताल	*66*	*66*	*125*
कुल		**1,240,485**	**3,830**	**5,175**

4.2 राजस्व बिल

याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग द्वारा दिनांक 26.08.2011 के टैरिफ आदेश में स्वीकृत प्रत्येक टैरिफ श्रेणी के लिए निर्धारित टैरिफ के मुताबिक राजस्व बिल (स्थिर एवं ऊर्जा शुल्क) का आकलन किया है।

प्रत्येक टैरिफ स्लैब के संदर्भ में, पावर फैक्टर को, जिसमें टैरिफ को kVA/ kVAh के रूप में निर्धारित किया गया है, माननीय आयोग द्वारा वित्त वर्ष 11–12 के अपने टैरिफ आदेश में उसी स्तर पर स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त विधि के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान कुल राजस्व 2516 करोड़ रु होने का अनुमान लगाया है। अलबत्ता, माननीय आयोग के 26.08.2022 के टैरिफ आदेश में स्वीकृत संशोधित टैरिफ के प्रभावों की नवंबर 11 में ही पहचान की गई, इस संदर्भ में निवेदन है कि वित्त वर्ष 11–12 के दौरान वास्तविक राजस्व बिल याचिकाकर्ता द्वारा अनुमानित राशि से कम होगा। याचिकाकर्ता द्वारा अनुमानित राजस्व बिल नीचे तालिका में दिया गया है :

तालिका 22 : राजस्व बिल का श्रेणीगत विवरण (ई–टैक्स के संदर्भ में)

क्र.सं.	श्रेणी	करोड़ रु
1	घरेलू	983.1
2	गैर–घरेलू	1,051.2
3	औद्योगिक	258.1
A	एसआईपी	*231.0*
C	एलआईपी	*27.1*
4	कृषि	0.1
5	मशरूम की खेती	0.0
6	सार्वजनिक लाइटिंग	56.4
7	रेलवे ट्रैक्शन	-
8	डीएमआरसी	36.0
9	अस्थायी आपूर्ति	0.2
10	प्रवर्तन	13.2
11	निजी खपत	-
12	**अन्य**	117.9
A	पूजा स्थल/अस्पताल	*30.9*
B	स्टाफ	*6.3*
C	डायल	-
D	दिजबो	*80.7*
कुल		**2,516.2**

4.3 संग्रहित राशि

याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान 98.5% की संग्रहण कुशलता को आधार बनाते हुए 2476 करोड़ रु का राजस्व संग्रहित (ई टैक्स की शुद्ध राशि) होने का अनुमान व्यक्त किया है।

4.4 वितरण घाटा

याचिकाकर्ता ने माननीय एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलैक्ट्रिसिटी (एटीई) के समक्ष अपील कर माननीय आयोग द्वारा टैरिफ आदेश दिनांक 26.08.2011 में निहित डिवाइजन आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने की संकल्पना को चुनौती दी है। एटीई का फैसला आने तक, याचिका में उठाए गए विवादों के प्रति पूर्वाग्रह बरते बगैर, याचिकाकर्ता ने वार्षिक राजस्व आवश्यकता की गणना के लिए खुद को माननीय आयोग के टैरिफ आदेश में दी गई विधि तक ही खुद को सीमित रखा है।

इस पर निर्भरता का अर्थ याचिकाकर्ता के दावे, अधिकार या पात्रता में छूट की मांग नहीं है।

याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग के साथ 8 अगस्त, 2011 को बैठक में सिस्टम में घाटों को 10 से 15 फीसदी तक बताया। अधिक वितरण घाटे वाले क्षेत्रों में भी ऊंचे तकनीकी घाटों तथा उन क्षेत्रों में घाटों में कमी का असर है और यहां घाटा घटाने की योजनाओं के कियान्वयन में कैपेक्स की आवश्यकता होगी। माननीय आयोग ने ऐसी सभी योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने का भरोसा दिलाया है। याचिकाककर्ता ने तदनुसार माननीय आयोग के समक्ष योजनाओं को जमा कराया है। याचिकाकर्ता ने कुल 67 योजनाएं जमा करायी हैं जिन्हें अभी मंजूरी नहीं दी गई है। यह भी निवेदन है कि घाटों के स्तर को ही बरकरार रखने के लिए, कैपेक्स को लोड में विकास के अनुरूप होना चाहिए और मंजूरी प्राप्त योजनाओं के अभाव में, आवश्यक कैपेक्स योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता। अलबत्ता, याचिकाककर्ता एटी एवं सी घाटों को हर संभव तरीके से नियंत्रित रखने के प्रयास कर रहा है, लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि घाटे में कमी सिर्फ घाटा कम करने की योजनाओं को लागू करने से ही आ सकती है।

याचिकाककर्ता ने अपनी सभी 14 बिजनेस डिवीज़नों के संदर्भ में वितरण घाटों में कमी का अनुमान जताया है जो वित्त वर्ष 2010–11 में मौजूदा वितरण घाटा प्रोफाइल पर आधारित है। अधिक घाटा स्तरों वाली डिवीज़नों में दूसरों के मुकाबले अधिक तेजी से घाटा कम होने का अनुमान है।

याचिकाककर्ता ने वितरण घाटों को तकनीकी और वाणिज्यिक घाटों में बांटा है। याचिकाककर्ता द्वारा कराए गए अध्ययन के मुताबिक, सिस्टम में कुल 10 से 15 फीसदी तकनीकी घाटा है। उपरोक्त कारणों के मद्देनज़, यह निवेदन है कि याचिकाककर्ता ने सिस्टम में तकनीकी घाटों में किसी कमी का प्रावधान नहीं किया है। कुल वितरण घाटों में से, अनुमानित तकनीकी घाटा करीब

10 फीसदी है जो विभिन्न डिवीज़नों में अनुमानित वाणिज्यिक घाटों के आधार पर प्राप्त हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक, वाणिज्यिक घाटे निम्न तालिका के अनुसार कम किए जा सकते हैं :

तालिका 23 : वित्त वर्ष 2011–12 के लिए वितरण घाटा लक्ष्यों का आधार

क.सं.	वाणिज्यिक घाटे वाली डिवीजन	मौजूदा स्तर के % रूप में घाटे का प्रावधान
1	40% से अधिक	10%
2	40% से 30%	10%
3	30% से 20%	8%
4	20% से 10%	6%
5	10% से 0%	5%

उपरोक्त के आधार पर, वित्त वर्ष 2011–12 में डिवीज़नों के स्तर पर वितरण घाटा लक्ष्य निम्नानुसार है :

तालिका 24 : वित्त वर्ष 2011–12 के लिए डिवीजनों के स्तर पर वितरण घाटा लक्ष्य

क.सं.	डिवीजन का नाम	वित्त वर्ष 10–11 के दौरान वितरण घाटा	मौजूदा स्तर के % रूप में घाटे का प्रावधान	वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान वितरण घाटा लक्ष्य
1	चांदनी चौक	26.34%	6%	24.76%
2	दरिया गंज	28.38%	6%	26.68%
3	पहाड़ गंज	27.30%	6%	25.67%
4	शंकर रोड	8.00%	0%	8.00%
5	पटेल नगर	12.32%	5%	11.70%
6	झिलमिल	10.76%	5%	10.22%
7	दिलशाद गार्डन	17.32%	5%	16.45%
8	कृष्णा नगर	22.57%	6%	21.22%
9	लक्ष्मी नगर	13.95%	5%	13.25%
10	मयूर विहार	19.73%	5%	18.75%
11	मयूर विहार - III	6.26%	0%	6.26%
12	यमुना विहार	43.45%	10%	39.11%
13	करावल नगर	22.14%	6%	20.81%
14	नंद नगरी	33.66%	8%	30.97%
	कुल	**21.71%**	**6%**	**20.48%**

4.5 एटी एवं सी घाटा

वित्त वर्ष 11–12 का एटी एवं सी घाटा अनुमानित वितरण घाटे और 98.5% संग्रहण कुशलता के मद्देनज़र तय किया गया है।

तालिका 25 : वित्त वर्ष 11–12 के दौरान एटी एवं सी घाटा

क.सं.	विवरण (%)	वित्त वर्ष 12
1	वितरण घाटा	20.48%
2	संग्रहण कुशलता	98.50%
3	एटी एवं सी घाटा	21.67%

यह निवेदन किया जाता है कि वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय पैनल की रिपोर्ट (शुंगलू समिति की रिपोर्ट) में कहा गया है कि सामान्य टी एंड डी घाटों के आधार पर रिटेल टैरिफ तय करने और वास्तविक घाटों को नजरंदाज करने से वितरण कंपनियों का राजस्व नुकसान होता है। अतः, याचिकाकार्ता आदरपूर्वक यह निवेदन करता है कि टैरिफ का निर्धारण करते समय वास्तविक एटी एवं सी घाटों पर लक्ष्य के तौर पर विचार करना चाहिए ताकि इस प्रकार के लक्ष्य स्तरों से बेहतर उपलब्धियां हासिल की जा सकें और उपभोक्ताओं के साथ उनके लाभ को साझा किया जा सके और साथ ही याचिकाकर्ता पर एटी एवं सी घाटों के संबंध में निर्धारित अवास्तविक लक्ष्यों को हासिल न करने की स्थिति में अतार्किक दण्ड भी नहीं लगाया जाना चाहिए।

4.6 ऊर्जा संतुलन

घाआ कम करने के उपरोक्त उपायों और संभावित ऊर्जा बिक्री के आधार पर वित्त वर्ष 2011–12 के लिए ऊर्जा संतुलन की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका 26 : वित्त वर्ष 2011–12 के लिए ऊर्जा संतुलन

विवरण	यूओएम	वित्त वर्ष 11-12
ऊर्जा बिल	MU	5,174.8
वितरण घाटे	%	20.48%
टी एंड डी इंटरफेस में	**MU**	**6,507.5**

आवश्यक ऊर्जा		

4.7 बिजली खरीद

उत्पादन एवं ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा नवंबर 2011 तक जारी बिलों पर आधारित खर्चों पर भी विचार किया गया है। साथ ही, दिसंबर 2011 से मार्च 2012 के लिए लागत का अनुमान लगाते समय निम्न को आधार बनाया गया है :

- नवीनतम टैरिफ आदेशों और लागू टैरिफ विनियमनों के अनुसार स्थिर और परिवर्तनीय लागत।
- पिछले वर्ष के मुकाबले सिर्फ 2 फीसदी की बढ़त को आधार बनाकर अनुमानित अन्य शुल्क
- मांग के निर्धारण के लिए एनआरपीसी विधि के अनुसार पीएलएफ को स्वीकार किया गया है।
- अप्रैल–नवंबर 2011 के दौरान वास्तविक एफपीए के आधार पर एफपीए को आधार बनाया गया।
- संयंत्र रखरखाव कार्यक्रम एनआरपीसी के अनुरूप
- सीईआरसी एवं डीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार ऑग्जिलियरी खपत
- द्विपक्षीय खरीद/विशिष्ट माह की बिक्री के संदर्भ में मासिक घाटा/अतिरिक्त
- लघु अवधि की खरीद/बिक्री की वास्तविक औसत कीमत के अनुसार द्विपक्षीय खरीद/बिक्री दर (अर्थात अप्रैल 11 से नवंबर 11 तक)

भविष्य के स्टेशनों से उपलब्धता आकलन के संबंध्ध में निम्न पर विचार किया गया :

- सीईए ब्रॉड स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार सीओडी पर विचार
- सभी ताप बिजलीघरों और पनबिजली संयंत्रों की डिजाइन एनर्जी के लिए 80 फीसदी पीएलएलफ को आधार बनाया गया

- ऑग्ज़ियलरी खपत ताप बिजलीघरों के लिए 9 फीसदी, गैस आधारित संयंत्रों के लिए 3 फीसदी और पन बिजली संयंत्रों के लिए 1 फीसदी रखी गई
- कुल ऊर्जा उपलब्धता की गणना के लिए एक्स–बस उत्पादन पर लागू डीईआरसी पीपीए रीएसाइनमेंट आदेश दिनांक 31 मार्च, 2007 के अनुसार प्रभावी हिस्सेदारी
- उसी क्षेत्र में समानन मौजूदा यूनिटों के संदर्भ में माह विशेष के दौरान वास्तविक खर्च के आधार पर कीमत पर विचार

उपरोक्त के आधार पर, बिजली खर्च और मात्रा को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 27 : वित्त वर्ष 2011–12 के लिए बिजली खरीद

क्र.सं.	स्टेशन	मात्रा (एमयू)			राशि (करोड़ रु)			औसत दर
		नवं 11 तक	दिसं 11 से मार्च 12	वित्त वर्ष 11-12	नवं 11 तक	दिसं 11 से मार्च 12	वित्त वर्ष 11-12	Rs. /kWh
A	**एनटीपीसी**							
1	अंटा गैस	41.8	23.7	65.5	21.7	10.3	32.0	4.88
2	औरेया गैस	61.2	40.4	101.6	21.7	16.6	38.3	3.77
3	बीटीपीएस	627.4	360.5	987.8	269.3	128.9	398.2	4.03
4	दादरी गैस	84.5	51.6	136.1	28.2	20.4	48.6	3.57
5	फरक्का	15.9	13.7	29.6	8.1	8.0	16.1	5.42
6	कहलगांव	48.4	32.2	80.6	21.4	14.8	36.3	4.50
7	एनसीपीपी	844.2	459.7	1,303.9	333.4	204.0	537.4	4.12
8	रिहंड-I	149.6	66.7	216.3	34.5	20.1	54.6	2.53
9	रिहंड-II	168.7	90.9	259.5	39.5	26.9	66.4	2.56
10	सिंगरौली	203.8	104.9	308.7	39.7	25.8	65.5	2.12
11	ऊंचाहार -I	29.6	16.7	46.3	10.9	5.7	16.6	3.58
12	ऊंचाहार -II	58.5	33.6	92.1	21.6	11.8	33.4	3.63
13	ऊंचाहार -III	41.2	15.9	57.2	20.1	6.7	26.7	4.67
14	कहलगांव चरण-II	116.5	75.8	192.2	51.2	39.5	90.7	4.72
15	तालचेर	-	-	-	(0.1)	0.0	(0.1)	
16	दादरी एक्स यूनिट 5 एवं 6	1,017.8	432.0	1,449.7	466.1	195.9	661.9	4.57
	एनटीपीसी कुल	**3,509.0**	**1,818.3**	**5,327.3**	**1,387.2**	**735.3**	**2,122.6**	**3.98**

B	एनएचपीसी							
1	बैरा सियुल	16.8	3.2	20.0	5.5	0.8	6.3	3.12
2	चमेरा -I	50.6	4.5	55.1	10.8	1.6	12.4	2.25
3	चमेरा -II	51.4	3.4	54.8	11.3	2.9	14.1	2.58
4	धौलीगंगा	39.0	3.7	42.7	21.3	2.5	23.8	5.58
5	दुलहस्ती	69.7	8.0	77.7	54.5	9.2	63.7	8.20
6	सलल	86.7	9.1	95.9	12.1	1.9	14.1	1.47
7	टनकपुर	12.8	2.2	15.0	5.3	0.8	6.1	4.09
8	उड़ी	61.6	14.3	75.9	23.8	3.7	27.5	3.62
	एनएचपीसी कुल	**388.7**	**48.4**	**437.1**	**144.6**	**23.3**	**168.0**	**3.84**
C	**टिहरी एचईपी**	**89.6**	**20.3**	**110.0**	**36.2**	**14.3**	**50.5**	**4.59**
D	**एनएचपीसी (सतलुज)**	**180.8**	**20.9**	**201.8**	**39.3**	**14.9**	**54.2**	**2.69**
E	**ताला एचईपी**	**25.9**	**14.0**	**39.9**	**4.8**	**2.6**	**7.3**	**1.84**
F	**डीवीसी**	**199.8**	**15.4**	**215.1**	**91.6**	**8.0**	**99.6**	**4.63**
G	**परमाणु**							
1	एनपीसीआईएल–आरएपीएस – 3 एवं 4	(0.0)	-	(0.0)	(0.0)	0.0	0.0	
2	एनपीसीआईएल–आरएपीएस – 5 एवं 6	79.5	26.8	106.3	24.1	8.1	32.1	3.02
3	एनपीसीआईएल–एनएपीएस	32.7	5.3	38.0	6.7	1.1	7.8	2.05
	परमाणु कुल	**112.2**	**32.0**	**144.2**	**30.7**	**9.2**	**40.0**	**2.77**
H	**एसजीएस**							
1	आईपी स्टेशन	-	-	-	-	-	-	
2	राजघाट	136.5	-	136.5	80.9	-	80.9	5.92
3	गैस टरबाइन	232.5	118.7	351.2	110.9	65.4	176.3	5.02
4	प्रगति -I	343.6	171.8	515.4	112.2	66.5	178.7	3.47
	एसजीएस कुल	**712.6**	**290.4**	**1,003.1**	**303.9**	**131.9**	**435.8**	**4.35**
I	**भविष्य के स्टेशन**							
1	सेवा -II	15.4	2.0	17.4	6.1	1.8	7.9	4.52
2	चमेरा -III	-	0.7	0.7	-	0.2	0.2	2.76
3	उड़ी -II	-	2.5	2.5	-	0.4	0.4	1.56

4	कोटेश्वर	7.3	5.5	12.8	3.9	2.3	6.2	4.82
5	अरावली पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	120.0	215.4	335.4	80.4	122.1	202.5	6.04
6	प्रगति -III, बवाना	-	298.0	298.0	-	126.6	126.6	4.25
7	मेजिया टीपीएस एक्स	-	187.4	187.4	-	74.7	74.7	3.99
8	चंद्रपुर एक्स	-	171.3	171.3	-	68.3	68.3	3.99
9	कोडरमा टीपीएस	-	110.7	110.7	-	44.1	44.1	3.99
10	दुर्गापुर स्टील	-	160.6	160.6	-	64.0	64.0	3.99
	भविष्य के स्टेशन कुल	**142.7**	**1,154.0**	**1,296.7**	**90.4**	**504.6**	**594.9**	**4.59**
J	**अन्य स्रोतों से खरीदी गई बिजली**							
1	राज्य के भीतर खरीदी गई बिजली	16.7	-	16.7	6.4	-	6.4	3.81
2	द्विपक्षीय/आईईएक्स	0.7	46.2	46.9	0.3	18.4	18.6	3.97
3	बैंकिंग	412.3	-	412.3	164.9	-	164.9	4.00
4	यूआई खरीद	-	-	-	-	-	-	
	अन्य खरीद कुल	**429.7**	**46.2**	**475.9**	**171.6**	**18.4**	**189.9**	**3.99**
K	**अन्य स्रोतों को बेची गई बिजली**							
1	राज्य के भीतर बेची गई बिजली	61.2	-	61.2	22.7	-	22.7	3.71
2	द्विपक्षीय/आईईएक्स	328.5	1,064.0	1,392.5	91.7	323.1	414.8	2.98
3	बैंकिंग	101.5	348.8	450.3	40.6	139.5	180.1	4.00
4	यूआई बिक्री	449.4	-	449.4	135.5	-	135.5	3.02
	कुल बिक्री	**940.7**	**1,412.8**	**2,353.5**	**290.6**	**462.7**	**753.3**	**3.20**
L	**कुल जोड़**	**4,850.4**	**2,047.3**	**6,897.7**	**2,009.7**	**999.9**	**3,009.6**	**4.36**
M	**ट्रांसमिशन (घाटा/शुल्क)**							
1	अंतरराज्यीय			275.1	167.5	83.8	251.3	
2	राज्य के भीतर			115.0	199.6	99.8	299.4	

N	डिस्कॉम के स्तर पर शुद्ध बिजली खरीद लागत		6,507.5	2,376.8	1,183.4	3,560.3	5.47

यह भी उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता द्वारा अप्रैल 11 से नवंबर 11 के दौरान प्राप्त हुए वास्तविक बिलों के आधार पर प्रस्तुत उपरोक्त संशोधित आकलन माननीय आयोग द्वारा वित्त वर्ष 11–12 के टैरिफ आदेश में स्वीकृत आकलनों से कहीं अधिक हैं। माननीय आयोग द्वारा याचिकाकर्ता के आकलन के संदर्भ में स्वीकृत बिजली खरीद मात्रा तथा लागत नीचे तालिका में दिया गया है :

तालिका 28 : वित्त वर्ष 11–12 के दौरान बिजली की खरीद (वास्तविक के संदर्भ में स्वीकृत)

क्र.सं.	स्टेशन	डीईआरसी द्वारा स्वीकृत			वास्तविक			अंतर		
		मात्रा (A)	राशि (B)	औसत खर्च (C=B*10/A)	मात्रा (D)	राशि (E)	औसत खर्च (F=E*10/D)	मात्रा (D-A)	राशि (E-B)	औसत खर्च (F-C)
		MU	Rs. Cr.	Rs./ kWh	MU	Rs. Cr.	Rs./ kWh	MU	Rs. Cr.	Rs./ kWh
1	दीर्घकालिक स्रोतों से बिजली खरीद									
a	एनटीपीसी	3,137.2	925.7	2.95	3,035.6	1,187.0	3.91	(101.6)	261.3	0.96
b	एनएचपीसी	411.6	99.0	2.40	437.1	168.0	3.84	25.5	69.0	1.44
c	डीवीसी	185.1	62.9	3.40	215.1	99.6	4.63	30.1	36.6	1.23
d	अन्य पनबिजली*	292.8	65.5	2.24	351.6	112.1	3.19	58.8	46.6	0.95
e	एनपीसीआईएल	145.2	38.5	2.65	144.2	40.0	2.77	(1.0)	1.4	0.12
f	एसजीएस	3,574.5	1,290.6	3.61	3,294.8	1,371.4	4.16	(279.7)	80.8	0.55
g	भविष्य के स्टेशन	1,863.5	720.9	3.87	1,296.7	594.9	4.59	(566.8)	(125.9)	0.72
	1 का कुल जोड	**9,609.8**	**3,203.1**	**3.33**	**8,775.2**	**3,572.9**	**4.07**	**(834.59)**	**369.79**	**(4.43)**
2	अन्य लघु अवधि के स्रोत									
a	लघु अवधि की खरीद	0.0	0.0		475.9	189.9	3.99	475.93	189.92	3.99
b	लघु अवधि की बिक्री	(2846.18)	(1024.62)	3.60	(2353.47)	(753.26)	3.20	492.71	271.36	(0.40)
	2 का कुल जोड़	**(2846.18)**	**(1024.62)**		**(1877.54)**	**(563.35)**		**968.64**	**461.28**	
3	ट्रांसमिशन (घाटा/शुल्क)									
a	अंतरराज्यीय	(310.77)	155.62		(275.14)	251.27		35.63	95.65	

b	राज्य के भीतर	(119.03)	285.02		(115.03)	299.44		4.00	14.42	
	3 का कुल जोड	**(429.80)**	**440.64**		**(390.17)**	**550.71**		**39.63**	**110.07**	
4	**कुल (1+2+3)**	**6333.86**	**2619.13**	**4.14**	**6507.54**	**3560.27**	**5.47**	**173.68**	**941.15**	**1.34**

* *टिहरी, एनजेपीसी और ताला एचईपी शामिल*

\# *बीटीपीएस, एनसीपीपी, आईपीजीसीएल और पीपीसीएल शामिल*

4.8 सैप प्लेटफार्म पर एसैट लाइफ साइकिल मॉड्यूल का विकास

तत्कालीन दिल्ली विद्युत बोर्ड से परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के बाद, याचिकाकर्ता ने नेटवर्क परिचालनों से संबंधित प्रणाली को बेहतर बनाने के मकसद से परिसंपत्तियों को उन्नत बनाने पर काफी निवेश किया है, ओर साथ ही डीवीबी से प्राप्त परिसंपत्तियों का भी रखरखाव किया है। इसी तरह, याचिकाकर्ता ने डीवीबी से प्राप्त सूचना प्रणालियों को पूरी तरह उन्नत बनाने के प्रयासों को भी लागू किया, जो कि पुरानी टैक्नोलॉजी के चलते तत्काल आधार पर नेटवर्क को नए सिरे से ढालने के लायक नहीं रह गया था।

ये दोनों प्रयास समानांतर लागू किए गए और इस तरह फील्ड में नई परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, फील्ड से पुरानी परिसंपत्तियों और सूचना प्रणालियों में उन्हें दर्शाए जाने में में देरी हुई। लिहाजा, माननीय आयोग द्वारा 2009–10 में एसएससीआई के माध्यम से कराए गए ऑडिट के संदर्भ में सूचनाओं का मिलान करना आवश्यक हो गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने सभी प्रमुख उपकरणों/नेटवर्क की ताजा स्थिति की विस्तृत जानकारी जुटाने की शुरूआत की और सूचना का रिकार्ड रखने की पहल की गई है जिसका मकसद था – 1) फील्ड से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले रिकार्ड हटाना, और 2) भविष्य के हिसाब से प्रक्रिया को सही करना जिससे किसी भी नए खरीदे गए उपकरण/परिसंपत्ति को उसके जीवनचक्र में तलाशा जा सके। यह पहल देश में किसी भी बिजली कंपनी द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की अनूठी है।

इस पहल का एक पहलू यह है कि यह नए एसैट का पता लगा सकता है – यह अब प्रमुख/कीमत परिसंपत्तियों के मामले में लागू है, और याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध सैप आधारित ईआरपी सिस्टम की मदद से ऐसा किया जाता है तथा आने वाले समय में इसे अन्य परिसंपत्ति श्रेणियों के मामले में भी लागू किया जाएगा। इस पहल के तहत् ऐतिहासिक रिकार्ड और उपकरणों की स्थिति की जांच तथा सूचना संबंधी अंतरों की

पहचान भी की जाती है जिन्हें डीवीबी से प्राप्त परिसंपत्तियों या बीआरपीएल द्वारा अब तक खरीदी गई परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याचिकाकर्ता इस जानकारी को स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर में लोकेशन तथा रिटायरमेंट के संदर्भ में समय–समय पर अद्यतन बनाने का प्रस्ताव करता है ताकि संशोंधनों को खातों में समुचित रूप से दर्शाया जा सके।

4.9 वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान एपीआर और राजस्व अंतर

माननीय आयोग द्वारा एमवाईटी टैरिफ आदेश में मंजूर एपीआर के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता द्वारा अनुमानित एपीआर निम्न तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका 29 : वार्षिक राजस्व आवश्यकता (करोड़ रु में) की गणना

विवरण	वित्त वर्ष 11-12		
	डीईआरसी द्वारा स्वीकृत (A)	वास्तविक (B)	अंतर (B-A)
विद्युत खरीद खर्च	**2,619.1**	**3,560.3**	**941.1**
विद्युत खरीद की लागत	2,178.5	3,009.6	831.1
अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क	155.6	251.3	95.7
राज्यों के भीतर ट्रांसमिशन शुल्क (दिल्ली ट्रांस्को)	285.0	299.4	14.4
वितरण लागत	**566.7**	**566.7**	-
ओ एवं एम व्यय	286.4	286.4	-
अवमूल्यन के प्रति अग्रिम समेत अवमूल्यन	113.1	113.1	-
सप्लाई मार्जिन सहित आरओसीई	165.3	165.3	-
आय कर	2.0	2.0	-
घटा : गैर टैरिफ आय	**49.8**	**49.8**	-
सकल राजस्व आवश्यकता	**3,136.1**	**4,077.3**	**941.1**

तालिका 30 : वित्त वर्ष 11–12 में राजस्व (अंतर)/अतिरिक्त की गणना

विवरण	रु करोड़
वित्त वर्ष 11–12 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता	4,077.3
एपीआर के लिए उपलब्ध राजस्व	2,476.2
राजस्व (अंतर/अतिरिक्त)	**(1,601.1)**
आयोग द्वारा 26.08.2011 के टैरिफ आदेश के अनुसार स्वीकृत राजस्व (अंतर)	**(545.6)**
चक्रवृद्धि (अंतर/अतिरिक्त)	**(1,055.5)**

5. वित्त वर्ष 2012–14 से वित्त वर्ष 2014–15 की दूसरी एमवाईटी अवधि से संबंधित अनुमान

5.1 बिक्री

याचिकाकर्ता ने प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी और उप श्रेणी के लिए निम्न को आधार बनाया है

- वित्त वर्ष 2011–12 की अनुमानित बिक्री के आधार पर विभिन्न श्रेणियों और उप श्रेणियों के तहत् बिक्री
- विकास दर को औद्योगिक, कृषि एवं रेलवे के लिए स्थिर माना गया
- वित्त वर्ष 2011–12 के लिए सीईए की 17वें ईपीएस रिपोर्ट में अन्य सभी श्रेणियों के लिए विकास दर अनुमानित
- चोरी हुई यूनिटों और अस्थायी कनेक्शनों के लिए कोई अनुमान नहीं जताया गया। बिक्री एक अनियंत्रित मद है, लिहाजा इसे वास्तविक स्थितियों के अनुसार समायोजित किया जाएगा।
- वित्त वर्ष 10–11 के लिए वास्तविक स्थितियों के हिसाब से यूनिटों का इंटर–स्लैब आबंटन
- उपभोक्ताओं और लोड में वृद्धि की पिछले साल के आधार पर समानुपातिक रूप से गणना

उपरोक्त के अनुसार, नियंत्रित अवधि के लिए श्रेणीगत बिक्री निम्न तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका 31 : नियंत्रित अवधि के दौरान अनुमानित बिक्री

क.सं.	श्रेणी	बिक्री (एमयू)		
		वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
1	घरेलू	2,996	3,344	3,733
2	गैर–घरेलू	1,759	1,995	2,263
3	औद्योगिक	443	443	443
A	एसआईपी	*392*	*392*	*392*
B	एलआईपी	*51*	*51*	*51*

क.सं.	श्रेणी	बिक्री (एमयू)		
		वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
4	कृषि	0	0	0
5	मशरूम की खेती	0	0	0
6	सार्वजनिक लाइटिंग	112	118	124
7	रेलवे ट्रैक्शन	-	-	-
8	डीएमआरसी	118	134	152
9	अस्थायी आपूर्ति	-	-	-
10	प्रवर्तन	-	-	-
11	निजी खपत	39	44	50
12	**अन्य**	243.30	264.41	287.74
A	पूजा स्थल/अस्पताल	*81*	*92*	*104*
B	स्टाफ	*32*	*36*	*40*
C	डायल	-	-	-
D	दिजबो	*131*	*137*	*144*
कुल		**5,710.81**	**6,343.46**	**7,053.73**

विभिन्न श्रेणियों में उपभोक्ताओं की संख्या और लोड संबंधी अनुमानित आंकड़े इस प्रकार हैं :

तालिका 32 : अनुमानित व्यावसायिक विकास – उपभोक्ताओं की संख्या

क.सं.	श्रेणी	लोड (मैगावाट)		
		वित्त वर्ष 12-13		
1	घरेलू	978,018	1,045,055	1,116,687
2	गैर–घरेलू	323,309	348,478	375,607
3	औद्योगिक	19,989	19,989	19,989
A	एसआईपी	*19,968*	*19,968*	*19,968*
B	एलआईपी	*21*	*21*	*21*
4	कृषि	53	53	53
5	मशरूम की खेती	7	7	7
6	सार्वजनिक लाइटिंग	-	-	-
7	रेलवे ट्रैक्शन	-	-	-
8	डीएमआरसी	1	1	1
9	अस्थायी आपूर्ति	-	-	-
10	प्रवर्तन	-	-	-
11	निजी खपत	-	-	-

12	**अन्य**	7,508	7,508	7,508
A	पूजा स्थल/अस्पताल	*22*	*22*	*22*
B	स्टाफ	*7,420*	*7,420*	*7,420*
C	डायल	-	-	-
D	दिजबो	*66*	*66*	*66*
कुल		**1,328,885**	**1,421,091**	**1,519,852**

तालिका 33 : अनुमानित व्यावसायिक विकास – लोड (मैगावाट में)

क.सं.	श्रेणी	लोड (मैगावाट)		
		वित्त वर्ष **12-13**	वित्त वर्ष **13-14**	वित्त वर्ष **14-15**
1	घरेलू	2,590	2,767	2,957
2	गैर–घरेलू	1,340	1,444	1,556
3	औद्योगिक	281.8	281.8	281.8
A	एसआईपी	*264*	*264*	*264*
B	एलआईपी	*18*	*18*	*18*
4	कृषि	0	0	0
5	मशरूम की खेती	0	0	0
6	सार्वजनिक लाइटिंग	-	-	-
7	रेलवे ट्रैक्शन	-	-	-
8	डीएमआरसी	20	20	20
9	अस्थायी आपूर्ति	-	-	-
10	प्रवर्तन	-	-	-
11	निजी खपत	-	-	-
12	**अन्य**	115.0	115.0	115.0
A	पूजा स्थल/अस्पताल	*29*	*29*	*29*
B	स्टाफ	*21*	*21*	*21*
C	डायल	-	-	-
D	दिजबो	*65*	*65*	*65*
कुल		**4,345.9**	**4,627.7**	**4,929.8**

5.2 राजस्व बिल

याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग द्वारा अपने टैरिफ आदेश दिनांक 26.08.2011 में मंजूर प्रत्येक टैरिफ स्लैब के अनुसार टैरिफ के अनुरूप राजस्व बिल का निम्न आकलन किया है।

प्रत्येक टैरिफ स्लैब के लिए पावर फैक्टर का, जहां टैरिफ को ाट।ध ाट॥ के रूप में दिया गया है, माननीय आयोग द्वारा वित्त वर्ष 11–12 के टैरिफ आदेश के स्तर पर ही विचार किया गया है।

याचिकाकर्ता द्वारा जारी राजस्व बिल माननीय आयोग द्वारा, अनुमान व्यक्त करने के लिए मंजूर टैरिफ पर आधारित है और इसे दिल्ली नगर निगम की अधिसूचना के आधार पर निर्धारित विद्युत कर से अलग रखा जाना चाहिए ताकि उसमें किसी भी बदलाव का पता लगाया जा सके और अलग से वसूली हो सके।

उपरोक्त विधि के आधार पर, याचिकाकर्ता द्वारा नियंत्रित अवधि के लिए अनुमानित राजस्व बिल इस प्रकार है :

तालिका 34 : नियंत्रित अवधि के दौरान राजस्व बिलिंग (ई–टैक्स की शुद्ध रकम)

क. सं.	श्रेणी	राजस्व बिलिंग (रु करोड़)		
		वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
1	घरेलू	1,247.8	1,400.2	1,570.9
2	गैर–घरेलू	1,293.9	1,459.4	1,646.6
3	औद्योगिक	279.2	279.2	279.2
A	एसआईपी	*249.4*	*249.4*	*249.4*
B	एलआईपी	*29.8*	*29.8*	*29.8*
4	कृषि	0.1	0.1	0.1
5	मशरूम की खेती	0.0	0.0	0.0
6	सार्वजनिक लाइटिंग	62.9	66.0	69.4
7	रेलवे ट्रैक्शन	-	-	-
8	डीएमआरसी	47.3	53.3	60.1
9	अस्थायी आपूर्ति	-	-	-
10	प्रवर्तन	-	-	-
11	निजी खपत	-	-	-
12	**अन्य**	128.0	136.4	145.5
A	पूजा स्थल/अस्पताल	*24.7*	*28.0*	*31.7*
B	स्टाफ	*9.9*	*11.0*	*12.3*
C	डायल	-	-	-
D	दिजबो	*93.3*	*97.3*	*101.6*
कुल		**3,059.1**	**3,394.6**	**3,771.8**

5.3 संग्रहण कुशलता

एमवाईटी विनियमन 2011 के अनुसार, संग्रहण कुशलता को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

"संग्रहण कुशलता, जो कि एक साल में कुल राजस्व बिल और कुल वसूले गए राजस्व के अनुपात के रूप में मापी जाती है ।"

तालिका 35 : नियंत्रित अवधि के दौरान संग्रहण में कुशलता (%)

विवरण	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
संग्रहण कुशलता (%)	98.50%	98.50%	98.50%

5.4 वितरण घाटा

याचिकाकर्ता ने माननीय एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलैक्ट्रिसिटी (एटीई) के समक्ष अपील दायर कर माननीय आयोग द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2011 के टैरिफ आदेश में डिवीजन के हिसाब से लक्ष्यों को तय करने की संकल्पना को चुनौती है। इस संदर्भ में फैसला आने तक, याचिका में उठाए गए विवादों के प्रति कोई पूर्वाग्रह बरते बगैर, याचिकाकर्ता ने नियंत्रित अवधि के दौरान वितरण घाटों के अनुमानों के लिए डिवीजन के आधार पर घाटा कम करने के लक्ष्यों को दिखाया है। अलबत्ता, इन पर निर्भरता याचिकाकर्ता द्वारा दावे, अधिकार या पात्रता में छूट का आधार नहीं है।

एमवाईटी रेग्यूलेशन 2011 के अनुसार, वितरण घाटों की परिभाषा इस प्रकार दी गई है :

"वितरण घाटा, दरअसल, वितरण प्रणाली में इस्तेमाल हुई शुद्ध यूनिटों तथा उपभोक्ताओं को की गई बिक्री तथा उसी वर्ष में लाइसेंस क्षेत्र में कुल एनर्जी बिल के योग में अंतर को दर्शाता है।"

नियंत्रित अवधि में, याचिकाकर्ता ने अधिक घाटा दर्ज कराने वाली डिवीजनों पर ध्यान केंद्रित किया ताकि निम्न तालिका 37 और 38 के अनुसार वाणिज्यिक घाटों के कमी के लक्ष्य को साकार किया जा सके। याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग के समक्ष इस संबंध में इस प्रकार की डिवीजनों के मामले में विस्तृत पूंजी व्यय योजनाओं को जमा कराया हैं याचिकाकर्ता का माननीय आयोग से

निवेदन है कि इस प्रकार की योजनाओं पर प्राथमिकता से विचार किया जाए ताकि याचिकाकर्ता इन क्षेत्रों में घाटों में कमी लाने में समर्थ बन सके।

याचिकाकर्ता ने वितरण घाटों को तकनीकी और वाणिज्यिक घाटों के तौर पर बांटा है। लाइसेंसी के भौगोलिक इलाके के मद्देनज़र, वितरण प्रणाली में तकनीकी घाटा 10: के आसपास है। अधिक वितरण घाटों को दर्ज कराने वाले इलाकों में तकनीकी घाटे भी ऊंचे बने हुए हैं और इन इलाकों में घाटों में कमी, जहां ये 40: से अधिक हैं, के लिए घाटा कम करने की योजनाओं के क्रियान्वयन के वास्ते पूंजीगत व्यय के समान होना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि मौजूदा स्तर पर वितरण घाटे को बरकरार रखने के लिए भी अनुमानित लोड वृद्धि के मुताबिक पूंजीगत व्यय होना चाहिए।

याचिकाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2010–11 की वास्तविक वितरण हानि तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 की प्रस्तावित हानि और नियंत्रण अवधि 2012–13 से 2014–15 के आधार पर अपने 19 व्यावसायिक प्रभागों में वितरण हानि कम होने का अनुमान है। अधिक हानि स्तर वाले प्रभागों में दूसरों की अपेक्षा हानि कम होने का अनुमान है।

याचिकाकर्ता ने वितरण हानि में कमी के अपने अनुमान में, यह नहीं माना है कि प्रणाली की तकनीकी हानियों में कोई कमी होगी। हालांकि, व्यापारिक हानि निम्न तालिका के मुताबिक घटने की बात सोची गयी है :

तालिका 36 : नियंत्रित अवधि में घाटों में कमी

क्र.सं.	वाणिज्यिक घाटे वाली डिवीजन	मौजूदा स्तर के प्रतिशत के रूप में घाटा
1	40% से अधिक	10%
2	40% से 30%	10%
3	30% से 20%	8%
4	20% से 10%	6%
5	10% से 0%	5%

उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर, याचिकाकर्ता ने निम्नानुसार तरीके से नियंत्रण अवधि में अपनी सभी डिवीजनों में वितरण हानि कम करने की बात सोची है :

तालिका 37 : नियंत्रित अवधि के दौरान, वितरण घाटों की डिवीज़न के अनुसार स्थिति (पिछले वर्ष घाटों में कमी के स्तरों के प्रतिशत के रूप में)

क्र.सं.	डिवीजन का नाम	वित्त वर्ष 11–12 के स्तरों के प्रतिशत के रूप में कमी का प्रावधान		
		वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
1	चांदनी चौक	6.00%	6.00%	6.00%
2	दरिया गंज	6.00%	6.00%	6.00%
3	पहाड़ गंज	6.00%	6.00%	6.00%
4	शंकर रोड	0.00%	0.00%	0.00%
5	पटेल नगर	5.00%	5.00%	5.00%
6	झिलमिल	5.00%	0.00%	0.00%
7	दिलशाद गार्डन	5.00%	5.00%	5.00%
8	कृष्णा नगर	6.00%	5.00%	5.00%
9	लक्ष्मी नगर	5.00%	5.00%	5.00%
10	मयूर विहार	5.00%	5.00%	5.00%
11	मयूर विहार - III	0.00%	0.00%	0.00%
12	यमुना विहार	8.00%	8.00%	8.00%
13	करावल नगर	6.00%	5.00%	5.00%
14	नंद नगरी	8.00%	6.00%	6.00%
कुल		**6.57%**	**5.78%**	**5.68%**

इसी प्रकार, नियंत्रण अवधि के दौरान, प्रत्येक डिवीजन में एवं पूरी कंपनी में वितरण हानि के घटने का ब्योरा यहां दिया गया है :

तालिका 38 : नियंत्रित अवधि के दौरान, वितरण घाटों की डिवीज़न के अनुसार स्थिति

क्र.सं.	डिवीजन का नाम	वितरण घाटा (% में)		
		वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
1	चांदनी चौक	23.28%	21.88%	20.57%
2	दरिया गंज	25.08%	23.58%	22.16%
3	पहाड़ गंज	24.13%	22.68%	21.32%
4	शंकर रोड	8.00%	8.00%	8.00%
5	पटेल नगर	11.12%	10.56%	10.04%
6	झिलमिल	9.71%	9.71%	9.71%
7	दिलशाद गार्डन	15.63%	14.85%	14.10%
8	कृष्णा नगर	19.94%	18.95%	18.00%
9	लक्ष्मी नगर	12.59%	11.96%	11.36%
10	मयूर विहार	17.81%	16.92%	16.07%

11	मयूर विहार - III	6.26%	6.26%	6.26%
12	यमुना विहार	35.98%	33.10%	30.45%
13	करावल नगर	19.56%	18.58%	17.65%
14	नंद नगरी	28.49%	26.78%	25.17%
कुल		**19.13%**	**18.03%**	**17.00%**

5.5 एटी एंड सी हानि

माननीय आयोग द्वारा अधिसूचित, एमवाईटी नियमावली, 2011 के अनुसार, एटी एंड सी हानियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

''सभी उपभोक्ताओं को बिक्री के वितरण तंत्र में भागीदारी एवं प्राप्त यूनिटों के अंतर के आधार पर एटी एंड सी हानि की गणना की गयी है, जो कि बिल की गयी यूनिटों व वसूली की गुणवत्ता का योग है। यहां शर्त यह है कि बिल की गई इकाइयों में वास्तविक आधार पर चोरी किये यूनिटों को भी शामिल किया गया हो। उदाहरण के लिए, भुगतान किये जा चुके चोरी की बिलिंग वाले यूनिटों की संख्या।

इस प्रकार, नियंत्रण अवधि के लिए एटी एंड सी हानि निम्न तालिका में दी गयी है:

तालिका 39 : नियंत्रित अवधि के दोरान एटी एवं सी घाटे

क्र.सं.	विवरण (% में)	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
1	वितरण घाटा	19.13%	18.03%	17.00%
2	संग्रहण कुशलता	98.50%	98.50%	98.50%
3	एटी एवं सी घाटा	20.35%	19.26%	18.25%

5.6 ऊर्जा संतुलन

हानि कम करने के उपरोक्त पथ एवं पहले वर्णित अनुमानित ऊर्जा बिक्री के आधार पर, प्रत्येक वर्ष में एमवाईटी अवधि के लिए अनुमानित ऊर्जा संतुलन निम्नानुसार होगा :

तालिका 40 : नियंत्रित अवधि के दौरान ऊर्जा संतुलन

विवरण	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष Y 13-14	वित्त वर्ष 14-15
ऊर्जा बिक्री (एमयू)	5,710.8	6,343.5	7,053.7
वितरण घाटा %	19.13%	18.03%	17.00%
कुल ऊर्जा (एमयू)	7,062.1	7,738.6	8,498.9

5.7 विद्युत खरीद

5.7.1 विद्युत खरीद मात्रा : ऊर्जा संतुलन के आधार पर, विद्युत खरीद का अनुमान लगाने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता ने दिल्ली, केंद्रीय उत्पादन केंद्रों, नियंत्रण अवधि में चालू होने वाले नये उत्पादन केंद्रों एवं लघु अवधि के ऊर्जा स्रोतों आदि से विद्युत आपूर्ति पर विचार किया है।

5.7.1.1 मौजूदा विद्युत उत्पादन केंद्रों से विद्युत आपूर्ति

याचिकाकर्ता ने एनआरपीसी अधिसूचना संख्या NRPC/SE (O)/Allocations/2011-12 दि.12.12.2011 के आधार पर फर्म आवंटन तथा सीएसजीएस से गैर–आवंटित ऊर्जा पर विचार किया है। (**संलग्नक** 9)

राज्य उत्पादन केंद्रों में याचिकाकर्ता का हिस्सा माननीय आयोग के आदेश संख्या F.17 (115)/Engg./DERC/2006-07/4757 दिनांक 31 मार्च 2007, के अनुसार तय किया गया है।

याचिकाकर्ता ने गैरआवंटित बिजली को जीओएनसीटीडी आदेश संख्या , F.11 (41)/2007-Power/PF-1/1430 दिनांक 20.05.2011 के हिसाब से आवंटित करने पर विचार किया है और यह माना है कि यही आवंटन मार्च 2015 तक जारी रहेगा। (संलग्नक 10)

5.7.1.2 बिजलीघरों के रखरखाव की योजना

याचिकाकर्ता ने जनवरी 2011 से मार्च 2012 के बीच, एनआरपीसी के पत्रांक NRPC/SE(O)/LGBR/2011-12 दिनांक 20 जनवरी 2011 के अनुसार, ताप, गैस एवं परमाणु बिजलीघरों के रखरखाव हेतु नवीनतम कार्यक्रम तय किया है। (**संलग्नक** 11)

5.7.1.3 बिजलीघरों से बिजली की उपलब्धता

बिजलीघरों से बिजली की उपलब्धता का अनुमान लगाते हुए याचिकाकर्ता ने अप्रैल 2011 से नवंबर 2011 के बीच बिजली की वास्तविक स्थिति को आधार बनाया है, जिसमें निश्चित एवं गैरआवंटित दोनों तरह की ऊर्जा शामिल है।

शेष अवधि के लिए, याचिकाकर्ता ने निम्न अनुमानों के आधार पर बिजली की उपलब्धता का खाका तैयार किया है :

- एपीसीएल झज्जर, दादरी–2 व कहलगांव–2 को छोड़कर, मौजूदा ताप बिजलीघरों की ऊर्जा उपलब्धता के बारे में प्रत्येक प्लांट की स्थापित क्षमता एवं पीएलएफ को आधार बनाया गया है। मांग की गणना के लिए एनआरपीसी की विधि का प्रयोग करके पीएलएफ की गणना की गयी है। एपीसीएल, दादरी 2 एवं कहलगांव 2 की ऊर्जा उपलब्धता नवंबर 2011 तक की वास्तविक औसत पीएलएफ पर आधारित है। वास्तविक उत्पादन की गणना सीईआरसी टैरिफ रेगुलेशन 2009 पर आधारित है।
- पनबिजली संयंत्रों (टिहरी एचईपी, टाला एवं नाथपा झाकड़ी एचईपी के अलावा) से बिजली खरीद की मात्रा संबंधी गणना संबंधित बिजलीघर के डिजायन एनर्जी पर आधारित मासिक उपलब्धता कारक को आधार मानकर की गयी है। सहायक खपत एवं गृह राज्य के लिए मुफ्त ऊर्जा के लिए सीईआरसी टैरिफ रेगुलेशन 2009 को आधार माना गया है।

- टिहरी एचईपी की बिजली उपलब्धता संबंधित बिजलीघर की मासिक सीईए रिपोर्ट पर आधारित है, जबकि नाथपा झाकरी एचईपी की विद्युत उपलब्धता इसकी शुल्क संबंधी याचिका में दिए गए डिजायन एनर्जी पर आधारित है।
- एनपीसीआईएल की विद्युत उपलब्धता प्रत्येक संयंत्र की पीएलएफ एवं स्थापित क्षमता पर आधारित है, जिसमें मांग की गणना के लिए एनआरपीसी विधि से पीएलएफ निकाला गया है।
- भविष्य के ताप बिजलीघरों से मिलने वाली बिजली का अनुमान 80 प्रतिशत पीएलएफ पर आधारित है।
- नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों, जीएमआर (ईडीडब्ल्यूपीसीएल) बायोमास प्लांट से मिलने वाली बिजली के लिए सीईआरसी (नवीकृत ऊर्जा स्रोतों के शुल्क निर्धारण संबंधी नियम एवं शर्तें) नियम 2012 के हिसाब से स्थापित क्षमता एवं पीएलएफ को मद्देनजर रखा गया है।
- याचिकाकर्ता के प्रभावी हिस्से की गणना पीपीए रीअसाइनमेंट ऑर्डर संख्या . F.17(115)/Engg./DERC/2006-07/ दिनांक 31.03.2007 तथा अधिसूचना संख्या F.11/41/2007-Power/PF-I/1430 दिनांक 20.05.2011 के आधार पर की गयी है।
- एक समान खुदरा आपूर्ति दरों के बावजूद याचिकाकर्ता की औसत बिल दर दिल्ली की अन्य डिस्कॉम के मुकाबले कम है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि विषम उपभोक्ता मिक्स का प्रभाव समाप्त करने के लिए याचिकाकर्ता को कम दर की बिजली का उच्च कोटा निर्धारित किया जाये। इस याचिका के मकसद से याचिकाकर्ता यह मान कर चल रहा है कि पॉवर एलोकेशन पीपीए रीअसाइनमेंट ऑर्डर के हिसाब से रहेगा। याचिकाकर्ता की आदरणीय आयोग से प्रार्थना है कि असमान उपभोक्ता मिक्स का दुष्प्रभाव कम करने के लिए इसे ऐसे ही रखें।
- भविष्य के बिजलीघरों का सीओडी नवंबर 2011 (**संलग्नक 12**) के सेंट्रल सेक्टर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के सीईए ब्रॉड स्टेटस तथा सितंबर 2011 की पनबिजली परियोजनाओं की सीईए रिपोर्ट पर आधारित है। (**संलग्नक 13**)
- दोतरफा खरीद या माह की बिक्री के लिए, लंबी अवधि के स्रोतों से खरीदारी का ध्यान रखते हुए, किसी माह विशेष में सरप्लस पॉवर अथवा घाटा, यदि हो तो, का ध्यान रखा गया है।

नियंत्रण अवधि में विविध स्रोतों से ऊर्जा उपलब्धता की मात्रा निम्न तालिका के अनुसार है :

तालिका 41 : नियंत्रित अवधि के दौरान बिजली खरीद मात्रा (एमयू)

क्र.सं.	स्रोत	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
	केंद्रीय उत्पादन स्टेशन			
A	एनटीपीसी			

क.सं.	स्रोत	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
1	अंटा गैस	68.6	68.7	68.6
2	औरेया गैस	114.0	113.6	113.6
3	बीटीपीएस	1,114.7	1,110.1	1,111.5
4	दादरी गैस	146.7	146.5	146.6
5	फरक्का	38.2	38.2	38.1
6	कहलगांव	90.9	90.4	90.2
7	एनसीपीपी	1,345.0	1,343.8	1,343.2
8	रिहंड -I	197.5	198.3	198.0
9	रिहंड D -II	255.4	254.9	255.0
10	सिंगरौली	293.7	293.3	293.3
11	ऊंचाहार -I	48.0	47.7	47.8
12	ऊंचाहार -II	92.6	92.5	92.5
13	ऊंचाहार -III	56.8	57.6	57.4
14	कहलगांव चरण-II	239.7	239.7	239.7
15	तालचेर	0.0	0.0	0.0
16	दादरी एक्स	1,445.4	1,445.4	1,445.4
17	अरावली पावर कार्पोरेशन लिमि	1,120.8	1,302.9	1,302.9
	एनटीपीसी – कुल	**6,668.0**	**6,843.5**	**6,843.6**
B	**एनएचपीसी**			
1	बैरा सियुल	16.1	16.4	16.2
2	चमेरा -I	29.6	29.9	29.7
3	चमेरा -II	24.6	24.7	24.6
4	धौलीगंगा	32.9	32.7	32.7
5	दुलहस्ती	56.0	55.7	55.2
6	सलल	75.8	75.8	75.8
7	टनकपुर	12.5	12.7	12.8
8	उड़ी	63.4	63.3	62.9
9	सेवा -II	13.2	13.3	13.3
	एनएचपीसी – कुल	**324.1**	**324.4**	**323.1**
C	**टिहरी एचईपी**	**59.8**	**59.8**	**59.8**
D	**कोटेश्वर**	**22.2**	**23.2**	**23.2**
E	**एनजेपीसी (सतलुज)**	**139.4**	**139.4**	**139.0**
F	**ताला एचईपी**	**42.1**	**42.1**	**42.1**
G	**डीवीसी**	**50.9**	**50.9**	**50.9**
H	**परमाणु**			

क.सं.	स्रोत	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
1	आरएपीएस – 3 एवं 4	0.0	0.0	0.0
2	आरएपीएस – 5 एवं 6	88.6	88.6	88.6
3	एनपीसीआईएल–एनएपीएस	22.4	22.3	22.3
	परमाणु कुल	**111.0**	**110.9**	**111.0**
i	**राज्यों के उत्पादन स्टेशन**			
1	आईपी स्टेशन	0.0	0.0	0.0
2	राजघाट	0.0	0.0	0.0
3	गैस टरबाइन	375.4	375.3	375.5
4	प्रगति -I	510.8	511.1	511.2
	राज्यों में उत्पादन स्टेशन – कुल	**886.2**	**886.4**	**886.7**
J	**भविष्य के स्टेशन**			
1	चमेरा -III	19.0	19.0	19.0
2	पार्वती -III	16.9	30.7	30.7
3	उड़ी -II	24.3	24.3	24.3
4	प्रगति -III, बवाना	1,450.1	1,450.1	1,450.1
5	मेजिया टीपीएस एक्स (यूनिट 1 एवं 2)	1,457.6	1,520.0	1,520.0
6	चंद्रपुर एक्स	694.9	694.9	694.9
7	कोडरमा टीपीएस	1,291.0	1,346.3	1,346.3
8	दुर्गापुर स्टील	781.7	781.7	781.7
9	कोलदम एचईपी	19.8	51.6	63.6
10	रिहंड -III	57.2	114.7	114.7
11	जीएमआर (ईडीडब्ल्यूपीसीएल)	2.0	25.7	27.3
12	बाढ़ -I(3*660 Mw)	66.9	269.3	269.3
13	सासन UMPP(6*660)	0.0	97.1	563.6
14	बाढ़ -II(2*660)Mw	13.5	109.4	109.4
15	पार्वती -II	0.0	0.0	47.5
	भविष्य के स्टेशन कुल	**5,894.8**	**6,534.9**	**7,062.6**
K	**उत्पादन स्टेशन पर कुल ऊर्जा उपलब्धता**	**14,198.6**	**15,015.5**	**15,542.1**

5.7.2 विद्युत खरीद की लागत

निवेदन है कि याचिकाकर्ता की बिजली खरीद लागत विभिन्न कारकों पर निर्भर है और जिन पर नियंत्रण संभव नहीं है, साथ ही जिनके बारे में कोई पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। याचिकाकर्ता का सविनय निवेदन है कि वो केंद्रीय बिजलीघरों से बिजली खरीदता है। इस बिजली की कीमत माननीय सीईआरसी द्वारा निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार तय होती है। इसके

बारे में न तो कोई अनुमान लगाया जा सकता है, न ही इस पर याचिकाकर्ता का कोई नियंत्रण है।

याचिकाकर्ता का निवेदन है कि विभिन्न राज्यों के बिजलीघरों से खरीदी गयी बिजली का मूल्य माननीय आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कि राज्य बिजलीघरों की मांग पर निर्भर करता है और जिसके बारे में पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है और जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आगे, याचिकाकर्ता द्वारा पॉवर एक्सचेंज अथवा यूआई पूल से ली जाने वाली बिजली भी नियंत्रण से परे है और यह बाजार के उतार–चढ़ाव पर निर्भर करती है। याचिकाकर्ता की आगे प्रार्थना है कि अतिरिक्त बिजली का विक्रय मूल्य भी बाजार के रेट पर निर्भर करता है, जो पूर्वानुमान से परे है और जिस पर याचिकाकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, निवेदन है कि जब बिजली खरीद लागत के सभी मानदंड नियंत्रण से परे हैं और जिनका पूर्वानुमान लगाना कठिन है, याचिकाकर्ता यह मानकर चल रहा है कि बिजली खरीद दर वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए माननीय आयोग द्वारा 26.08.2011 को जारी टैरिफ आदेश पर आधारित है। चूंकि बिजली खरीद का मूल्य अनियंत्रित है, इसलिए याचिकाकर्ता यह अनुरोध करता है कि कीमत में परिवर्तन को अनुच्छेद 7 में वर्णित पीपीपीएसी फॉर्मूले के तहत माना जाये।

नियंत्रण अवधि में बिजली खरीद मूल्य का सारांश इस प्रकार है :

तालिका 42 : नियंत्रित अवधि के दौरान बिजली क्रय लागत (करोड़ रु में)

क्र.सं. स्रोत	स्रोत	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
	केंद्रीय उत्पादन स्टेशन			
A	एनटीपीसी			
1	अंटा गैस	22.1	22.1	22.1
2	औरेया गैस	32.8	32.7	32.7
3	बीटीपीएस	445.5	443.6	444.2
4	दादरी गैस	41.3	41.2	41.2
5	फरक्का	14.2	14.2	14.1
6	कहलगांव	29.3	29.2	29.1
7	एनसीपीपी	420.6	420.2	420.0
8	रिहंड-I	39.4	39.6	39.5
9	रिहंड D -II	56.3	56.2	56.2
10	सिंगरौली	53.7	53.6	53.6
11	ऊंचाहार -I	13.0	12.9	12.9
12	ऊंचाहार -II	26.1	26.1	26.1
13	ऊंचाहार -III	18.2	18.4	18.4

क.सं. स्रोत	स्रोत	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
14	कहलगांव चरण-II	81.9	81.9	81.9
15	तालचेर	-	-	-
16	दादरी एक्स	491.1	491.1	491.1
17	अरावली पावर कार्पोरेशन लिमि	526.7	612.2	612.2
	एनटीपीसी – कुल	**2,312.1**	**2,395.2**	**2,395.4**
B	**एनएचपीसी**			
1	बैरा सियुल	2.2	2.2	2.2
2	चमेरा -I	5.2	5.3	5.2
3	चमेरा -II	7.0	7.0	7.0
4	धौलीगंगा	9.0	9.0	8.9
5	दुलहस्ती	33.0	32.8	32.5
6	सलल	6.6	6.6	6.6
7	टनकपुर	2.6	2.6	2.6
8	उड़ी	9.3	9.3	9.2
9	सेवा -II	6.0	6.0	6.0
	एनएचपीसी – कुल	**80.8**	**80.7**	**80.3**
C	**टिहरी एचईपी**	**15.4**	**15.4**	**15.4**
D	**कोटेश्वर**	**7.8**	**8.1**	**8.1**
E	**एनजेपीसी (सतलुज)**	**30.1**	**30.1**	**30.1**
F	**ताला एचईपी**	**7.8**	**7.8**	**7.8**
G	**डीवीसी**	**17.3**	**17.3**	**17.3**
H	**परमाणु**			
1	आरएपीएस – 3 एवं 4	-	-	-
2	आरएपीएस – 5 एवं 6	26.8	26.8	26.8
3	एनपीसीआईएल–एनएपीएस	4.6	4.5	4.6
	परमाणु कुल	**31.3**	**31.3**	**31.3**
I	**राज्यों के उत्पादन स्टेशन**			
1	आईपी स्टेशन	-	-	-
2	राजघाट	-	-	-
3	गैस टरबाइन	158.5	158.4	158.5
4	प्रगति -I	151.4	151.4	151.5
	राज्यों में उत्पादन स्टेशन – कुल	**309.8**	**309.9**	**310.0**
J	**भविष्य के स्टेशन**			

क.सं. स्रोत	स्रोत	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
1	चमेरा -III	6.7	6.7	6.7
2	पार्वती -III	5.9	10.8	10.8
3	उड़ी -II	8.5	8.5	8.5
4	प्रगति -III, बवाना	590.2	590.2	590.2
5	मेजिया टीपीएस एक्स (यूनिट 1 एवं 2)	495.6	516.8	516.8
6	चंद्रपुर एक्स	236.3	236.3	236.3
7	कोडरमा टीपीएस	438.9	457.8	457.8
8	दुर्गापुर स्टील	265.8	265.8	265.8
9	कोलदम एचईपी	6.9	18.1	22.3
10	रिहंड -III	12.6	25.3	25.3
11	जीएमआर (ईडीडब्ल्यूपीसीएल)	1.0	12.8	13.6
12	बाढ़ -I(3*660 Mw)	22.7	91.6	91.6
13	सासन UMPP(6*660)	-	10.2	96.4
14	बाढ़ -II(2*660)Mw	4.6	37.2	37.2
15	पार्वती -II	-	-	16.2
	भविष्य के स्टेशन कुल	**2,095.7**	**2,287.8**	**2,395.2**
K	**कुल लागत**	**4,908.1**	**5,183.6**	**5,290.8**

5.7.3 ट्रांसमिशन के दौरान बिजली की क्षति एवं शुल्क

याचिकाकर्ता ने डीटीएल के पत्र संख्या F.DTL/207/DGM (SO)/2011-12/467 दि 31.10. 2011 की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अंतर–राज्यीय संप्रेषण क्षति को 1.25 प्रतिशत रखा **है (पत्र की प्रति संलग्नक 14 पर)** अंतर–राज्यीय संप्रेषण क्षति की गणना सीईआरसी आदेश के अनुसार की जाती है, जो कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क एवं घाटे को साझा करना) नियमावली, 2010 के नियम 17(2) पर आधारित है।

बिजलीघरों से खरीदी जाने वाली बिजली की दरों की भांति ही, संप्रेषण शुल्क भी नियंत्रण एवं अनुमान से परे है। इसलिए, नियंत्रण अवधि के दौरान अंतर–राज्यीय संप्रेषण शुल्क की गणना माननीय आयोग के 26.08.2011 के टैरिफ आदेश के स्तर पर की जाती है। अंतर–राज्यीय संप्रेषण शुल्क, प्रति मैगावॉट हिसाब से, माननीय आयोग के 26.08.2011 के टैरिफ आदेश के आधार पर तय किया जाता है।

नियंत्रण अवधि में संप्रेषण क्षति एवं शुल्क का अनुमान निम्न तालिका के अनुसार लगाया जाता है :

तालिका 43 : नियंत्रित अवधि के दौरान ट्रांसमिशन घाटे और शुल्क

विवरण	यूओएम	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
राज्य के भीतर ट्रांसमिशन				
ट्रांसमिशन घाटा	एमयू	168.5	178.6	184.7
ट्रांसमिशन शुल्क	करोड़ रु	285.0	285.0	285.0
अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन				
ट्रांसमिशन घाटा	एमयू	548.7	588.4	621.1
ट्रांसमिशन शुल्क	करोड़ रु	207.5	228.6	252.5

5.7.4 बिजली खरीद खर्च का सार

वर्ष 2012–13 से वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान बिजली खरीद लागत का सार निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका 44 : विभिन्न स्रोतों से बिजली खरीद की लागत

क.सं.	स्टेशन	वित्त वर्ष 12-13			वित्त वर्ष 13-14			वित्त वर्ष 14-15		
		मात्रा (A)	राशि (B)	औसत लागत (C=B*10/A)	मात्रा (D)	राशि (E)	औसत लागत (F=E*10/D)	मात्रा (G)	राशि (H)	औसत लागत (I=H*10/G)
		MU	Rs. Cr.	Rs./ kWh	MU	Rs. Cr.	Rs./ kWh	MU	Rs. Cr.	Rs./ kWh
1	दीर्घकालिक स्रोतों से बिजली खरीद									
a	एनटीपीसी	4,208.2	1,446.0	3.44	4,389.6	1,531.4	3.49	4,388.9	1,531.2	3.49
b	एनएचपीसी	324.1	80.8	2.49	324.4	80.7	2.49	323.1	80.3	2.48
c	डीवीसी	50.9	17.3	3.40	50.9	17.3	3.40	50.9	17.3	3.40
d	अन्य पनबिजली *	263.5	61.0	2.32	264.4	61.3	2.32	264.1	61.3	2.32
e	एनपीसीआईएल	111.0	31.3	2.82	110.9	31.3	2.82	111.0	31.3	2.82
f	एसजीएस	3,346.0	1,175.9	3.51	3,340.3	1,173.7	3.51	3,341.5	1,174.2	3.51
g	भविष्य के स्टेशन	5,894.8	2,095.7	3.56	6,534.9	2,287.8	3.50	7,062.6	2,395.2	3.39
	1 का कुल जोड़	**14,198.6**	**4,908.1**	**3.46**	**15,015.5**	**5,183.6**	**3.45**	**15542.14**	**5290.83**	**3.40**
2	अन्य लघु अवधि के स्रोत									
a	लघु अवधि की खरीद	103.92	41.57	4.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
b	लघु अवधि की बिक्री	(6523.21)	(2348.36)	3.60	(6509.81)	(2343.53)	3.60	(6237.46)	(2245.48)	3.60
	2 का कुल जोड़	**(6419.29)**	**(2306.79)**		**(6509.81)**	**(2343.53)**		**(6237.46)**	**(2245.48)**	
3	ट्रांसमिशन (घाटा/शुल्क)									

a	अंतरराज्यीय	(548.72)	207.45		(588.42)	228.60		(621.08)	252.54	
b	राज्य के भीतर	(168.52)	285.02		(178.65)	285.02		(184.74)	285.02	
	3 का कुल जोड	**(717.24)**	**492.47**		**(767.07)**	**513.62**		**(805.83)**	**537.56**	
4	**कुल (1+2+3)**	**7062.08**	**3093.79**	**4.38**	**7738.60**	**3353.73**	**4.33**	**8498.86**	**3582.90**	**4.22**

**टिहरी, एनजेपीसी और ताला एचईपी शामिल*

 # बीटीपीएस, एनसीपीपी, आईपीजीसीएल और पीपीसीएल शामिल

उपरोक्त के संबंध में, याचिकाकर्ता का निवेदन है कि नियंत्रित अवधि के दौरान बिजली खरीद लागत के अनुमान के संबंध में, याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग के दि 26.08.2012 के आदेश में स्वीकृत बिजली खरीद लागत को आधार बनाया है। अलबत्ता, शुंगलू समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों तथा माननीय एटीई के दिनांक 11.11.2011 के फैसले में दिए गए निर्देशों के अनुरूप, ऐसा भरोसा है कि माननीय आयोग याचिकाकर्ता को बिजली खरीद खर्च में बदलाव की वसूली अध्याय 7 में प्रस्तावित फार्मूला के मुताबिक मासिक आधार पर करने की मंजूरी देगी।

5.8 संचालन एवं रख–रखाव खर्च

याचिकाकर्ता ने संचालन एवं रख–रखाव खर्च का आकलन एमवाईटी नियम, 2011 के आधार पर किया है जिन्हें स्थानांतरण योजना और एटीई आदेश के साथ पढ़ा जाएगा।

निवेदन है कि संचालन एवं रख–रखाव खर्च अनियंत्रित कारकों से निर्देशित होते हैं, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी दरों में अनिवार्य वृद्धि, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने पर कॉल सेंटर जैसी मदों में बढ़ोतरी, मीटर रीडिंग लागत, आदि। कुछ खर्च पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ने से भी बढ़ जाते हैं, जो कि वैसे भी इस वक्त सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। जीओएनसीटीडी का श्रम विभाग समय–समय पर कर्मचारियों एवं लिपिकों एवं गैर तकनीकी सुपरवाइजरी स्टाफ की न्यूनतम मजदूरी दरों में 1 फरवरी 2010 से ही परिवर्तन करता आ रहा है। इन सब कारणों से याचिकाकर्ता के संचालन एवं रख–रखाव खर्चों पर सीधा असर पड़ता है।

इसके अलावा, लागत के हिसाब से टैरिफ के अभाव से उत्पन्न चिंतनीय वित्तीय स्थिति के चलते, याचिकाकर्ता अपने आपूर्तिकर्ताओं को निर्धारित समय पर भुगतान नहीं कर पा रहा है। परिणामस्वरूप, यह अपने तंत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए न तो प्रभावी मोलभाव कर पा रहा है, न ही कीमतें घटा पा रहा है।

इस नाते उपरोक्त कारणों से 29 सितंबर, 2010 को दायर अपनी याचिका संख्या 28/2008 में नीचे दिये तथ्यों के मद्देनजर याचिकाकर्ता ने नियंत्रण अवधि के दौरान संचालन एवं रख–रखाव खर्च के निर्धारण के लिए कुशलता कारक का इस्तेमाल नहीं किया :

''एमवाईटी नियमों में एफिशिएंसी फैक्टर के एप्लीकेशन से संचालन एवं रख–रखाव खर्च में कमी का प्रावधान है। यद्यपि, माननीय आयोग द्वारा एफिशिएंसी फैक्टर का निर्धारण लाइसेंसी की

फाइलिंग, बैंचमार्किंग, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित राशि, तथा आयोग की निगाह में अन्य किसी उचित कारक पर निर्भर करता है। आयोग ने अपने आदेश में वित्त वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 के लिए क्रमशः 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट फैक्टर निर्धारित किया है, जिसमें किसी तरह की बैंचमार्किंग या विश्लेषण और कार्यकुशलता में कमी के क्षेत्र की पहचान शामिल नहीं है। ऐसे एफिशिएंसी फैक्टर का निर्धारण सामान्यतया राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों व विभिन्न कारकों के विश्लेषण के उपरांत होना चाहिए, न कि राज्य आयोग द्वारा अस्थायी आधार पर। अतएव, इस तथ्य का अपीलकर्ता के हित में उत्तर दिया गया है।''

5.8.1 मुद्रास्फीति फैक्टर में वृद्धि

वितरण टैरिफ के निर्धारण के लिए एमवाईटी रैग्यूलेशन, 2011 के अनुसार, नियंत्रित अवधि के दौरान ए एवं जी व्यय की गणना निम्नानुसार की जाएगी –

$$EMP_n + A\&G_n = (EMP_{n-1} + A\&G_{n-1}) * (INDX)$$

नियंत्रित अवधि में मुद्रास्फीति फैक्टर की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर निम्नानुसार की जाती है :

$$INDX = 0.55*CPI + 0.45*WPI$$

कर्मचारी व्यय और ए एवं जी व्यय की इंडैक्सिंग के लिए मुद्रास्फीति फैक्टर की गणना पिछले पांच सालों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर की जाती है। इस तरह, याचिकाकर्ता द्वारा निम्नानुसार 8.41% मुद्रास्फीति फैक्टर की गणना की गई है :

तालिका 45 : नियंत्रित अवधि में मुद्रास्फीति फैक्टर

वित्त वर्ष	औसत सीपीआई	औसत डब्ल्यू पी आई	सूचकांक (0.55*CPI + 0.45*WPI)	% विकास
2006-07	125	206.18	161.53	
2007-08	132.75	215.8	170.12	5.32%
2008-09	144.83	233.94	184.93	8.71%
2009-10	162.75	242.94	198.84	7.52%
2010-11	179.75	269.35	220.07	10.68%
2011-12	195.8	297.78	241.69	9.82%
नियंत्रित अवधि में मुद्रास्फीति				**8.41%**

5.8.2 कर्मचारी खर्च

कर्मचारी खर्च के मामले में आधार बनाया है जो वित्त वर्ष 2011–12 के आधार वर्ष के मुकाबले पिछले पांच सालों के सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इंडैक्स के वेटेड औसत के बराबर है।

दूसरे, एपेलेंट ट्रिब्यूनल फॉर इलैक्ट्रिसिटी ने 36/2008 की अपील के संदर्भ में दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 के अपने आदेश में कर्मचारी खर्च को अतिरिक्त लागत के रूप में देखा है और उपभोक्ता आधार में वृद्धि कर इसे समायोजित किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी के हिसाब से कर्मचारी खर्च का अनुमान लगाया है और समायोजन कार्य के दौरान ग्राहकों की वास्तविक संख्या के हिसाब से समायोजन के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखा है।

माननीय आयोग को यह जानकारी है कि एफआर/एसआर कर्मचारियों का वेतन ढांचा, निजीकरण के बाद भी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित होता है। सच तो यह है कि दिनांक 16 जनवरी, 2001 की स्थानांतरण योजना और त्रिपक्षीय समझौते में भी, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, डीवीबी और डीवीबी की विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के बीच किया गया था (निजीकरण से पूर्व), एफआर/एसबार कर्मचारियों को यह गारंटी दी गई है कि उनकी सेवा शर्तें और परिस्थितियां निजीकरण से पूर्व उनकी सेवा शर्तों तथा परिस्थितियों से कमतर या कम अनुकूल नहीं होंगी। करार का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है :

"3(बी) कंपनी में सेवा शर्तों जैसे पदोन्नति, अवकाश एवं अन्य भत्तों आदि के मामले मौजूदा विनियमों/सेवा नियमों से ही संचालित होंगे जैसे एफआर/एसआर के मामले में वे पूर्ववत रहेंगे और इनमें कोई भी संशोधन परस्पर विचार–विमर्श से ही होगा तथा इनका निपटारा मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों द्वारा किया जाएगा जो मौजूदा लाभ के विरुद्ध नहीं होगा।"

उल्लेखनीय है कि माननीय आयोग ने भी टैरिफ आदेश दिनांक 23.02.2008 के पैरा 4.108 में माना है कि एफआर/एसआर कर्मचारियों के वेतन/पदोन्नति के मामले राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और वेतनमानों से नियंत्रित होते हैं और निजीकरण के बाद भी उनकी सेवा शर्तें पूर्ववत बनी हुई हैं। इस तरह, यह मद याचिकाकर्ता के नियंत्रण में नहीं है और कर्मचारियों के वेतन में वास्तविक वृद्धि के आधार पर इसे समायोजित किया जाना चाहिए। एमवाईटी आदेश का संबंधित अंश इस प्रकार हैः

''पैरा 4.108 : निजीकरण की प्रकिया के दौरान, तत्कालीन डीवीबी के कुछ कर्मचारियों को बीवाईपीएल में स्थानांतरित किया गया था। स्थानांतरण योजना के अनुसार, तत्कालीन बोर्ड के कर्मचारियों की नई कंपनी में स्थानांतरण के बाद सेवा शर्तें, स्थानांतरण से पूर्व की उनकी सेवा शर्तों से कतई कमतर या कम अनुकूल नहीं हैं। साथ ही, उनकी सेवाएं निजीकरण से पूर्व लागू विभिन्न नियमों एवं कानूनों के अनुसार जारी रहेंगी। इस प्रकार, बीवाईपीएल में तत्कालीन डीवीबी के कर्मचारियों के वेतन/मुआवजे तथा पदोन्नति आदि के मामले अभी भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार तय होते हैं।''

याचिकाकर्ता आदरपूर्वक यह निवेदन करता है कि एफआर/एसआर कर्मचारियों की सभी सेवा शर्तों तथा परिस्थितियों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, वह चाहे डी.ए. हो या वेतन बैंड, इस मामले में याचिकाकर्ता का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता एफआर/एसआर कर्मचारियों के संबंध में सेवा शर्तों आदि में सरकार द्वारा बदलाव की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद उनका क्रियान्वयन करता है। अतैव, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि सेवा शर्तों में नियंत्रण नहीं रहने और इन मसलों पर सरकारी आदेशों को अमल में लाने भर से जैसे वेतन के भुगतान आदि के चलते ये अनियंत्रित खर्च हैं। लिहाजा, एफआर/एसआर कर्मचारियों के वेतन खर्चों को वास्तविक आधार पर मंजूरी दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता समायोजन प्रक्रिया के दौरान, अंकेक्षित लेखाओं के मुताबिक एफआर/एसआर कर्मचारियों के वेतन खर्चों पर दावे के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है।

उपरोक्त के अनुरूप, नियंत्रित अवधि की कर्मचारी लागत का अनुमानित ब्योरा निम्नानुसार है :

तालिका 46 : कर्मचारी व्यय (करोड़ रु में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वित्त वर्ष 2011–12 में अनुमानित कर्मचारी लागत	216.6			
मुद्रास्फीति सूचकांक	8.41%	8.41%	8.41%	8.41%
उपभोक्ताओं की संख्या	1240485	1328885	1421091	1519852
% वृद्धि		7.13%	6.94%	6.95%
कुल कर्मचारी व्यय		**251.5**	**291.6**	**338.1**

5.8.3 ए एंड जी व्यय

एमवाईटी रैग्यूलेशन, 2011 में ए एंड जी व्यय को मुद्रास्फीति आधारित सूचकांक से संबद्ध करने का प्रावधान है जो कि पिछले पांच सालों के मुद्रास्फीति सूचकांक को ध्यान में रखता है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रशासनिक, कर और कार्यालयों के कामकाज की दैनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के चलते ये खर्च होते हैं। ये सभी खर्च ईंधन, उपभोक्ताओं, लोड, बिक्री, परिसंपत्तियों, उपभोक्ताओं द्वारा की गई पहल, संचार लागत में वृद्धि और सरकार की नीतियों (जैसे बिक्री कर, सेवा कर आदि) से सीधे प्रभावित होते हैं।

याचिकाकर्ता ने ग्राहक सेवा, सिस्टम में वृद्धि और बेहतर प्रक्रियागत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। उसने संचार नेटवर्क में वृद्धि करने के उपायों को भी लागू किया है ताकि बिजली की बहाली में कम से कम समय लगे। इन तमाम उपायों से बेहतर आर्थिक/सामाजिक मूल्य मिलते हैं जो इन गतिविधियों पर आने वाले खर्चों से कहीं अधिक होते हैं। ये प्रयास याचिकाकर्ता को माननीय आयोग द्वारा निर्धारित गुणवत्ता संबंधी मानकों को पालन करने में मदद देने के साथ–साथ उसकी जिम्मेदारियों के सही तरीके से निर्वहन में भी मददगार होते हैं। कई पक्षों ने इन उपायों को सकारात्मक तरीके से लिया है और माननीय आयोग ने अपने टैरिफ आदेशों में भी इसका जिक्र किया है। साथ ही, ये प्रयास वितरण कंपनियों की बेहतरीन कार्य प्रथाओं का हिस्सा हैं। ये खर्च राजस्व चक्र के विभिन्न चरणों में होने वाले घाटों में कमी लाने और घाटों के स्तरों को कम करने के लिए भी आवश्यक हैं।

याचिकाकर्ता ने नियंत्रित अविध में निम्न के आधार पर ए एंड जी व्यय का अनुमान जताया है :

- उपभोक्ताओं की संख्या तथा लोड में वृद्धि
- बिक्री में वृद्धि

नियंत्रित अवधि के लिए ए एंड जी व्यय का अनुमान लगाते समय, याचिकाकर्ता ने आधार वर्ष 2011–12 के मुकाबले पिछले पांच सालों के वेटेड औसत सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इंडैक्स के बराबर वार्षिक वृद्धि पर विचार किया है।

लिहाजा, उपरोक्त के अनुसार, याचिकाकर्ता ने निम्नानुसार ए एंड जी व्यय का अनुमान जताया है :

तालिका 47 : ए एवं जी व्यय (करोड़ रु में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वित्त वर्ष 2011–12 में अनुमानित ए एवं जी लागत	75.1			
मुद्रास्फीति सूचकांक	8.41%	8.41%	8.41%	8.41%
उपभोक्ताओं की संख्या	1,240,485	1,328,885	1,421,091	1,519,852
% वृद्धि		7.13%	6.94%	6.95%
कुल ए एवं जी व्यय		**87.2**	**101.1**	**117.2**

याचिकाकर्ता के पास अंकेक्षित लेखाओं के मुताबिक वास्तविक आधार पर, नए प्रयासों पर आने वाले खर्चों के दावे पर अधिकार जताने का अधिकार सुरक्षित है जो समायोजन प्रक्रिया के दौरान है।

5.8.4 आर एवं एम व्यय

याचिकाकर्ता द्वारा सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखनेके लिए रखरखाव गतिविधियों और फॉल्ट/ब्रेकडाउन से निपटने के लिए ये खर्च किए जाते हैं। याचिकाकर्ता यह भी निवेदन करता है कि पूर्व में याचिकाकर्ता द्वारा अपने वितरण इलाके में आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए की गई रखरखाव गतिविधियों और पूंजीगत व्यय की बदौलत ट्रांसफॉमरों की खराबी अब कम होती है, इसी तरह बिजली की गुणवत्ता में भी सुधार

हुआ है (विश्वसनीयता सूचकांक) तथा ओवरलोड ट्रांसफॉर्मरों की संख्या भी कम हुई है। इन खर्चों को नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों ही कारक प्रभावित करते हैं। याचिकाकर्ता के कच्चे माल की कीमतों को बढ़ाने वाले अधिकांश कारक उसके नियंत्रण से परे हैं, और इसलिए याचिकाकर्ता ने नियंत्रित अवधि में खर्चों के अनुमानों के संबंध में इन कारकों के चलते आर एंड एम व्यय में वृद्धि को शामिल नहीं किया है। माननीय आयोग वर्ष के अंत में आर एंड एम खर्चों का समायोजन कर सकता है क्योंकि ज्यादातर आर एंड एम खर्च याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर होते हैं।

नियंत्रित अवधि में आर एंड एम खर्चों के आकलन के लिए, याचिकाकर्ता ने एमवाईटी रैग्यूलेशन में निर्धारित सिद्धांतों को आधार बनाया है। स्थिर 'K' फैक्टर को दि 23.02.2008 के एमवाईटी आदेश के मुताबिक 3.70% माना गया है। इस तरह, नियंत्रित अवधि के दौरान आर एंड एम व्यय निम्नानुसार है :

तालिका 48 : अनुमानित आर एवं एम व्यय (करोड़ रु में)

विवरण	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2014-15
टीओ के अनुसार शुरूआती जीएफए	2,242.7	2,703.9	3,089.3
के फैक्टर	3.70%	3.70%	3.70%
आर एवं एम व्यय	**83.0**	**100.0**	**114.3**

5.9 अवमूल्यन

वर्तमान प्रकिया के अनुसार और एमवाईटी विनियमनों, 2011 के अनुसार, नियंत्रित अवधि के हर वर्ष के अवमूल्यन की गणना परिसंपत्ति में अवमूल्यन की दरों के हिसाब से की गई है, जो कि यहां तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका 49 : अवमूल्यन (करोड़ रु में)

विवरण	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
शुरूआती जीएफए	1,965.8	2,427.1	2,812.4

अंतिम जीएफए	2,427.1	2,812.4	3,155.0
औसत शेष	2,196.5	2,619.8	2,983.7
अवमूल्यन	**83.6**	**107.5**	**123.8**

5.10 वित्त के माध्यम

याचिकाकर्ता ने एमवाईटी रैग्यूलेशन, 2011 के प्रारूप पर टिप्पणी करते हुए यह निवेदन किया है कि इक्विटी पर मुनाफे को सीडब्ल्यूआईपी पर इस सीमा तक दिया जाना चाहिए कि वह आय में से ऋण/इक्विटी के 70:30 अनुपात के मुताबिक फाइनेंस किया जा सके। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि योजना को बनाते समय और उन परिसंपत्तियों को उपयोग में लाने के बीच समय होता है।

निम्न तालिका एमवाईटी व्यवस्था में नियंत्रित अवधि के दौरान तैयार निवेश योजना के लिए वित्त के माध्यमों को दर्शाती है।

तालिका 50 : पूंजी व्यय और वित्त के साधन (करोड़ रु में)

विवरण	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
ताज़ा निवेश का पूंजीकरण	461.2	385.4	342.6
वित्त साधन			
आंतरिक अभिवृद्धियां	138.4	115.6	102.8
वाणिज्यिक कर्ज	322.9	269.7	239.8
कुल	**461.2**	**385.4**	**342.6**

5.11 पूंजी पर मुनाफा

याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग द्वारा एमवाईटी रैग्यूलेशन, 2011 के अनुच्छेद 5.6 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप कार्यरत पूंजी (RoCE) पर लाभ की गणना की है। इसमें ऋण और ब्याज समेत सभी वित्तीय खर्चे शामिल हैं। याचिकाकर्ता राष्ट्रीय शुल्क नीति पर जोर देता है, जिसके अनुसार, ''मुनाफे की दर तय करते समय, उपभोक्ताओं के हितों और निवेश की जरूरत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।''

यह मुनाफा इस प्रकार हो कि निवेश को दूसरे क्षेत्रों के अनुरूप आकर्षित कर सके जिससे बिजली क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता बन सके। यह मुनाफे की दर इस प्रकार हो कि क्षेत्र के समुचित विकास के लिए अवसर तैयार कर सके। चूंकि वितरण कारोबार में अधिक जोखिम होता है और साथ ही पिछली एमवाईटी व्यवस्था की तुलना में पूंजी का खर्च भी अधिक है, लिहाजा माननीय आयोग से समुचित मुनाफा तय करने का अनुरोध है ताकि इस क्षेत्र में भी निवेश के पर्याप्त अवसर बने रहें। इसका जिक्र नेशनल टैरिफ पॉलिसी के पैरा 5.3(ए) में भी किया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि, ''ट्रांसमिशन के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मुनाफे की दर को राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा अपनाया जा सकता है और अधिक जोखिम के संदर्भ में उनमें समुचित संशोधन भी किए जा सकते हैं।''

एमवाईटी व्यवस्था में नियंत्रित अवधि के दौरान मुनाफे की स्थिति निम्नानुसार है :

तालिका 51 : मुनाफा (करोड़ रु)

विवरण	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
पूंजी की औसत लागत	14.88%	14.89%	14.94%
विनियमित दर आधार	1,752.2	2,114.1	2,406.2
आरओसीई	260.7	314.7	359.5
मुनाफा	**82.0**	**104.1**	**122.7**

5.11.1 पूंजी का वेटेड औसत खर्च

नियंत्रित अवधि में हर साल के पूंजी का वेटेड औसत खर्च (डब्ल्यूएसीसी) की गणना माननीय आयोग द्वारा एमवाईटी रैग्यूलेशन, 2011 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप की गई है। याचिकाकर्ता ने 30 सितंबर, 2011 को इक्विटी पर 16 फीसदी मुनाफे के हिसाब से डब्ल्यूएसीसी की गणना की है। नियंत्रित अवधि में हर साल के डब्ल्यूएसीसी को निम्न तालिका में दिखाया गया है :

तालिका 52 : पूंजी का वेटेड औसत खर्च (करोड़ रु में)

विवरण	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष

	12-13	13-14	14-15
ऋण	1,275.27	1,471.74	1,631.53
इक्विटी	527.25	654.24	763.42
ऋण की कीमत	14.42%	14.39%	14.44%
इक्विटी की कीमत	16.00%	16.00%	16.00%
डब्ल्यूएसीसी	**14.88%**	**14.89%**	**14.94%**

5.11.2 विनियमित दर आधार

विनियमित दर आधार (आरआरबी) की गणना परिसंपत्तियों की मूल लागत और कामकाजी पूंजी में से एकत्रित अवमूल्यन को घटाकर की जाती है। नियंत्रित अवधि के लिए आरआरबी की गणना माननीय आयोग द्वारा एमवाईटी रैग्यूलेशन, 2011 में निर्धारित विधि के हिसाब से की गई है।

आधार वर्ष तथा एमवाईटी व्यवस्था में नियंत्रित अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में आरबारबी का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका 53 : आरआरबी की गणना (करोड़ रु में)

विवरण	वित्त वर्ष 11-12	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
आधार वर्ष के लिए आरआरबी	1,532.0			
आरआरबी में परिवर्तन की गणना		377.6	277.8	218.8
वर्ष के दौरान निवेश		461.2	385.4	342.6
वर्ष के दौरान अवमूल्यन (एएडी)		83.6	107.5	123.8
उपभोक्ता योगदान		-	-	-
डब्ल्यूसी में परिवर्तन		31.3	34.3	43.8
कामकाजी पूंजी में परिवर्तन की गणना				
दो माह की प्राप्तियां		509.8	565.8	628.6
ट्रांसमिशन शुल्क में एक माह की कटौती		51.4	53.2	55.2
कम विद्युत खरीद 1 माह		216.8	236.7	253.8
क्लोजिंग आरआरबी		1,941.0	2,253.1	2,515.6
वर्ष के लिए आरआरबी		**1,752.2**	**2,114.1**	**2,406.2**

5.12 आयकर

आयकर को ऐसा व्यय माना जाता है जिसे टैरिफ के रूप में ग्राहकों से वसूला जा सकता है। एमवाईटी रैग्यूलेशन, 2011 के अनुसार, आय पर कर का भुगातान वितरण लाइसेंसी के लाइसेंसशुदा कारोबार पर किया जाना होता है और यह कार्यरत पूंजी के इक्विटी भाग पर मिलने वाले मुनाफे पर देय कर तक सीमित है। कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ के अभाव में, याचिकाकर्ता पर देय कर इक्विटी तत्व से कम होता है। याचिकाकर्ता ने एमवाईटी रैग्यूलेशन, 2011 के प्रारूप पर अपनी टिप्पणी में निवेदन किया है कि भविष्य में डैफर्ड टैक्स के निपटारे के बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। प्रक्रियागत बदलाव या कानून द्वारा किए गए किसी बदलाव के चलते टैक्स में हुए परिवर्तन को मंजूरी दी जाएगी। एमवाईटी रैग्यूलेशन, 2011 में नेशनल टैरिफ पॉलिसी के उपबंधन 5.1 (एच) के अनुसार सभी प्रकार के करों, अधिभारों आदि को शामिल किया चाहिए।

याचिकाकर्ता माननीय आयोग से, समायोजन करते हुए वास्तविक आयकर को भी विचारार्थ रखने का अनुरोध करता है। अनुमानित आयकर का ब्योरा निम्न तालिका में दिया जा रहा है :

तालिका 54 : आयकर की गणना (करोड़ रु में)

क.स. विवरण	विवरण	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
1	पूंजी लागत पर लाभ	260.7	314.7	359.5
2	पूंजी लागत का आरओई तत्व	82.0	104.1	122.7
3	कर सहित आय	121.4	154.1	181.7
4	कर दर	32.45%	32.45%	32.45%
5	**आय कर (सकल)**	**39.4**	**50.0**	**59.0**

याचिकाकर्ता ने अन्य किसी विविध खर्च को अलग से नहीं रखा हैं याचिकाकर्ता के सभी खर्चों को संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है।

5.13 गैर–टैरिफ आय

याचिकाकर्ता ने गैर–टैरिफ आय को भी पूरी नियंत्रित अवधि के लिए माननीय आयोग द्वारा वित्त वर्ष 11–12 के टैरिफ आदेश दिनांक 26.08.2011 के अनुरूप निम्नानुसार माना है :

तालिका 55 : नियंत्रित अवधि के लिए गैर–शुल्क आमदनी (करोड़ रु में)

विवरण	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
गैर शुल्क आय	49.8	49.8	49.8

5.14 आपातकालीन राशि

याचिकाकर्ता के पास एमवाईटी व्यवस्था के तहत् नियंत्रित अवधि के शुरू में कोई अतिरिक्त राजस्व नहीं है। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता के सामने किसी भी निश्चित अवधि वाली और रियायती टैरिफ के अभाव में वित्तीय संकट बना हुआ है। याचिकाकर्ता पर फिलहाल वित्त वर्ष 2011–12 तक का भारी अनएमोर्टाइज़्ड रैवेन्यू गैप भी है जिसका जिक्र माननीय आयोग ने दिनांक 26 अगस्त, 2011 के अपने आदेश में भी किया है। लिहाजा, याचिकाकर्ता ने इस एपीआर याचिका में किसी प्रकार की आपातकालीन राशि का प्रावधान नहीं किया है।

5.15 नियंत्रित अवधि के दौरान वार्षिक राजस्व आवश्यकता

याचिकाकर्ता द्वारा नियंत्रित अवधि के दौरान अनुमानित एपीआर इस प्रकार है :

तालिका 56 : वार्षिक राजस्व आवश्यकता (करोड़ रु में)

विवरण	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
विद्युत खरीद खर्च (A)			
दिनांक 26.08.2011 के टैरिफ आदेश में स्वीकृत खर्च पर विद्युत खरीद की लागत	2,601.3	2,840.1	3,045.3
अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क	207.5	228.6	252.5
राज्यों के भीतर ट्रांसमिशन शुल्क (दिल्ली ट्रांस्को)	285.0	285.0	285.0

वितरण लागत (B)			
ओ एवं एम व्यय	421.7	492.7	569.6
अवमूल्यन के प्रति अग्रिम समेत अवमूल्यन	83.6	107.5	123.8
सप्लाई मार्जिन सहित आरओसीई	260.7	314.7	359.5
आय कर	39.4	50.0	59.0
घटा : गैर टैरिफ आय (c)	**49.8**	**49.8**	**49.8**
सकल राजस्व आवश्यकता (A+B-C)	**3,849.5**	**4,269.0**	**4,644.9**

उपरोक्त अनुमान डीईआरसी टैरिफ आदेश दिनांक 26 अगस्त, 2011 पर आधारित हैं और इस संदर्भ में याचिकाकर्ता माननीय आयोग से अनियंत्रित अवधि के दौरान बिजली खरीद खर्च को मासिक आधार पर, अध्याय 7 में दिए गए फार्मूला के अनुरूप, समायोजित करने की मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध करता है।

6. सप्लाई मॉडल का खर्च

एमवाईटी रैग्यूलेशन, 2011 के अनुच्छेद 7.7 (सी) के अनुसार, *"वितरण लाइसेंसी द्वारा जमा कराए गए प्रत्येक टैरिफ प्रस्ताव का आधार सेवा के अनुरूप खर्च वाला मॉडल तथा लाइसेंसी कारोबार की लागत को कीमतों एवं घाटों के हिसाब से वोल्टेज आधारित उपभोक्ता श्रेणियों पर आबंटित किया जाएगा।"*

याचिकाकर्ता ने एमवाईटी अवधि के लिए सप्लाई के मामले में वित्त वर्ष 2010–11 की कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर, निम्न अनुच्छेदों में वोल्टेज के अनुसार कीमत (ईएचवी, एचवी और एलवी) का अनुमान लगाने का प्रयास किया है।

एपीआर बंटवारे के मकसद से अलग अलग व्हीलिंग और रिटेल सप्लाई के स्तर पर, याचिकाकर्ता ने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को आधार बनाया है। **संलग्नक 15**

6.1 व्हीलिंग कारोबार के लिए एपीआर का आबंटन

विभिन्न वोलटेजों पर सकल ऊर्जा बिक्री, वितरण घाटा और ऊर्जा लागत को निम्न तालिका में दिखाया गया है :

तालिका 57 : विभिन्न वोल्टेजों पर सकल ऊर्जा बिक्री, वितरण घाटा और ऊर्जा लागत

विवरण	ईएचवी	एचवी	एलवी

ऊर्जा बिक्री (एमयू में)			
वित्त वर्ष 12-13	118.2	672.0	4,920.7
वित्त वर्ष 13-14	134.1	744.1	5,465.3
वित्त वर्ष 14 -15	152.1	825.4	6,076.2
वितरण घाटा (%)			
वित्त वर्ष 12-13	0.92%	1.97%	21.37%
वित्त वर्ष 13-14	0.9%	2.0%	20.2%
वित्त वर्ष 14 -15	0.9%	2.0%	19.0%
ऊर्जा लागत (एमयू में)			
वित्त वर्ष 12-13	119.3	685.2	6,257.6
वित्त वर्ष 13-14	135.3	758.8	6,844.5
वित्त वर्ष 14 -15	153.5	841.7	7,503.7

व्हीलिंग कारोबार के लिए लागत का परिसंपत्ति के अनुसार आबंटन निम्न तालिका में उपलब्ध है –

तालिका 58 : व्हीलिंग कारोबार के लिए लागत का परिसंपत्ति के अनुसार आबंटन

वोल्टेज स्तर	यूनिट	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
ईएचवी	रु करोड	18.6	23.9	27.6
एचवी	रु करोड	73.5	90.7	105.3
एलवी	रु करोड	488.4	594.6	690.6
कुल	**रु करोड**	**580.6**	**709.2**	**823.5**

उपरोक्तानुसार विशेष परिसंपत्ति रेणी से संबद्ध व्हीलिंग खर्च को एनर्जी इनपुट में उनके योगदान के संदर्भ में अलग वोल्टेज स्तरों पर पुनः आबंटित किया गया है जो कि नीचे दर्शाया जा रहा है :

तालिका 59 : विभिन्न वोल्टेज स्तरों को आबंटित अनुमानित व्हीलिंग शुल्क

वोल्टेज स्तर	यूनिट	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
ईएचवी	रु करोड	0.3	0.4	0.5
एचवी	रु करोड	8.7	11.1	13.2
एलवी	रु करोड	571.6	697.7	809.8
कुल	**रु करोड**	**580.6**	**709.2**	**823.5**

संबंधित वोल्टेज स्तर पर ऊर्जा बिक्री के आधार पर याचिकाकर्ता ने अलग–अलग वोल्टेज के लिए व्हीलिंग शुल्क प्रति यूनिट का आकलन किया है जो निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका 60 : अनुमानित व्हीलिंग शुल्क

वोल्टेज स्तर	यूनिट	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
ईएचवी	p/kWh	2.5	3.0	3.3
एचवी	p/kWh	12.9	14.9	15.9
एलवी	p/kWh	116.2	127.7	114.8
औसत	**p/kWh**	**101.7**	**111.8**	**116.7**

6.2 एआरआर रिटेल सप्लाई बिजनेस का आबंटन

याचिकाकर्ता ने रिटेल सप्लाई एआरआर को एनर्जी इनपुट के अनुपात में, अलग अलग वोल्टेज स्तरों के लिए उपरोक्तानुसार आबंटित किया है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने वोल्टेज स्तर विशेष के लिए रिटेल सप्लाई शुल्क और सप्लाई मार्जिन शुल्क का निर्धारण किया है और इसके लिए उस वोल्टेज स्तर पर ऊर्जा बिक्री को आधार बनाा है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

तालिका 61 : खुदरा आपूर्ति शुल्क

वोल्टेज स्तर	यूनिट	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
ईएचवी	p/kWh	707.4	676.3	637.3
एचवी	p/kWh	438.3	431.7	418.5
एलवी	p/kWh	587.5	576.0	556.1
औसत	**p/kWh**	**572.4**	**561.2**	**541.8**

तालिका 62 : सप्लाई मार्जिन शुल्क

वोल्टेज स्तर	यूनिट	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
ईएचवी	p/kWh	3.3	3.5	3.6
एचवी	p/kWh	32.5	34.4	35.9

एलवी	p/kWh	31.1	32.9	34.3
औसत	**p/kWh**	**30.7**	**32.5**	**33.8**

याचिकाकर्ता द्वारा अनुमानित आपूर्ति खर्च निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका 63 : आपूर्ति का खर्च

आपूर्ति का खर्च	यूनिट	व्हीलिंग	आरएसटी	एसएम	कुल
वित्त वर्ष 12-13					
ईएचवी	p/kWh	2.5	707.4	3.3	713.3
एचवी	p/kWh	12.9	438.3	32.5	483.7
एलवी	p/kWh	116.2	587.5	31.1	734.7
औसत	**p/kWh**	**101.7**	**572.4**	**30.7**	**704.7**
वित्त वर्ष 13-14					
ईएचवी	p/kWh	3.0	676.3	3.5	682.9
एचवी	p/kWh	14.9	431.7	34.4	481.0
एलवी	p/kWh	127.7	576.0	32.9	736.6
औसत	**p/kWh**	**111.8**	**561.2**	**32.5**	**705.4**
वित्त वर्ष 14-15					
ईएचवी	p/kWh	3.3	637.3	3.6	644.1
एचवी	p/kWh	15.9	418.5	35.9	470.4
एलवी	p/kWh	114.8	556.1	34.3	705.2
औसत	**p/kWh**	**116.7**	**541.8**	**33.8**	**692.3**

7. राजस्व अंतर एवं राजस्व अंतर का प्रयोग

इस खंड में, याचिकाकर्ता ने नियंत्रण अवधि के दौरान संपूर्ण राजस्व अंतर के विभिन्न हिस्सों का विश्लेषण करने की कोशिश की है। एआरआर के विविध हिस्सों के विश्लेषण के आधार पर, यह पाया गया कि नियंत्रण अवधि के दौरान प्रस्तावित राजस्व अंतर को प्रभावित करने वाले कारक निम्नानुसार हैं :

अ. वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व अंतर
ब. बिजली की खरीद दरों में उतार–चढ़ाव, जिसका न तो अनुमान लगाया जा सकता है और न ही जिसे नियंत्रित किया जा सकता है
स. बीती अवधि के दौरान नियामक धरोहर बनने अथवा कम वसूली के चलते राजस्व अंतर

याचिकाकर्ता की दलील है कि बिजली खरीद दरों में उतार–चढ़ाव को छोड़कर अन्य कारकों के चलते, वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले राजस्व अंतर का अनुमान लगाया जा सकता है। बिजली खरीद दरों में परिवर्तन और नियामक धरोहरों या कम वसूली याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर है। इसलिए, इनकी पहचान और वसूली अलग–अलग होनी चाहिए। इससे उपभोक्ताओं व सभी भागीदारों को अनुमान योग्य मदों के लिए अदा होने वाली राशि और गैर–अनुमानित मदों के लिए अदा होने वाली राशि की पहचान करने में मदद मिलेगी। ऐसे ही उन्हें गैर नियंत्रण योग्य मदों, जैसे कि विद्युत दरों में परिवर्तन और नियामक धरोहरों की वसूली को पारदर्शी तरीके से देखने में सहूलियत होगी। उपरोक्त प्रक्रिया से नियंत्रण अवधि में मूल खुदरा आपूर्ति दरों के बिगड़ने को रोका जा सकता है।

याचिकाकर्ता का सुझाव है कि वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले राजस्व अंतर की वसूली निम्न तालिका में प्रस्तावित शुल्क के अनुसार होनी चाहिए। इसमें विद्युत खरीद मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं है।

तालिका 64 : शुल्क संबंधी प्रस्ताव

विवरण	यूओएम	वित्त वर्ष 12-13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15
वार्षिक राजस्व आवश्यकता	रु करोड़	**3,849.5**	**4,269.0**	**4,644.9**
राजस्व वसूली	रु करोड़	3,013.2	3,343.7	3,715.2
राजस्व (अंतर/अतिरिक्त)	रु करोड़	**(836.3)**	**(925.2)**	**(929.7)**
मौजूदा दर के मुकाबले आवश्यक शुल्क वृद्धि	%	27.8%		
संशोधित दर पर राजस्व	रु करोड़		4271.7	4743.9
संशोधित राजस्व (अंतर/अतिरिक्त)	रु करोड़		2.8	99.0
वित्त वर्ष के दौरान प्रस्तावित शुल्क वृद्धि	**%**	**27.8%**	**-0.1%**	**-2.1%**

सादर निवेदन है कि आदरणीय आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत खरीद दर में किसी भी तरह का परिवर्तन अनियंत्रित किस्म को होता है। अपने उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने के लिए, प्रतिवादी को नियमित तौर पर बिजली का खरीद मूल्य तथा संप्रेषण शुल्क भरना होगा। विद्युत खरीद मूल्य एक पास–थ्रो मद है। ऐसे में, प्रतिवादी महज एक वसूली एजेंट हुआ जो विद्युत खरीद मूल्य और उसके ट्रांसमिशन शुल्क की उगाही करता है।

इस बारे में अनुरोध है कि आदरणीय एटीई ने ऊर्जा मंत्रालय के पत्र पर की गई स्वतः स्फूर्त कार्रवाई संबंधी 11 नवंबर, 2011 के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि वितरण लाइसेंसधारी के एआरआर में बिजली की खरीद एक बड़ा खर्च होता है। चूंकि ईंधन तथा बिजली खरीद मूल्य दोनों ही अनियंत्रित होते हैं, ऐसे में दोनों की वसूली शीघ्रातिशीघ्र करने की अनुमति होनी चाहिए। इस फैसले के प्रासंगिक अंश यहां प्रस्तुत हैं –

''ईंधन व विद्युत खरीद कीमत दोनों ही किसी वितरण कंपनी के बड़े खर्च हैं और ये अनियंत्रित भी होते हैं। प्रत्येक राज्य आयोग को एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे कि ईंधन व बिजली खरीद मूल्य अधिनियम की धारा 62 (4) के अंतर्गत रहे। ईंधन व विद्युत खरीद लागत समायोजन, विद्युत उत्पादन कंपनियों के लिए केंद्रीय आयोग के नियमानुसार, जहां तक संभव हो मासिक रूप से होना चाहिए, लेकिन त्रैमासिक से अधिक हरगिज नहीं। किसी राज्य आयोग के पास यदि इस तरह का प्रावधान नहीं है तो इस आदेश के 6 माह के भीतर इस तरह का फॉर्मूला या प्रणाली विकसित कर लेनी चाहिए।''

शुंगलू समिति रिपोर्ट ने भी दर निर्धारण के लिए विभिन्न नियामकों द्वारा अपनायी जाने वाली विधियों की समीक्षा की है तथा निम्न सिफारिशें दी हैं:

''उत्पादन दरों में प्रायः बिजली बनाने वाली कंपनी की ईंधन लागत में परिवर्तन को समायोजित करने का फॉर्मूला पहले से ही निहित होता है। इसी के अनुसार, उत्पादन कंपनियों द्वारा जारी किये जाने बिल परिवर्तित दरों के अनुरूप तैयार होते हैं। वितरण कंपनियों की खुदरा दरों के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। फलस्वरूप वितरण कंपनियों द्वारा कम वसूली हो पाती है। यह तब तक लगातार कम होती जाती है, जब तक कि नियंत्रक स्वयं हस्तक्षेप न करे। इसे खत्म किया जा सकता है अथवा खुदरा दरों में इसी तरह का एक प्रावधान जोड़ा जा सकता है, या फिर नियंत्रक द्वारा समय समय पर इसमें संशोधन होते रहें। कुछ राज्यों में इस तरह के प्रावधान है और यह कतई नामुमकिन नहीं कि नियामक द्वारा खुदरा दरें निर्धारित करने के लिए इसी तरह का कोई फॉर्मूला अपना लिया जाये।''

उपरोक्त सिफारिश के मद्देनजर, जिसे कि 11 नवंबर, 2011 को माननीय एटीई के 11 नवंबर, 2011 के आदेश के साथ पढ़ा जाये, याचिकाकर्ता का विनम्र आग्रह है कि ईंधन व विद्युत खरीद लागत समायोजन मासिक आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक अनियंत्रित मानक है, साथ ही वितरण लाइसेंसधारी के एआरआर का एक बड़ा खर्च भी। याचिकाकर्ता ने अनुमानित विद्युत खरीद मूल्य तथा वास्तविक विद्युत खरीद मूल्य के अंतर को समायोजित करने के लिए त्रैमासिक आधार पर विद्युत खरीद मूल्य समायोजन फॉर्मूले के लिए पहले ही माननीय आयोग के समक्ष वास्तविक बिजली खरीद लागत (याचिका संख्या 22, वर्ष 2010) दाखिल की थी। तदोपरांत, माननीय आयोग ने 26 अगस्त, 2011 के अपने आदेश के जरिये त्रैमासिक आधार पर ईंधन मूल्य समायोजन को लागू किया और अनुच्छेद 29 में निम्न बात कही :

''आयोग का मानना है कि वर्तमान में ईंधन लागत के त्रैमासिक समायोजन पर सिर्फ विचार किया जा रहा है, याचिकाकर्ता की संपूर्ण बिजली खरीद मूल्य समायोजन की प्रार्थना को नहीं माना जा रहा।''

याचिकाकर्ता की माननीय आयोग से प्रार्थना है कि वे 2010 के केस संख्या 22 के संदर्भ में 26 अगस्त, 2011 के अपने आदेश पर गौर करें और उसे निम्नानुसार संशोधित करें। यदि माननीय आयोग समझते हों कि इस याचिका के भाग के रूप में वे संशोधन न कर सकते हों, तो माननीय आयोग के सुझाव के अनुसार, याचिकाकर्ता अलग से माननीय आयोग को इस बारे में लिखेगा।

याचिकाकर्ता का निवेदन है कि विद्युत खरीद मूल्य समायोजन प्रक्रिया की अनुपस्थिति में याचिकाकर्ता जैसे लोग ग्राहकों से कम वसूली से प्रभावित होते हैं और राजस्व अंतर को पाटने के लिए धन मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह ब्याज राशि बढ़ने से अंततः उपभोक्ताओं पर भार बढ़ जाता है। बिजली खरीद मूल्य अनियंत्रित रूप से बढ़ने और खर्चों की वसूली न हो पाने के कारण याचिकाकर्ता के पास धन की अत्यधिक कमी हो गयी है। याचिकाकर्ता की माननीय आयोग से प्रार्थना है कि विद्युत खरीद मूल्य में अनियंत्रित वृद्धि से उबरने का उपाय बतायें और एक अनुकूल विद्युत खरीद समायोजन फॉर्मूले की अनुमति दें, जिसमें कि मासिक आधार पर समायोजन की सुविधा हो।

याचिकाकर्ता विद्युत खरीद मूल्य समायोजन के लिए निम्न फॉर्मूला पेश करता हैः

PPPAn (करोड़ रु) **= Cn + An**

जहां कि– पीपीपीएएन (**PPPAn**) : विद्युत खरीद मूल्य समायोजन की कुल धनराशि करोड़ रुपये में। चालू माह में होनी चाहिए, वास्तविक एवं औसत नेट विद्युत खरीद रेट की विविधता के अनुसार, संप्रेषण शुल्क सहित। वर्ष के लिए टैरिफ ऑर्डर अनुमोदित होना चाहिए।

सीएन : विद्युत खरीद के मूल्य में परिवर्तन, करोड़ रुपये में। विगत माह में विद्युत खरीद दर तथा वर्ष के लिए निर्धारित व अनुमोदित टैरिफ ऑर्डर के अनुसार औसत कुल विद्युत खरीद दर में भिन्नता के कारण।

$$Cn = Qn\text{-}1 \times (AAPP\ n\text{-}1 - APPappd) / 10$$

जहां :

क्यूएन–1 = पिछले माह के दौरान, लाइसेंसशुदा क्षेत्र में जरूरत पूरी करने के लिए बीआरपीएल में प्राप्त विद्युत क्वांटम (अर्थात केंद्रीय/राज्य आबंटन, द्विपक्षी, विनिमय, यूआई आदि समेत विद्युत खरीद)

AAPP n-1 = औसत विद्युत खरीद दर (रुपये प्रति यूनिट में) अनुमोदित टैरिफ ऑर्डर के अनुसार
An = अधिक वसूली एवं कम वसूली का समायोजन फैक्टर अर्थात पीपीपीएसी और वसूली योग्य राशि के जरिए वास्तव में वसूली गई राशि के बीच अंतर
जहां, An = PPPA (Recovered)n – PPPAn-1

PPPA (वसूल)n = पिछले माह का पीपीपीए जो मौजूदा तिमाही में वूसला गया

यदि पीपीपीएसी उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों से समान रूप से मिलती रहे तो कम बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के मासिक बिलों पर अधिक दबाव पड़ेगा। इसलिए कम उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं का भार कम करने के लिए यह प्रस्ताव है कि इसकी वसूली याचिकाकर्ता के औसत बिलिंग रेट (एबीआर) से निम्न विधि के अनुसार की जाये।

PPPAC cat Rs/kWh = (PPPA/UB) * S * 10

जहां, PPPAC cat = PPAC विशिष्ट शुल्क श्रेणी/उप–श्रेणी/खपत स्लैब के लिए, रु/कि.वा.आ. में

PPPA = उपरोक्त फार्मूले के अनुसार विद्युत खरीद कीमत समायोजन (करोड़ रु में)

यूबी = विशिष्ट शुल्क श्रेणी/उप–रेणी/खपत स्लैब के लिए बिल यूनिट (एमयू में)

S = (ऊर्जा शुल्क) / (एबीआर)

जहां,

ऊर्जा शुल्क = विचाराधीन विशिष्ट शुल्क श्रेणी/उप–श्रेणी/खपत स्लैब के लिए ऊर्जा शुल्क (रु/कि.वा.आ.) जो कि आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में स्वीकृत है

एबीआर = माननीय आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में वसूली के लिए स्वीकृत औसत बिलिंग रेट (एबीआर)

8. नियामक परिसंपत्ति (रेगुलेटरी असेट)

याचिकाकर्ता सम्मान सहित कहना चाहता है कि नियामक धरोहर हेतु निश्चित वसूली प्रक्रिया न होने से ऋणप्रदाताओं में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसीलिए, याचिकाकर्ता का माननीय आयोग से अनुरोध है कि नियंत्रण अवधि में, संप्रेषण शुल्क सहित, एक अलग सरचार्ज के जरिये नियामक धरोहर की वसूली की अनुमति प्रदान की जाये। ताकि पिछले समय में एकत्रित नियामक धरोहर को प्रयोग किया जा सके। इसमें

वित्तीय वर्ष 2011 एवं 2012 तक की कम वसूली भी शामिल है। एक अलग सरचार्ज याचिकाकर्ता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में वसूली गयी धनराशि को इंगित करेगा।

आगे, याचिकाकर्ता का विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रीय दर नीति के अनुसार एक नियामक धरोहर का निर्माण खास परिस्थितियों में ही होना चाहिए और यह इसे बार–बार दोहराना नहीं चाहिए। इसीलिए याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि द्वित्तीय नियंत्रण अवधि के दौरान किसी तरह का रैगुलेटरी असेट नहीं बनना चाहिए। याचिकाकर्ता का आगे कहना है कि रैगुलेटरी असेट निर्माण के लिए निश्चित तौर पर कुछ नियम होने चाहिए और यह सिर्फ स्वाभाविक कारण से होना चाहिए। नेशनल टैरिफ पॉलिसी के कुछ प्रासंगिक अंश :

''8.2.2. विगत में कुछ नियामक आयोगों ने एक निश्चित वर्ष के दौरान दरों के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए रेगुलेटरी असेट्स की सुविधा को अपनाया है। **ऐसा सिर्फ एक अपवाद के रूप में होना चाहिए, वो भी निम्न दिशानिर्देशों के तहत :**

अ. नियमों के जरिये परिस्थितियों का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए और इसमें स्वाभाविक कारकों का जिक्र होना चाहिए। सामान्य व्यापार की स्थिति में, बिना वसूले अंतर को पूंजी पुनर्निर्माण के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए।
ब. नियामक धरोहरों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की लागत के खर्च की अनुमति होनी चाहिए।
स. नियामक धरोहरों की रिकवरी समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए और अधिकतम तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और कोशिश हो कि वह नियंत्रित अवधि के भीतर हो
द. नियामक परिसंपत्ति की सुविधाओं के प्रयोग में दोहराव नहीं होना चाहिए।
ह. ऐसे मामलों में जहां नियामक धरोहर को अडॉप्ट करने का प्रस्ताव हो, वहां यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी भी वर्ष में इक्विटी पर मिलने वाला ब्याज अत्यधिक कम न हो, जिससे कि लाइसेंसी की धन मांगने की क्षमता पर बुरा असर न पड़े।

याचिकाकर्ता को इस मामले में ऊर्जा मंत्रालय के पत्र पर माननीय एटीई के 11 नवंबर 2011 के फैसले पर भरोसा है, जहां माननीय एटीई ने कहा कि लागत व समयबद्ध वसूली के लिए किसी दिशा निर्देश के बगैर किसी रेगुलेटरी एसेट का निर्माण न तो वितरण लाइसेंसी के हित में है, न ही उपभोक्ताओं के। आदेश के कुछ संबंधित अंश:

''एआरआर या टैरिफ निर्धारित करते समय, राजस्व अंतर न तो छोड़ना चाहिए, न ही अकारण रेगुलेटरी असेट का निर्माण करना चाहिए। इस सबमें भी टैरिफ पॉलिसी व नियमों का पूरा पालन होना चाहिए। रेगुलेटरी असेटी की वसूली समयबद्ध होनी चाहिए और इस सब में तीन वर्ष से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। यह सब नियंत्रित अवधि में होना चाहिए। वर्ष के एआरआर की यूटिलिटीज रेगुलेटरी असेट में स्थानांतरण लागत भी शामिल होनी चाहिए। इससे वितरण लाइसेंसी को नगदी की समस्या नहीं होगी।''

ससम्मान निवेदन है कि विगत में टैरिफ तय करते समय, विद्युत खरीद के अस्वाभाविक अनुमानों तथा एआरआर कम करने के लिए बिक्री की कीमत को घटाने से याचिकाकर्ता के एक्स–पोस्ट

राजस्व अंतर का भार अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। एआरआर में बिना वसूले राजस्व अंतर को छोड़कर, रेगुलेटरी असेट बनाये या बिना बनाये, तथा इस पर किसी तरह के ब्याज के बिना, धन प्रवाह की समस्या से याचिकाकर्ता की कंपनी को दो–चार होना पड़ रहा है, वो भी तब जब वो पहले से ही कर्ज के बोझ से दबी है। धन की कमी से याचिकाकर्ता को बिजली खरीदने, संचालन एवं वितरण नेटवर्क की सार–संभाल में परेशानी हो सकती है, जिससे कि उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बाधित हो सकती है;

ऐसे में उम्मीद की जाती है कि द्वितीय नियंत्रण अवधि में और टैरिफ निश्चित किये जाते समय माननीय आयोग, विद्युत खरीद मूल्य समायोजन शुल्क प्रणाली से, न सिर्फ वास्तविक विद्युत खरीद एवं बिक्री मूल्य पर विचार करेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति पर बोझ न पड़े। इस प्रक्रिया के सुनिश्चित होने से याचिकाकर्ता कम वसूली की समस्या से बच सकेगा। साथ ही, माननीय आयोग से यह भी अनुरोध है कि रेगुलेटरी असेट तथा स्थानांतरण लागत की रिकवरी की अनुमति प्रदान करें।

जहां तक रेगुलेटरी असेट की परिवहन लागत का सवाल है, याचिकाकर्ता उल्लेख करना चाहेगा कि नॉर्थ डेल्ही पॉवर लिमिटेड बनाम डीईआरसी 2010 ईएलआर 0891 के मामले में माननीय एटीई ने अपने आदेश में कहा था कि वहन लागत एक विधिसम्मत खर्च है तथा इसकी वसूली एक वितरण कंपनी का विधिसम्मत अपवाद है। याचिकाकर्ता के नगदी प्रवाह को सुनिश्चित किया जायेगा तथा कंपनी को ऐसे किसी वित्तीय संकट में नहीं फंसने दिया जायेगा, जैसी स्थिति में भारी राजस्व अंतर के चलते वो अभी है। इस राजस्व अंतर को माननीय आयोग ने 26 अगस्त 2011 के अपने टैरिफ ऑर्डर में मान्यता दी है।

याचिकाकर्ता का निवेदन है कि माननीय आयोग रेगुलेटरी असेट की रिकवरी के लिए एक प्रक्रिया सुझाएं। इसकी परिवहन लागत वित्तीय वर्ष 2012 तक, एक वर्ष में बकाया मूल धनराशि की 15 प्रतिशत की न्यूनतम रिकवरी तथा गैर–वसूली मूल राशि की परिवहन लागत के साथ। यह भी निवेदन है कि मूल एवं परिवहन लागत को अलग–अलग दर्शाया जाये। ऐसा करने से ऋण प्रदाताओं का विश्वास बढ़ेगा तथा परिवहन लागत पर ब्याज बढ़ना रुकेगा, ताकि उपभोक्ताओं पर चक्रवृद्धि ब्याज का बोझ न पड़े।

यह भी प्रार्थना है कि वित्तीय वर्ष 2011 – 2012 के दौरान परिवहन लागत को अनुमानित कम वसूली में गिना जाये। ताकि याचिकाकर्ता के सामने नगदी का संकट न पैदा हो।

याचिकाकर्ता का पिछला बगैर वसूला गया अंतर निम्न तीन भागों में बांटा जा सकता है :

1. वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान का गैर वसूला गया राजस्व अंतर, जिसका कि माननीय आयोग ने 26 अगस्त 2011 के अपने आदेश में उल्लेख किया है।
2. वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान राजस्व अंतर (उपरोक्त तालिका 20 के अनुसार)
3. वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान, प्रॉविजनल ट्रूइंग–अप के चलते पैदा हुआ राजस्व अंतर, (तालिका 30 के अनुसार)

4. एटीई के आदेशों का प्रभाव (31.03.2012 तक का वहन खर्च)। माननीय आयोग ने अभी तक इन पर अमल नहीं करवाया है। (निम्न तालिका के अनुसार)

क्र.सं.	विवरण	करोड़ रु
राशि माननीय एटीई द्वारा स्वीकृत लेकिन डीईआरसी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती दिए जाने के कारण स्वीकार्य नहीं		
1	ब्याज	
1A	कामकाजी पूंजी पर ब्याज की गणना की विधि	22.3
1B	एसबीआई पीएलआर के अनुसार राजस्व अंतर की भरपाई	6.1
2	बकाया राशि के शीघ्र भुगतान के बदले जेनको/ट्रांस्को से प्राप्त छूट डिस्कॉम के पास रहेगी	43.1
3	एसवीआरएस लेने वाले कर्मियों को दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार किया गया टर्मिनल लाभ भुगतान	82.9
4	गैर–एफआरएसआर कर्मचारियों के लिए तुलनात्मक वेतन (छठे वेतन आयोग के परिप्रेक्ष्य में)	136.3
5	पूंजी व्यय	
5A	संबद्ध पक्ष खरीद की वजह से नामंजूरी	229.6
5B	ईआईसी द्वारा स्वीकृति के लिए लंबित नामंजूरी	190.4
	A	**710.8**
माननीय डीईआरसी द्वारा आगे जांच की जानी है		
6	मरम्मत एवं रखरखाव खर्च	58.1
7	ए एवं जी खर्च	17.4
	B	**75.5**
शुल्क आदेशों में जो विषय उल्लिखित नहीं हैं		
8	एमवाईटी विनियमनों के अनुसार वित्त वर्ष 07–08 का ट्रूइंग अप	216.7
9	पहली नियंत्रित अवधि के दौरान वितरण घाटों की समीक्षा	409.2
10	डीटीएल को किया गया भुगतान लेकिन डीईआरसी द्वारा जिसे अभी मंजूरी दी जानी है	5.8
11	लंबी अवधि के ऋणों पर ब्याज दरों का समायोजन	134.2
	C	**765.9**
	कुल **A+B+C**	**1,552.2**

उपरोक्त सभी कारकों तथा 31.03.2012 तक का वहन खर्च निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका 65 : वित्त वर्ष 2011–12 तक नियामक परिसंपत्ति बोझ

विवरण	करोड़ रु
वित्त वर्ष 2009–10 तक का राजस्व अंतर जिसे दिनांक 28.06.2011 के टी.ओ. में स्वीकृत किया गया	506.7
वित्त वर्ष 2010–11 के लिए समायोजन के परिणामस्वरूप राजस्व अंतर	1075.8

वित्त वर्ष 11–12 के लिए अस्थायी समायोजन के चलते चक्रवृद्धि राजस्व अंतर	1055.5
वित्त वर्ष 11–12 के लिए बकाया राजस्व अंतर जिसे दिनांक 28.06.2011 के टी.ओ. में स्वीकृत किया गया	545.6
वित्त वर्ष 11–12 तक वहन शुल्क पर राजस्व अंतर	422.7
वहन खर्च समेत एटीई फैसले का प्रभाव	1552.2
31/ 03/ 2012 को कुल अंतर	**5158.4**

याचिकाकर्ता का माननीय आयोग से निवेदन है कि उपरोक्त की वूसली की प्रक्रिया नियंत्रित अवधि (वित्त वर्ष 13–15) के भीतर सुनिश्चित करवाएं, और बकाया मूल राशि की कम–से–कम 15 फीसदी राशि की वसूली एक वर्ष के भीतर तथा शेष बकाया मूल राशि पर आने वाली वहन लागत भी।

BSES

BSES Yamuna Power Limited

शपथ–पत्र

BSES

BSES Yamuna Power Limited

संलग्नक